

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रैल 2023—चैत्र 24, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

क्र. 1065-813423-2022-बी-4-दो-राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा के लिये मुख्य सूची सरल क्रमांक-1, अनुक्रमांक 114027 अनारक्षित से चयनित श्री हर्ष शर्मा, पता-124, महिदपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, पिन-456335 को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये—15600-39100+ग्रेड पे 5400/- (सातवे वेतनमान में लेवल-12 रु. 56100-177500/-) में उप पुलिस अधीक्षक (एमटी) के पद पर पुलिस मुख्यालय भोपाल में नियुक्त किया जाता है.

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त पैरा-1 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्य मुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) उक्त परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक (एमटी) द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी पूर्ण किया जायेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

2991

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा को सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यापालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएँ किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने के स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व वकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अर्थात् एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्र की मूलप्रति सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

क्र. एफ-1(ए)-59-2012-व-2-दो — राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 24 मार्च 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 व 25-26 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)169-1997-व-2-दो — राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मार्च 2023 को संशोधित करते हुए, श्री योगेश चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, विपुस्था, लोकायुक्त भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम पार्ट वर्ष दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 07-09 व 14-16 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत दार्जिलिंग वाया कोलकाता जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

(2) छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में कुछ अन्य विविध स्थितियाँ- नियम-7 के नियम 22.6 की कंडिका-4 अनुसार परिवार के निम्न सदस्यों को दिनांक 3 अप्रैल 2023 से पृथक् से यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- | | | | |
|---|--------------|---|--------|
| 1 | श्रीमती सोनल | — | पत्नी |
| 2 | कु अनन्या | — | पुत्री |

(3) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु व्यास, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त सगठन, भोपाल संभाग द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विपुस्था लोकायुक्त भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1511-इक्कीस-ब (दो)-2020.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरविंद कुमार गोयल, II District & Addl. Sessions Judge, Sonkatch, District Dewas को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

क्र. 942-43-1227362-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सागर	सागर	श्रीमती रोहिणी तिवारी, JMFC

No. 942-43-1227362-2023-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No.(4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sagar	Sagar	Smt. Rohini Tiwari, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्र. UDH-3-0052-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये खुरई निवेश क्षेत्र, जो आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4678-6151-बत्तीस-76, दिनांक 24 दिसम्बर 1976 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में वृद्धि करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

खुरई निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में—ग्राम निरतला, लुहरा, मुहली खुर्द, खैरा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम निरतला, सुनेटी, घौरट, हरदुआ, हनोता की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम हनोता, आलखेडी, जरवांस, बागची, सिलौधा की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम सिलौधा, सेमराघाट, मुडिया, खैरा की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) (सी), (डी) एवं (ई) में निहित प्रावधानों के तहत अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2022 से श्री सनवर पटेल (उज्जैन), श्री मेहबूब हुसैन (भोपाल), डॉ. इनाउररहमान (इंदौर) को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित/मनोनीत किया गया था.

मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम की धारा 14 (1) (डी) श्रेणी अंतर्गत मनोनित श्री मेहबूब हुसैन की वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2022 से किया गया मनोनयन निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—राज्य शासन एतद्वारा, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14(1) (ख) (iv) श्रेणी के तहत श्री फैजान खान आत्मज अ. रज्जाक खान, उज्जैन को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में सदस्य नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र. 161-5अ-एस.सी. 1-2023.—मध्यदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय कन्या उ. मा. वि. भैंसवार, विकासखण्ड-सोहवल, जिला सतना (मध्यप्रदेश) का नामकरण—“स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव शासकीय कन्या उ. मा. वि. भैंसवार” विकासखण्ड-सोहवल, जिला सतना (मध्यप्रदेश) किये जाने का आदेश दिया जाता है.

क्र. 162-5अ-एस.सी. 1-2023.—मध्यदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5

के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय उ. मा. वि. सेमरवारा, विकासखण्ड-नागौद, जिला सतना का नामकरण—“अमर शहीद वीरांगना अक्लीबाई लोधी शासकीय उ. मा. वि. सेमरवारा, विकासखण्ड-नागौद, जिला सतना” किये जाने का आदेश दिया जाता है.

सतना, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र. 164-5अ-एस.सी. 1-2023.—मध्यदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनकहरी, विकासखण्ड-सोहवल, जिला सतना (मध्यप्रदेश) का नामकरण—“ठाकुर रणमत सिंह स्मृति शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनकहरी” विकासखण्ड-सोहवल, जिला सतना (मध्यप्रदेश) किये जाने का आदेश दिया जाता है.

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 3 मार्च 2023

क्र. भू-अर्जन शाखा-2023-74.—भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अन्तर्गत कुंडालिया वृहद् सिंचाई परियोजना तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा के ग्राम धनोरा के लिये डूब प्रभावित भूमि की अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 3 सितम्बर 2021 को किया गया था. तदनुसार अधिनिर्णय की समय-सीमा दिनांक 4 सितम्बर

2022 तक प्रभावी थी. प्रकरण में आपसी सहमति क्रयनीति से अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलित रही.

आपसी सहमति से शेष रही भूमि को अधिनिर्णय द्वारा अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 25 में प्रदत्त अधिकार अनुसार एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाता है, जो कि 3 सितम्बर 2023 तक मान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैलाश वानखेड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आगर-मालवा, दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्रमांक/ने 08 /आर-1110604/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°55'49.93" से 22°56'3.79" उत्तर अक्षांश तथा 75°1'1.64" से 75°1'22.47" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- धार
वनमण्डल - धार

तहसील - सरदारपुर
वन परिक्षेत्र - सरदारपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	ईमलीपाड़ा	ईमलीपाड़ा	चरनोई ना.का.	44/1/1/1	17.258	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा।

						दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 24 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	17.258	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPC/074/2018-BHO दिनांक 07 फरवरी, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन संभाग, जिला-धार की कुण्डियानाला लघु तालाब परियोजना में प्रभावित 17.258 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 17.258 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला-धार के आदेश क्रमांक RCMS प्र.क्र. 0028/2019-20/अ-19(3) दिनांक 27.11.2019 एवं प्र.क्र. 0022/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 07.09.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्र. 708-आर-1110604-2023-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 708-आर-1110604-2023-दस-3, दिनांक 6 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th April 2023

No./ 708 /R-1110604//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°55'49.93" to 22°56'3.79" North Latitude and 75°1'1.64" to 75°1'22.47" East Longitude.

SCHEDULE

District - Dhar

Forest Division - Dhar

Tahsil - Sardarpur

Forest Range - Sardarpur

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Imlipada	Imlipada	Charnoi Na. Ka.	44/1/1/1	17.258	North – Artificial Forest boundary from pillar Number 8 to 22 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 24 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 24 to 04 of Protected Forest Block.

						West - Artificial Forest boundary from pillar Number 04 to 08 of Protected Forest Block.
				Total	17.258	

► **(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.No.6-MPC074/2018-BHO dated 07 February, 2022 and in lieu of 17.258 hectare of affected forest land in Kundiya Nala Minor Tank Project of Water Resources Division Manawar, District- Dhar, Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest land of 17.258 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. RCMS 0028/2019-20/A-19(3) dated 27.11.2019 and 0022/A-20(1)/2020-21 dated 07-09-2021 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate of Tehsildar Sardarpur (Competent Revenue Officer) are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्रमांक/ 708 /आर-1110604/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°32'8.47" से 22°32'8.47" उत्तर अक्षांश तथा 75°11'26.61" से 75°11'15.51" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- धार
वनमण्डल - धार

तहसील - गंधवानी
वन परिक्षेत्र - सरदारपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	जलोश्या	जलोश्या	पड़त कदीम नाकाबिल कास्त	74/9	3.082	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 43 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 43 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	3.082	

'(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6-MPB/023/2022-BHO दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला-धार की गुंगीदेवी सिंचाई तालाब योजना में प्रभावित 3.082 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.082 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला-धार के आदेश क्रमांक RCMS प्र. क्र. 0021/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 28.10.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, गंधवानी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्र. 708-आर-1110604-2023-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 708-आर-1110604-2023-दस-3, दिनांक 6 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th April 2023

No./ ~~708~~ /R-1110604//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°32'26.69" to 22°32'8.47" North Latitude and 75°11'26.61" to 75°11'15.51" East Longitude.

SCHEDULE

District - Dhar

Tahsil - Gandhwani

Forest Division - Dhar

Forest Range - Sardarpur

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Jalokhya	jalokhya	Padat kadim nakabil kast	74/9	3.082	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 43 of Protected Forest Block. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 43 to 18 of Protected Forest Block. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 18 to 17 of Protected Forest Block. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 17 to 04 of Protected Forest Block.
				Total	3.082	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F.No.6-MPB023/2022-BHO dated 27 December, 2022 and in lieu of 3.082 hectare of affected forest land in Gungidevi Minor Irrigation Tank Project of Water Resources Division Manawar, District- Dhar, Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest land of 3.082 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. RCMS 0021/A-20(1)/2020-21 dated 28.10.2021 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate of Tehsildar Gandhwani (Competent Revenue Officer) are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 मार्च 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-143-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1) सतना	(2) नागौद	(3) रोहनिया	(4) 2.8740	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	(6) नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-145-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1) सतना	(2) नागौद	(3) बारापत्थर	(4) 3.9310	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	(6) नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-146-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खखरौंघा	4.8068	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-147-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अमिलिया	2.7640	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-148-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हिनौता	0.5716	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-149-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	ब्रधाव उबारी	2.4292	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-150-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अकौना साठिया	0.2429	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-151-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खैरा	1.4683	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-152-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	पिपरी	4.8612	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-153-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	आमा	11.1925	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-154-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गंगवरिया	8.9900	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-155-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटमा उबारी	2.1109	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-156-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	नरहरपुर	1.9644	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 29 मार्च 2023

प्र. क्र.-01-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौथी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	अमुवारी, पटवारी हल्का नं. 1	2.050	कार्यपालन यंत्री, दौथी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन रागय में भू अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौथी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौंयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	सलैया कोहारी, पटवारी हल्का नं. 39	10.586	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौंयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	चरी, पटवारी हल्का नं. 44	11.764	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौंयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों

को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	हरैया, पटवारी हल्का नं. 40	10.366	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौंयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खलवारा, पटवारी हल्का नं. 14	12.511	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौंयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	कारीतलाई, पटवारी हल्का नं. 45	2.890	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खरखरी, पटवारी हल्का नं. 3	6.870	कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	धनवाही, पटवारी हल्का नं. 37	4.010	कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	देवराकला, हल्का नं. 18	पटवारी 7.50	कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	दुर्जनपुर, हल्का नं. 41	पटवारी 7.240	कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	संगवारा, पटवारी हल्का नं. 4	2.551	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-23-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दौंयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	बनगवां, पटवारी हल्का नं. 04	1.120	कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दौंयी तट नहर संभाग क्रमांक 1, कटनी (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है.

अवि प्रसाद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 29 मार्च 2023

क्र. 49-भू-अर्जन-2023—प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	सिंगोली	बाण्डा	305 परिवारों के 330 निजी मकान तथा 62.9870 हेक्टे. निजी भूमि.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद, जिला-नीमच.	बाण्डा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उपखण्ड, जावद, जिला-नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 51-भू-अर्जन-2023—प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	सिंगोली	जेथलिया	28.2750 हेक्टे. निजी भूमि.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद, जिला-नीमच.	बाण्डा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उपखण्ड, जावद, जिला-नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मयंक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 मार्च 2023

क्र. 187-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—गिदुरी
(घ) क्षेत्रफल—0.049 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/2/2/1/1	0.004
5/2/2/1/2	0.004
10/2/3/1	0.019
11/1/1/1/5	0.005
11/1/1/1/6	0.005
11/1/1/1/11	0.005
11/1/1/1/13	0.002
11/1/1/1/16	0.003
11/1/1/1/17	0.002
योग . . .	0.049

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना मध्यप्रदेश द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 21 मार्च 2023

क्र. 192-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—खैरा
(घ) क्षेत्रफल—0.074 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3/1/1/2/2/1/1/3	0.012
3/1/1ख/2/1/क/2/2	0.007
3/1/1ख/1/क/8	0.006
3/1/1ख/2/1/क/22	0.008
8/1/1ख/2/1/क/2	0.015
3/1/1ख/1/क/9	0.005
8/1/1/ख/1क/6/1	0.006
9/2/ख/4/1	0.010
9/2/ख/4	0.005
योग . . .	0.074

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना मध्यप्रदेश द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 41-अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-1838

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : सेमरा अहीर
4. पट.ह.नं.- : 12
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 140.550 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पट्टी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामरतन पिता काशीराम पता सेमरा अहीर बंडा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	1.730	0.010	0.000	0.000	-
2	गोपीलाल पिता ग्यारसी जाति अहिरवार, 1/4 भाग, शिवम पिता अमरसींग 1/12 भाग, अभित पिता अमरसींग 1/12 भाग, कमलाबाई देवा अमरसींग 1/12 भाग, चन्द्रभान पिता ग्यारसी 1/4 भाग, प्रकाश पिता ग्यारसी 1/4 भाग	भूमिस्वामी	55/1	0.970	0.070	0.000	0.000	-
3	रामसींग पिता सीताराम यादव नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	55/2	0.390	0.080	0.000	0.000	-
			117/1	0.130	0.130	0.000	0.000	-
			117/4	0.200	0.200	0.000	0.000	-
4	सुन्दर पिता दरऊ पता बण्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61/1	0.020	0.000	0.020	0.000	-
5	मठोले पिता दरऊ पता बण्डा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61/2	0.180	0.000	0.180	0.000	-

6	राजेश हरनाम पूरन पिता शोभा पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/1	0.930	0.110	0.000	0.010	कुआपक्का-1
7	ऑकार विनोद छोटेलाल ना वा पिस. व वली सुन्दर वल्द दरऊ परताप मनुवा कन्छेदी पिस. बुदईयां पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/4	0.370	0.000	0.150	0.000	-
8	इमरतसींग पिता ब्रजमोहन यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/1	1.850	0.360	0.000	0.000	बबूल-1
			187/1	0.750	0.750	0.000	0.000	पीपल-2
			190/1	1.050	1.050	0.000	0.000	बबूल-4
			238/1	0.930	0.930	0.000	0.000	सूलबबूल-1
			355	0.820	0.820	0.000	0.000	-
9	राजेन्द्र पिता भूपेन्द्रसींग अजय धमेन्द्र ना वा पिस. भूपेन्द्रसींग वली व खुद मां प्रागरानी बेवा भूपेन्द्रसिंह यादव सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/2	1.860	0.060	0.000	0.000	बबूल-2
10	गरीबे कलू मिहीलाल दम्भू श्यामा पिस. कटुलिया हीराबाई बेवा कटुलिया चमार सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64/1	0.510	0.510	0.000	0.000	-
			65/1	0.070	0.060	0.000	0.010	कुआपक्का-1
11	नंदलाल पिता रगवर पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64/2	0.800	0.800	0.000	0.000	-
			65/2	0.070	0.000	0.070	0.000	-
			67/2	0.370	0.000	0.370	0.000	-
12	पूरन उर्फ परसादी पिता रगवर जाति अहिरवार पता सादेह बा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	67/1	0.490	0.490	0.000	0.000	-
			74	0.740	0.730	0.000	0.010	बबूल-1 कुआपक्का-1
13	लीलाधर पिता घनीराम पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/1/1	0.590	0.000	0.030	0.000	-
			308	1.040	0.750	0.000	0.020	बबूल-8 सूलबबूल-24 रेजा-1, सेजा-1 नीम-1 छेवला-1 बेरी-3 नीबू-1 आवला-2 अमरुद-1 जामुन-2 माडनइमली-3 कुआपक्का-1 (दीवारे लकडी छत बरसाती- 4.10x6.10=25.01) (मंदिर दीवारे ईट आर.सी.सी - 2.30x2.20=5.06) (चबुतरापक्का- 6.80x6.60=44.88)
			313/4	0.020	0.020	0.000	0.000	-
			314/4	0.120	0.000	0.120	0.000	-
			314/5	0.500	0.500	0.000	0.000	-

14	शिवानी उर्फ सुरभि पुत्री राकेश यादव पता सा देह बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/2	0.920	0.030	0.000	0.000	—
			313/2	0.280	0.280	0.000	0.000	—
			314/2	0.390	0.390	0.000	0.000	—
15	रूपरानी बेवा सीताराम यादव नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/3	0.200	0.000	0.200	0.000	—
16	रामचंद्र पिता रगवर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/1	1.110	1.100	0.000	0.010	कुआपक्का-1
17	आजाद हरिमगवान सत्यनारायण राजेन्द्र पिस. रामरतन यादव पार्वती पुत्री रामरतन सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/2	0.550	0.540	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			69/3	0.550	0.550	0.000	0.000	—
18	सुब्बी मगन नंदराम पिता मकुन्दा देबका बाई बेवा मकुन्दा नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	70	0.710	0.710	0.000	0.000	—
			72	0.230	0.000	0.230	0.000	—
19	दीपक पिता गुलई पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी पूजा पुत्री गुलई पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.790	0.790	0.000	0.000	—
20	नंदलाल रामचन्द्र परसादी पिता रगवर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73/1	0.620	0.610	0.000	0.010	कुआपक्का-1
21	गरीबे परसादी पिता रगवर यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73/2	0.380	0.380	0.000	0.000	—
22	कमलेशरानी पति जसरत प्रसाद पता निवासी चित्तौली भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73/3	0.120	0.120	0.000	0.000	—
			109/1	0.020	0.020	0.000	0.000	—
			109/2	0.400	0.400	0.000	0.000	—
			141/3	0.200	0.200	0.000	0.000	—
			248	0.080	0.000	0.040	0.000	—
23	रामचंद्र पिता रगवर पता अहिरवार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73/4	0.120	0.000	0.120	0.000	—
24	गरीबा कलू मिहीलाल दमोदर पिस. रगवर श्याम ना बा पिता रगवर पालक मां हीराबाई बेवा रगवर पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	75	0.680	0.670	0.000	0.010	कुआपक्का-1
25	नंदलाल पिता कटुलिया रामचंद्र परसादी गरीबे कलू मिहीलाल दम्मू श्याम पिस. कटुलिया भूमि स्वामी हीराबाई वे. कटुलिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76	0.750	0.740	0.000	0.010	(मकान दीवारें ईट छत लकड़ी बरसाती- 3.40x2.30=7.8 2)
			78	0.080	0.000	0.080	0.000	—
26	कम्मू पिता कनैया अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/1	0.240	0.240	0.000	0.000	—
			140/1	0.590	0.590	0.000	0.000	—
			191	0.780	0.770	0.000	0.010	बेरी-1 कुआपक्का-1
27	निरपत पिता कनैया भनारी बेवा कनैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/2	0.250	0.000	0.250	0.000	—
			140/2	0.600	0.600	0.000	0.000	—
28	सुरेश सुल्तान इन्द्राज पिस. इमरतिया कुसुमबाई बेवा इमरतिया नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	77/3	0.250	0.000	0.250	0.000	—
			139	0.130	0.000	0.130	0.000	—
			140/3	0.470	0.470	0.000	0.000	—

29	गरीबा कलू मिट्टीलाल दामोदर श्यामा पिस. रगवर पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	79	0.050	0.000	0.050	0.000	—
30	हीरालाल पिता मंगली सा. पिपरिया इल्लाई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81/1	0.450	0.440	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			83	0.100	0.000	0.100	0.000	—
31	रामरानी पति जगतराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81/2	1.000	0.990	0.000	0.010	बेरी-5 (दीवारे ईट छत नही अर्धनिर्मित- 3.40x2.30=7.8 2)
32	देवेन्द्र दिनेश पिता कुंजीलाल जति अहिरवार चौधरी पता सादेह बंडा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81/3	1.200	1.200	0.000	0.000	—
33	मुन्ना पिता अच्छेलाल सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/1/1	0.030	0.030	0.000	0.000	—
34	रामसींग पिता अच्छेलाल सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/1/2	0.440	0.440	0.000	0.000	—
35	कृष्णाबाई पिता अच्छेलाल सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/1/3	0.440	0.440	0.000	0.000	—
36	वीरसींग पिता गरीबे यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/2	0.400	0.390	0.000	0.010	(मकान दीवारे ईट छत खपरैल — 5.60x3.90=21. 84)
37	राधारानी पुत्री पर्वत 1/6 भाग भूमि स्वामी मायारानी पुत्री पर्वत 1/6 भाग भूमि स्वामी गोपी पिता गंगाराम 1/3 भाग भूमि स्वामी मुल्ली पिता गंगाराम 1/3 पता सा. देह बंडा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86	0.800	0.800	0.000	0.000	—
			87	0.340	0.000	0.340	0.000	—
			88	0.350	0.000	0.350	0.000	—
38	चन्द्रभान पिता श्रीराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	90	0.750	0.600	0.000	0.000	रंजा-1 गुरार-1 केम-1
39	प्रभूदयाल रेवाराम नन्हे लाल गनेश प्रसाद पिस. कुंदन-लाल शिवनारायण पिता गंगाराम सा. पथरिया दीनदयाल भूमि स्वामी पिता गंगाराम सा. पिपरिया इल्लाई गनेश प्रसाद पिता गंगाराम सा. दमोह राजेश प्रसाद पिता गंगाराम भूमि स्वामी सा. पिपरिया इल्लाई, देवी पुत्री गंगाराम सा सागर रामकुमारी पुत्री गंगाराम सा. दमोह गुड्डीबाई पुत्री भूमि स्वामी गंगाराम सा. सागर पतासा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89	0.320	0.000	0.320	0.000	—
			92	0.800	0.800	0.000	0.000	—
40	माधवप्रसाद पि. चतुरभुज पता सा पिपरिया इल्लाई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	91	0.670	0.630	0.000	0.000	पीपल-1

41	दुरगाप्रसाद पिता खेमचंद सा. सागर चतुर्भुज धनप्रसाद पिस. भैयालाल शिवनरायण पिता गंगाराम सा पथरिया भूमि स्वामी स्टेशन दीनदयाल पिता गंगाराम सा. पिपरिया इल्लाई गनेश प्रसाद पिता गंगाराम सा. दमोह गुडडीबाई भूमि स्वामी पुत्री गंगाराम सा. सागर राजेश पिता गंगाराम सा. पिपरिया इल्लाई बेवी पुत्री गंगाराम सा. सागर भूमि स्वामी रामप्यारी पुत्री गंगाराम सा. दमोह प्रभूदयाल रेवाराम नन्हेलाल गनेश पिस. कुंदनलाल रामदुलैया भूमि स्वामी बेवा कुंदनलाल सा. पिपरिया इल्लाई चन्द्रभान पिता श्रीराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94	1.110	1.110	0.000	0.000	बबूल-1
42	गरीबा पिता शोभाराम पता सा पिपरिया इल्लाई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/1	0.900	0.840	0.000	0.000	बबूल-1
43	संतोष पिता श्रीराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/2	1.810	1.760	0.000	0.000	नीम-1 रेंजा-2 बबूल-4 बेरी-33
44	प्रभूदयाल उर्फ बेनीप्रसाद पिता बाबूलाल पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/3	0.900	0.690	0.000	0.000	--
			102	0.240	0.240	0.000	0.000	--
45	नर्मदा पुत्री राजाराम पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	96	0.800	0.800	0.000	0.000	--
46	विष्णु पिता श्रीराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97	2.290	2.270	0.000	0.020	नीम-2 बबूल-1 खेर-1 बेरी-5 कुआपक्का-1 (दीवारे ईट छत नहीं अर्धनिर्मित -- 5.30x3.00=15. 90)
47	संतोष पिता श्रीराम 1/8 भाग, विष्णु पिता श्रीराम 1/8 भाग, चन्द्रभान पिता श्रीराम 1/8 भाग, जगतराज पिता श्रीराम 1/8 भाग अनीता पुत्री श्रीराम 1/8 भाग, माया पुत्री श्रीराम 1/8 भाग सुदारानी पुत्री श्रीराम 1/8 भाग नंदरानी बेवा श्रीराम 1/8 भाग	भूमिस्वामी	98	2.080	1.990	0.000	0.000	बबूल-1 रेंजा-1 सेमर-1 जाचेर-1
48	पर्वत पिता हरिराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	99	0.160	0.150	0.000	0.010	रेंजा-1 बेरी-2 कुआपक्का-1
			101/2	0.480	0.360	0.000	0.000	--
			149/2	0.570	0.160	0.000	0.000	--

49	नरेश पिता गनेश जाति यादव पता सादेह बंडा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	115	0.140	0.140	0.000	0.000	—
50	विष्णु पिता गनेश पता सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी नरेन्द्र पिता गनेश पता सागर मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अरविन्द्र पिता रघुवीर पता सागर मध्यप्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी वीरेन्द्र पिता रघुवीर पता सागर मध्यप्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी संजयरानी बेवा रघुवीर पता सागर मध्यप्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	100	0.750	0.750	0.000	0.000	—
			104	0.090	0.000	0.090	0.000	—
			106	0.430	0.000	0.430	0.000	—
			113/4	0.400	0.400	0.000	0.000	—
			114	0.140	0.000	0.140	0.000	—
			116	0.210	0.000	0.210	0.000	—
			142	1.050	1.040	0.000	0.010	बबूल-2 बेरी-2 कुआपक्का-1
			311	0.170	0.000	0.170	0.000	गुरार-1 कोहा-4 सूलबबूल-3 रंजा-1
			332	0.290	0.000	0.230	0.000	बबूल-1
362	0.150	0.150	0.000	0.000	—			
51	रामबाबू मुकेश पिस. बलीराम अशोकरानी बेवा बलीराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/1	1.280	1.150	0.000	0.000	—
			134	0.130	0.130	0.000	0.000	—
52	रूपसींग पिता मथराप्रसाद प्रेमरानी बेवा मथराप्रसाद यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	103	0.370	0.370	0.000	0.000	—
			201/1	0.050	0.050	0.000	0.000	—
			340/1	0.020	0.000	0.020	0.000	—
			363	0.150	0.150	0.000	0.000	बबूल-1
			367	0.370	0.370	0.000	0.000	—
53	कलाबाई उर्फ कल्लोबाई पत्नी विश्वनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	105	0.530	0.530	0.000	0.000	—
54	मीनेश हाकम पिता कोमल जाति यादव पता बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	121	0.590	0.590	0.000	0.000	—
55	गजराजसींग पिता सूरतसींग यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	206	0.040	0.000	0.040	0.000	—
			211	0.040	0.000	0.040	0.000	रंजा-3 बबूल-3
			385	1.800	1.800	0.000	0.000	रंजा-1
			392	0.250	0.250	0.000	0.000	—
			393	0.310	0.310	0.000	0.000	कोहा-1
56	जगदीश पिता काशीराम यादव 1/3 भाग, कुलदीप पिता दयाचंद 1/12 भाग, नब्बो पुत्री दयाचंद 1/12 भाग, बबीता पुत्री दयाचंद 1/12 भाग, सुधारानी बेवा दयाचंद 1/12 भाग, हरीसींग पिता काशीराम यादव 1/3 भाग,	भूमिस्वामी	105/39 5	0.260	0.000	0.260	0.000	—
			197/1	0.600	0.600	0.000	0.000	नीम-1
			333	0.350	0.350	0.000	0.000	पीपल-1
			376	1.100	0.680	0.000	0.000	रंजा-2
			390	0.280	0.280	0.000	0.000	—
57	जानबाई पुत्री शिवलाल यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	107	0.910	0.910	0.000	0.000	—
			113/1	0.280	0.280	0.000	0.000	—
			113/3	0.640	0.640	0.000	0.000	—
			177/1	0.240	0.000	0.060	0.000	—

			326	0.490	0.050	0.000	0.000	—
			341	0.250	0.250	0.000	0.000	—
58	जगभान सींग पिता नाथूराम यादव, 1/4 भाग, महाराज सींग पिता नाथूराम यादव 1/4 भाग, रामराजा पिता नाथूराम यादव 1/4 भाग, राजाबेटी पुत्री नाथूराम यादव 1/4 भाग	भूमिस्वामी	108/1	0.400	0.000	0.400	0.000	—
			112/1	0.210	0.000	0.210	0.000	—
			364	0.040	0.000	0.040	0.000	—
			368/1	0.100	0.100	0.000	0.000	—
59	ठाकुरदास यादव पिता नोनलाल पता सेमराअहीर बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	108/2	0.280	0.280	0.000	0.000	—
			112/2/1	0.090	0.000	0.090	0.000	—
60	केशवराम पिता श्रीराम 1/4 भाग, रामेश्वर पिता श्रीराम 1/4 भाग, द्रोपती पुत्री श्रीराम 1/4 भाग, नंदरानी वेवा श्रीराम 1/4 भाग	भूमिस्वामी	108/3	0.420	0.420	0.000	0.000	—
			112/3	0.200	0.200	0.000	0.000	—
			368/3	0.100	0.100	0.000	0.000	—
61	कूरे पिता परसादी अहिरवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	108/4	0.120	0.120	0.000	0.000	—
62	हरिलाल पिता भोले कुंवरबाई बेवा भोले यादव पता सा मदैया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110	0.610	0.610	0.000	0.000	—
			123	0.430	0.430	0.000	0.000	—
			371/1	0.150	0.150	0.000	0.000	—
			374/1	0.480	0.480	0.000	0.000	—
63	रामसखी पति देवसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	111/1	0.190	0.190	0.000	0.000	—
64	हल्ले विजय पिस. परसादी अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	111/2	0.190	0.190	0.000	0.000	—
65	जगभान यादव पिता नत्थू यादव पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	112/2/2	0.120	0.000	0.120	0.000	—
			368/2	0.100	0.100	0.000	0.000	—
66	जानबाई जोजे कन्हैयालाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/2	0.560	0.560	0.000	0.000	—
			340/2	0.050	0.000	0.050	0.000	—
			386	1.540	1.540	0.000	0.000	सेमर-1 बबूल-1
			387/2	0.160	0.160	0.000	0.000	—
			388	0.120	0.120	0.000	0.000	—
67	रामसिंह बल्द सीताराम रूपरानी बेवा सीताराम पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/2	0.110	0.110	0.000	0.000	—
			122/2	0.390	0.390	0.000	0.000	—
			137/1	0.580	0.580	0.000	0.000	छेवला-1
68	पूरन पिता मुलू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	117/3	0.170	0.000	0.170	0.000	—
			122/1	0.390	0.000	0.390	0.000	—
69	मुंशी पिसा फुल्ले ब्रजेश पि. सिब्बू सोलावती पुत्री सिब्बू लखन, मीनेश, हाकम पिता कोमल, संतोषरानी वेवा कोमल पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119	0.500	0.500	0.000	0.000	—
			135	2.260	2.260	0.000	0.000	नीम-1 छेवला-2
			138/2	0.800	0.800	0.000	0.000	—
70	सरस्वती पुत्री अच्छेलाल मनीषा नीतू सुमंत्रा रामवती पुत्री शारदा पता बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	120	0.600	0.600	0.000	0.000	—
			124	1.630	1.630	0.000	0.000	पीपल-2
			132	0.060	0.000	0.060	0.000	—

71	दयाराम पिता पारीक्षित यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	125	0.240	0.240	0.000	0.000	—
			126/2	0.330	0.330	0.000	0.000	रेंजा-1 बबूल-1 बेरी-1
			204/2	0.650	0.630	0.000	0.020	कुआपक्का-1 (मकान दीवारे ईट छत लकडी बरसाती- 6.90x3.30=22. 77)
			312	0.300	0.300	0.000	0.000	—
72	मरीबाई पुत्री भगवानसींग पति नंदराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	126/1	0.370	0.370	0.000	0.000	—
			127/2	0.200	0.200	0.000	0.000	पीपल-1 खेर-1
			153/3	0.800	0.800	0.000	0.000	—
73	नंदराम पि. हीरालाल यादव गुडडीबाई शकुनकला हरनाम मोतीबाई रामदेवी पुत्रीया हीरालाल कुमतरानी बेवा हीरालाल यादव पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	127/1	0.560	0.560	0.000	0.000	—
			129	0.110	0.000	0.110	0.000	—
			144/2	0.100	0.100	0.000	0.000	—
			153/1	0.530	0.020	0.000	0.000	—
74	राहुल पिता रामनाथ यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	130	0.250	0.250	0.000	0.000	—
			131/1	0.530	0.530	0.000	0.000	—
			145/1	0.840	0.780	0.000	0.000	—
			147	1.330	1.330	0.000	0.000	रेंजा-1
			179/1	0.860	0.860	0.000	0.000	बबूल-1
			339/1	1.690	1.660	0.000	0.000	नीम-1 छेवला-2
75	ग्याप्रसाद पिता रघुनाथ यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/2	0.260	0.000	0.260	0.000	—
			145/2	0.830	0.670	0.000	0.000	—
			179/3	0.400	0.360	0.000	0.000	—
			189	0.270	0.000	0.270	0.000	—
			339/2	1.940	1.940	0.000	0.000	रेंजा-1
76	राजधर पिता रघुनाथ पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/3	0.790	0.790	0.000	0.000	—
			339/3	1.640	1.630	0.000	0.010	बबूल-3 कुआपक्का-1
77	सुखराम पिता मथराप्रसाद प्रेमरानी बेवा मथराप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	133	0.120	0.120	0.000	0.000	—
			201/2	0.060	0.000	0.060	0.000	—
			327	0.500	0.230	0.000	0.000	—
			340/3	0.030	0.030	0.000	0.000	—
			349	0.050	0.050	0.000	0.000	—
			351	0.080	0.080	0.000	0.000	—
			354/4	0.130	0.130	0.000	0.000	—
			384/2	0.450	0.440	0.000	0.010	रेंजा-2 कुआपक्का-1
78	पुष्पाबाई पति लक्ष्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	136/1	0.380	0.380	0.000	0.000	बबूल-1
			138/2	0.180	0.180	0.000	0.000	रेंजा-1 बबूल-1

79	रमेश पिता मुलू यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	136/3	0.320	0.320	0.000	0.000	—
80	सुरेन्द्र पिता रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	136/4	0.200	0.200	0.000	0.000	—
81	रामसींग पिता सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	137/2	0.390	0.000	0.390	0.000	—
82	रमेश पिता मुलू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	137/3	0.320	0.320	0.000	0.000	—
			182/1	0.750	0.730	0.000	0.020	गुरार-1 कुआपक्का-1 (दीवारे ईट की उपर टीनसेट- 7.10x3.00=21. 30)
83	रमेश पिता मुलू देवेन्द्र ना वा व बली मोहन पिता मुलू यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	138/1	0.580	0.580	0.000	0.000	—
84	रामसिंह पिता सीताराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	138/3	0.190	0.000	0.190	0.000	—
85	खलकसींग पिता धनीराम जाति यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/1	1.150	0.940	0.000	0.000	—
			313/1	0.700	0.700	0.000	0.000	—
			314/1	0.470	0.460	0.000	0.010	बबूल-5 कुआपक्का-1
86	राजेश राजकुमार रामस्वरूप रबि पिता महादेव श्रीबाई बेबा महादेव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/2	1.150	1.150	0.000	0.000	—
			313/3	0.300	0.300	0.000	0.000	—
			314/3	0.870	0.860	0.000	0.010	कुआपक्का-1
87	अमित पिता रामाधार पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी आकाश पिता रामाधार पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी अरविंद पिता रामाधार पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी कौशल्या बेबा रामाधार पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143/1	0.590	0.590	0.000	0.000	—
			144/3	0.400	0.400	0.000	0.000	—
			234/2	0.030	0.000	0.010	0.000	—
			346/4	0.220	0.220	0.000	0.000	—
88	गरीबे कलू मिहीलाल पिस. रगवर पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143/2	0.600	0.600	0.000	0.000	—
89	मिहीलाल पिता रगवर पता सेमरा अहीर बण्डा सागर मध्यप्रदेश	भूमिस्वामी	144/1 /1	0.200	0.200	0.000	0.000	—
90	नर्मदाबाई पति प्रभूदयाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/5	0.550	0.280	0.000	0.000	—
		भूमिस्वामी	234/3	0.020	0.000	0.020	0.000	—
91	कडोरी राजेन्द्र पिता गरीबे अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	144/1 /2	0.230	0.230	0.000	0.000	—
			144/1 /3	0.050	0.000	0.050	0.000	—

92	मीना पति मोतीलाल भारत नावा वलीम खुदमीना पत्नी मोतीलाल जाति अहिरवार पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	144/4	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			152/4	0.200	0.200	0.000	0.000	-
93	मु. इसराइल पि. मु. इस्माइल राशिदा पत्नि इसराइल पता निवासी सदर सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	146/1	0.430	0.000	0.430	0.000	बबूल-1
			186/1	0.040	0.000	0.040	0.000	-
94	मु. नौसाद पिता इस्माइल पता सा सदर सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	146/2	0.430	0.430	0.000	0.000	-
			186/3	0.040	0.000	0.040	0.000	-
95	लोटनसींग पिता लखन यादव पता सा विल्हनी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	148/2	0.600	0.540	0.000	0.000	-
96	राजकुमार पिता शोभाराम जाति यादव पता सेमरा अहीर बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150	1.510	0.040	0.000	0.000	-
			342	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			345	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			353	0.030	0.030	0.000	0.000	-
			354/1	0.940	0.940	0.000	0.000	बबूल-4
			359	0.200	0.200	0.000	0.000	-
378	0.630	0.500	0.000	0.000	बबूल-1			
97	राजू पि. खिलान पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151/2	0.540	0.300	0.000	0.000	-
98	परसराम श्यामलाल घनश्याम पिस. परमानंद कुसुमरानी बे. परमानंद इमरत बाई हरीबाई राजमणि पुत्रिया बखतसींग पता सा. रीछई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/1	0.160	0.020	0.000	0.000	-
			234/1	0.040	0.000	0.040	0.000	-
			346/3	0.180	0.180	0.000	0.000	-
99	भगवानसींग पिता पारीक्षित निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	153/2	0.630	0.120	0.000	0.000	-
100	प्रकाश पिता मुन्नीलाल यादव सा बिल्हनी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	154/1	0.760	0.450	0.000	0.000	-
101	गोविन्द पिता रतिराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	154/2	0.200	0.000	0.200	0.000	-
102	कुशुमरानी पत्नि इमरतसींग यादव सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	157/3	1.230	0.050	0.000	0.000	-
103	लालसींग पिता मथराप्रसाद प्रेमरानी बेवा मथराप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177/2	0.120	0.000	0.080	0.000	-
			327/2	0.510	0.490	0.000	0.000	-
			384/5	0.230	0.000	0.100	0.000	-
			387/1	0.160	0.160	0.000	0.000	-
			394	0.320	0.320	0.000	0.000	रेंजा-1 कोहा-1
104	प्रागरानी वे. भूपेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	178	0.640	0.020	0.000	0.000	-
			187/2	0.750	0.750	0.000	0.000	पीपल-1
			190/2	1.060	1.060	0.000	0.000	रेंजा-1 खेर-1
			238/2	0.290	0.240	0.000	0.000	-
105	कमलेशरानी पति रामसिंह यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	179/2	0.470	0.450	0.000	0.000	-

106	श्रीदेवहनुमानजी मंदिर देह मुह. राधेश्याम पिता बंदी नारायण एवं प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	180	0.630	0.630	0.000	0.000	बबूल-1
			200	0.120	0.000	0.120	0.000	--
107	फूलसींग बबू लखन पिस. मकुन्दी पता सा बिलहनी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	181	1.290	1.290	0.000	0.000	--
108	मोहन पिता मुलू पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182/2	0.740	0.740	0.000	0.000	--
109	कामताप्रसाद पिता तुलसीराम मिश्रा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	183/1	2.230	2.230	0.000	0.000	बबूल-2 रेंजा-1
			205/2	0.020	0.000	0.020	0.000	--
110	राधेश्याम पिता बंदीप्रसाद मिश्रा सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	183/2	2.240	2.240	0.000	0.000	--
			205/1	0.020	0.000	0.020	0.000	--
111	जगदीश पिता राधेश्याम पता सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी शिवम् पिता जगदीश पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	183/3	0.880	0.870	0.000	0.010	सागोन-1 माडन इमली-1 कुआपवका-1
			205/3	0.060	0.000	0.060	0.000	--
112	शिवराज पिता नदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	184/1	0.620	0.620	0.000	0.000	--
113	चेनसिंह यादव पिता रामनारायण पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	184/2	0.100	0.100	0.000	0.000	--
			184/3	0.100	0.100	0.000	0.000	--
			185	0.600	0.600	0.000	0.000	--
114	अबू ना बा वल्द व बली इमरतसिंह पिता बिहारीलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186/2	0.460	0.460	0.000	0.000	--
115	इमरान पिता रशीद पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	188	1.100	1.100	0.000	0.000	बबूल-1
116	मुकेशरानी पति रामनारायण यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237/2	0.230	0.230	0.000	0.000	--
117	मेनकारानी उर्फ अनीता पत्नी रामगोपाल यादव पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	192	1.080	1.080	0.000	0.000	--
118	जगदीश प्रसाद पिता राधेश्याम मिश्रा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195	0.870	0.870	0.000	0.000	--
119	सतीश ना0बा0 पिता श्रीराम बली माँ कमलाबाई वेवा श्रीराम 1/3 भाग, जित्तू ना0बा0 पिता श्रीराम बली माँ कमलाबाई वेवा श्रीराम 1/3 भाग, कमलाबाई वेवा श्रीराम 1/3 भाग	भूमिस्वामी	196	0.200	0.000	0.200	0.000	--
120	संदेश ना वा पिता प्रदीप वली माँ खुद उमादेवी बेवा प्रदीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	197/2	0.310	0.000	0.310	0.000	बबूल-1
121	पप्पू पिता गजराज यादव पता सेमरा अहीर बंडा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198	0.070	0.000	0.070	0.000	--
			375	1.140	0.800	0.000	0.000	रेंजा-1

122	गजेन्द्र पिता घूमन 1/3 भाग, माया पुत्री घूमन 1/3 भाग, ममता पुत्री घूमन 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199/1	0.080	0.000	0.080	0.000	—
			347	0.700	0.700	0.000	0.000	बबूल-1
			371/3	0.170	0.170	0.000	0.000	पीपल-2
			374/3	0.480	0.480	0.000	0.000	—
			380/1	0.290	0.230	0.000	0.000	बबूल-1
123	कडोरी पिता रासेवक रावरानी बेवा रामसेवक यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199/2	0.080	0.000	0.080	0.000	बबूल-1
			371/2	0.430	0.430	0.000	0.000	—
			374/2	0.480	0.480	0.000	0.000	—
			380/2	0.290	0.240	0.000	0.000	बबूल-1 पीपल-1
124	महेश पिता छोटे लाल जागेश्वर रामसींग पिस. महेश यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	202/1	0.030	0.000	0.030	0.000	—
			361/1	0.190	0.190	0.000	0.000	—
			369/1	0.240	0.240	0.000	0.000	—
			373/1	0.360	0.000	0.360	0.000	—
125	वूरामन दुलीचंद टीकाराम पिता जयराम रातकारानी बेवा जयराम पार्वती पुत्री जयराम अशिकी पुत्री दानबाई राजाराम पति दानबाई पुत्री जयराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	202/2	0.030	0.000	0.030	0.000	—
			361/3	0.200	0.200	0.000	0.000	—
			372/1	0.280	0.280	0.000	0.000	—
			373/2	0.300	0.000	0.300	0.000	बेरी-1
126	श्रीदेवहनुमानजी मंदिर मुह. हीरालाल पिता भागीरथ यादव प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा देह भूमि स्वामी.	भूमिस्वामी	203	0.130	0.000	0.130	0.000	—
127	मेघनंद पिता दयाराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204/3	1.100	1.100	0.000	0.000	बबूल-16 रुसल्ला-1 बेरी-1
128	जानबाई पुत्री शिवलाल पति कन्हैयालाल जाति यादव 1/14 भाग, मथराप्रसाद पिता बलू 1/14 भाग, जगभानसींग पिता नाथूराम 1/56 भाग, महाराज सींग पिता नाथूराम 1/56 भाग, रामराजा पिता नाथूराम 1/56 भाग, राजाबेटी पुत्री नाथूराम 1/56 भाग, ठाकुरदास पिता नोनेलाल 1/14 भाग, शोभाराम पिता चतरे 1/7 भाग, बैजनाथ पिता लक्ष्मीप्रसाद 1/21 भाग, भूपेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद 1/21 भाग, शेवरानी बेवा लक्ष्मीप्रसाद 1/21 भाग, राजरानी बेवा सूरतसींग 1/14 भाग, विष्णु पिता गनेश 1/84 भाग, रगवीर पिता गनेश 1/84 भाग, नरेन्द्र पिता गनेश 1/84 भाग, राधारानी बेवा गनेश 1/84 भाग, हरीराम पिता खुमान 1/21 भाग, काशीराम पिता	भूमिस्वामी	207	0.030	0.000	0.030	0.000	पीपल-1
			208	0.100	0.000	0.100	0.000	—
			357	0.230	0.230	0.000	0.000	—

	खुमान 1/21 भाग, शारदा पुत्री अच्छेलाल 1/21 भाग, रामदुलारी वेवा माखन 1/21 भाग, रामरानी वेवा वेवा अच्छेलाल 1/21 भाग, गजराज पिता सूरतसींग 1/14 भाग भूमि स्वामी							
129	प्रभूदयाल पि. बाबूलाल बगै निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	222/1	0.060	0.000	0.030	0.000	-
130	रामगोपाल पिता हीरालाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	222/3	0.040	0.010	0.000	0.000	-
			237/1	1.780	1.740	0.000	0.020	बबूल-6 बेरी-1 कुआपक्का-1 (मकान दीवारे ईट की छत टीनशेड- 5.30x3.60=19. 08)
131	नाथूराम पिता श्रीराम ठाकुरदास पिस. नोनेलाल बाई किसना पुत्रियां नोनेलाल सा ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	247	0.080	0.000	0.050	0.000	-
			344	0.100	0.100	0.000	0.000	-
132	विनीता पिता भगवानसींग पति रामजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	315	1.020	1.020	0.000	0.000	बेरी-2
133	अजय वल्द भूपेन्द्र सींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	317/2	1.800	0.100	0.000	0.000	बबूल-4 बेरी-3
134	बीरसींग पिता हीरालाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	319	3.070	1.390	0.000	0.010	छेवला-1 बबूल-1 बेरी-3 नीबू-2 कुआपक्का-1
135	भूपेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद 1/2 भाग, जयराम पिता बैजनाथ 1/8 भाग, रामस्वरूप पिता बैजनाथ 1/8 भाग, चंदा पुत्री बैजनाथ 1/8 भाग, कमलेशरानी वेवा बैजनाथ 1/8 भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	334	0.410	0.240	0.000	0.000	-
			343	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			365	0.080	0.080	0.000	0.000	रेंजा-1 बबूल-1
			370	3.780	3.780	0.000	0.000	बबूल-1 रेंजा-2
			379	0.220	0.180	0.000	0.000	-
136	सरस्वती पति गरीबा पता सा पिपरिया इल्लाई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	335	0.470	0.470	0.000	0.000	-
			336	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			337	0.400	0.400	0.000	0.000	-
137	ग्याप्रसाद राजधर पिता रघुनाथ राहुल पिता रामनाथ यादव पता सा देह बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	339/3 96	0.740	0.740	0.000	0.000	छेवला-2
138	बैजनाथ डिल्ली पिता लक्ष्मीप्रसाद पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	346/1	0.660	0.660	0.000	0.000	सेमर-1 छेवला-4 अस्तो-1
139	महेश पिता छोटेलाल यादव सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	346/2 /1	0.140	0.140	0.000	0.000	

		भूमिस्वामी	348/1	0.070	0.070	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	350/2 /1	0.020	0.020	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	352/1	0.160	0.160	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	354/3 /1	0.090	0.000	0.090	0.000	
140	महेश पिता छोटेलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	346/5	0.040	0.000	0.040	0.000	
		भूमिस्वामी	346/2 /2	0.130	0.130	0.000	0.000	
141	चूरामन टीकाराम, दुलीचंद पिता जयराम रातकारानी बेवा जयराम, दानबाई, पार्वती पुत्री जयराम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	348/2	0.030	0.030	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	350/2 /2	0.010	0.010	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	352/2	0.080	0.080	0.000	0.000	
		भूमिस्वामी	354/3 /2	0.040	0.000	0.040	0.000	
142	श्रुगाररानी पति रूपसींग निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	360/1	0.130	0.000	0.130	0.000	-
143	महेश प्रसाद पिता छोटेलाल यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	360/2	0.120	0.000	0.120	0.000	खेर-1
144	दीनदयाल ना वा वल्द वली पुष्पेन्द्र यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	361/2	0.130	0.130	0.000	0.000	-
145	गुब्दी विजय सुखलाल पिस. रतिराम यादव सदरानी बेवा रतिराम यादव दीनदयाल पिता रतिराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	361/4	0.160	0.000	0.160	0.000	-
			369/2	0.170	0.170	0.000	0.000	छेवला-1
			372/2	0.270	0.000	0.270	0.000	-
			373/3	0.440	0.440	0.000	0.000	-
146	राजा हल्के ना वा बबली बा. रेखा ना वा पुत्री मन्नू पालक व खुद मां रामवती बेवा मन्नू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	361/5	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			369/3	0.080	0.000	0.080	0.000	-
			373/4	0.220	0.000	0.220	0.000	बबूल-1
147	बैजनाथ प्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद पता सा ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	366	0.130	0.130	0.000	0.000	-
148	सदरानी पत्नि रतिराम यादव पता सा देह बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	389	0.120	0.000	0.120	0.000	-
149	अमोलरानी जोजे गजराज यादव पता सा सेमराअहीर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	391/1	0.040	0.040	0.000	0.000	बबूल-1
150	इसराईल पिता मोहम्मद इस्माईल कसाई पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	391/2	0.440	0.440	0.000	0.000	-
कुलयोग:-			332	163.780	127.950	12.300	0.300	

2- परियोजनातर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

- 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 - (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 - (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 - (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (7) यथेचित पंचायत घर
 - (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
 - (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
 - (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
 - (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
 - (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
 - (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
 - (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
 - (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - (16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
 - (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
 - (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
 - (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
 - (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
 - (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि

न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 64-अ-82-21-22-भू-अर्जन-23-2240

सागर, दिनांक 14 मार्च 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्ति की सम्यक जांच उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित मकान इत्यादी की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रभावित भूमि पर स्थित मकान इत्यादी के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों जिनका प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववती तीन वर्षों से लगातार निवास होना पाया जावेगा, का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित है। अतः प्रभावित मकान इत्यादी के अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : बमूरा बिनैका
4. पट.ह.नं.- : 10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 9275.30 वर्गमीटर

:: अनुसूची ::

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.में)	धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	अर्जित मकान में प्रभावित व्यक्ति का पूर्ववती तीन वर्षों से स्थायी निवास है अथवा अस्थाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय (आबादीगोठान)	85	धनु पिता भगोले	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का शौचालय दीवार ईट छत नहीं योग:-	32.20 1.44 33.64	निरंक	स्थाई निवास
2	शासकीय (आबादीगोठान)	85	ताती पिता धनु अहिरवार (पत्नि मालतीबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा पी.एम. आवास पक्का छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा दहलान दीवार पत्थर छत सीमेंटसीट दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती शौचालय दीवार ईट छत नहीं	38.00 23.25 13.16 4.70 5.64 1.44 86.19	निरंक	स्थाई निवास

3	शासकीय (आबादीगोवठान)	85	शानिदेव मंदिर सार्वजनिक	मंदिर पक्का गुम्बज सहित फर्श पक्का	1.92	निरक	निवास हेतु उपयोग नहीं
				योग:-	1.92		
4	शासकीय (आबादीगोवठान)	85	जालम पिता मकुन्दी अहिरवार (पत्नि फूलवती)	मकान पक्का दीवार ईट छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	23.40	निरक	स्थायी निवास
				मकान पक्का दीवार पत्थर की छत खपरैल	21.00		
				दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	20.10		
				पीएम आवास पक्का छत आरसी.सी. फर्श पक्का	26.40		
				गौशाला दीवार लकड़ी बरसाती	15.20		
				दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	14.40		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	2.24		
				नहानी दीवार ईट छत बरसाती	2.24		
5				0	0	धर्मराज पुत्र (पत्नि रीना)	स्थायी निवास
6				0	0	कमल पिता मकुन्दी (पत्नि रूपरानी)	स्थायी निवास
				योग:-	124.98		
7	शासकीय (आबादीगोवठान)	85	खद्योरी पिता मकुन्दी अहिरवार	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	27.51	निरक	अस्थायी निवास
				गौशाला दीवार लकड़ी छत त्रिपाल	20.10		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत त्रिपाल	15.20		
				योग:-	62.81		
8	शासकीय (आबादीगोवठान)	85	अशोक पिता मंगल सौर	गौशाला दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	25.20	निरक	अस्थायी निवास
				योग:-	25.20		
9	शासकीय (खलियान)	107	राजासींग पिता विजयसींग (पत्नि सूरजबाई)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी. फर्श पक्का	28.00	निरक	स्थायी निवास
				मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी. फर्श पक्का	17.64		
				मकान दीवार ईट की छत टीनसेट	28.80		
				दहलान पिल्लर छत टीनसेट फर्श पक्का	28.80		
				जीना पक्का ईट+फर्शी का	4.80		
10				0	0	निकिता पुत्री (अविवाहित)	स्थायी निवास
11				0	0	राहुल पिता राजासिंह (अविवाहित)	स्थायी निवास
				योग:-	108.04		
12	शासकीय (खलियान)	107	भीकमसिंह पिता विजय सिंह (पत्नि राधाबाई) बसंत पिता विजयसिंह (पत्नि द्रोपति)	मकान पक्का दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	50.76	निरक	स्थायी निवास
				दहलान पिल्लर आर.सी.सी के छत नहीं	50.76	निरक	निवास संबंधी दस्तावेज पेश नहीं करने से अस्थायी किया गया है
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	22.50		
				योग:-	124.02		

13	शासकीय (खलियान)	107	हरप्रसाद पिता लक्ष्मण सौर (पत्नि रामकली)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	67.98	निरंक	स्थायी निवास
				पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	23.76		
				दहलान दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	18.81		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत पन्नी लकड़ी	17.20		
				शौचालय पक्का ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
				शौचालय पक्का ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
14				0	0	सावित्री देवी पत्नि लक्ष्मण सौर	स्थायी निवास
			योग:-		130.63		
15	शासकीय (खलियान)	107	पप्पू पिता दौलत रावत	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल फर्श कच्चा	17.68	निरंक	स्थायी निवास
				पी.एम.आवास पक्का छत टीनसेट	19.25		
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	11.96		
				शौचालय पक्का ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
			योग:-		50.33		
16	शासकीय (खलियान)	107	पहारी पिता कनई सौर (पत्नि मुन्नीबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	30.40	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल कच्चा	20.28		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत खपरैल फर्श कच्चा	16.00		
				पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	29.90		
				जीना पत्थर का	3.60		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
			योग:-		101.62		
17	शासकीय (खलियान)	107	खेमा बेवा हल्काई सौर	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	30.96	निरंक	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	30.96		
				दहलान पिलर लकड़ी छत टीनसेट	5.00		
				पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी	27.72		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
			योग:-		96.08		
18	शासकीय (खलियान)	107	जसरत पिता हल्काई	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	27.95	निरंक	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	27.95		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी	16.25		
				पी.एम. आवास पक्का बिना प्लास्टर छत नही	23.80		
			योग:-		95.95		
19	शासकीय (खलियान)	107	स्थुवीर पिता लोटन लोधी (पत्नि दीक्षा) जयराम पिता भरतसिंह लोधी (पत्नि प्रियका)	किराना दुकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	31.20	निरंक	अस्थायी
				दहलान दीवार ईट की छत टीन शैड फर्श पक्का	28.80	निरंक	अस्थायी निवास
				जीना पक्का आर.सी.सी का	5.98		
			योग:-		65.98		

20	शासकीय (खलियान)	107	सीताराम पिता कुंजी लाल सौर (पत्नि सविता)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	24.51	निरंक	स्थाई निवास
				नहानी दीवार ईट छत नहीं	1.96		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
21				0	0	सोशनी पुत्री (अविवाहित)	स्थाई निवास
				योग:-	27.91		
22	शासकीय (खलियान)	107	हल्लू पिता पद्मी सौर (पत्नि टीकाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	27.00	निरंक	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल दीवार ईट की	27.00		
				पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	29.25		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	15.00		
				मकान दीवार ईट की प्लास्टर नहीं छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	22.05		
				नहानी दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.96		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
23				0	0	रामू पिता हल्लू (अविवाहित)	स्थाई निवास
				योग:-	123.70		
24	शासकीय (खलियान)	107	चंदू पिता हल्लू (पत्नि कमला)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	36.04	निरंक	स्थाई निवास
				योग:-	36.04		
25	शासकीय (खलियान)	107	गोमतीबाई बेवा बाबूसिंह गोड़	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	30.10	निरंक	स्थाई निवास
				मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी.	35.26		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
				योग:-	66.80		
26	शासकीय (खलियान)	107	द्रोपतिबाई बेवा महीप सिंह लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत टीनसेट फर्श कच्चा	37.45	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत टीनसेट	37.45	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	35.15		
				मकान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा	64.68		
			अरविंद पिता महीप सींग (पत्नि कल्लोबाई)	गैरिज दीवार ईट की छत खपरैल	21.90		
				बाउपड़ी वॉल ईट+गेट लोहे का	8.40		
				नहानी दीवार ईट छत नहीं	3.08		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
				योग:-	209.55		
27	शासकीय (खलियान)	107	रमली पिता बुदन सौर (पत्नि शीलरानी)	पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	20.72	निरंक	स्थाई निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	25.20		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	23.52		
				दहलान पीछे की दीवार लकड़ी छत बरसाती	6.48		
				शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग	77.36		

28	शासकीय (खलियान)	107	इमरत पिता तिजई सौर (पत्नि कमलेश रानी)	दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	10.64	निरंक	स्थाई निवास
				मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	21.60		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती	6.00		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती	12.90		
				पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	28.29		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
29				0	0	चंदन पिता इमरत (अविवाहित)	स्थाई निवास
30				0	0	धनीराम पिता इमरत (अविवाहित)	स्थाई निवास
				कुल योग	80.87		
31	शासकीय (खलियान)	107	गंगाबाई बेवा मंगल आदिवासी	पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	27.74	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट+पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	14.25		
				शौचालय पक्का छत नहीं	5.04		
32				0	0	अशोक पिता मंगल (पत्नि माया)	स्थाई निवास
				कुल योग	47.03		
33	शासकीय (खलियान)	107	हरप्रसाद पिता तिजई आदिवासी (पत्नि गीताबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.80	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल	11.78		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग	38.02		
34	शासकीय (खलियान)	107	भागीरथ पिता सूरत सौर (पत्नि मीराबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	34.71	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान लकड़ी बरसाती	7.20		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत टीनसेट फर्श कच्चा	15.60		
				नहानी दीवार ईट छत नहीं	4.00		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	5.58		
				कुल योग	67.09		
35	शासकीय (खलियान)	107	जगदीश पिता सूरत सौर (पत्नि जमना)	पी.एम. आवास पक्का लेंटर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	18.00	निरंक	स्थाई निवास
				मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	11.22		
				दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	7.59		
				मकान दीवार ईट की छत टीनसेट	18.50		
36				0	0	फूलबाई बेवा सूरज सींग	स्थाई निवास
				कुल योग	55.31		
37	शासकीय (खलियान)	107	भरत पिता सूरतसिंग सौर (पत्नि पार्वती)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	18.81	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट	13.11		
				गौशाला दीवार लकड़ी बरसाती	25.08		
				दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	13.60		
				कुल योग	70.60		

38	शासकीय (खलियान)	107	खिलान पिता छोटे लाल अहिरवार (पत्नि हीराबाई)	पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	25.30	निरंक	स्थाई निवास
				मकान पक्का दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर लेटर फर्शपक्का	34.72		
				मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	31.62		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	11.21		
				मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	22.05		
				गौशाला दीवार ईट की छत बरसाती फर्श कच्चा	8.36		
				दहलान पीछे की दीवार ईट छत खपरैल	17.60		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	4.60		
				जीना पत्थर का	1.26		
				जीना पत्थर का	0.84		
				नहानी दीवार ईट की छत नही	3.24		
				शौचालय-2 दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	2.88		
				39			
40			0	0	रामभैया पिता खिलान (अविवाहित)	स्थाई निवास	
41			0	0	संतसीग पिता खिलान (अविवाहित)	स्थाई निवास	
				कुल योग	163.68		
42	शासकीय (खलियान)	107	नंदराम पिता वारे लाल अहिरवार (पत्नि गजराणी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	80.75	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	9.60		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.86		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
43			0	0	नीरज पिता नंदराम (अविवाहित)	स्थाई निवास	
44			0	0	बारे लाल पिता कमोदी	स्थाई निवास	
				कुल योग	118.65		
45	शासकीय (खलियान)	107	प्रभान पिता स्व. कनई सौर (पत्नि रामवती)	पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	28.00	निरंक	स्थाई निवास
				छज्जा पी.एम आवास का	4.80		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	59.45		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	16.10		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	11.44		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		

46	शासकीय (खलियान)	107	पुरुषोत्तम पिता शंकर सौर (पत्नि दशोदाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	49.95	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	14.40		
				पी.एम.आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	30.15		
				मकान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	30.15		
				दहलान छत फर्शी गाटर कक्रीट फर्श पक्का	19.47		
				गौशाला दीवार ईट छत नहीं	23.76		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
47				0	0	शंकर पिता कुटुंब	स्थाई निवास
				कुल योग	169.32		
48	शासकीय (खलियान)	107	देशराज पिता माखनलाल	मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	29.23	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग	30.67		
49	शासकीय (खलियान)	107	112. प्रवीन पिता माखन लाल सौर (पत्नि रुकमन) 113. विजय पिता माखनलाल सौर (पत्नि भारती)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	29.82	निरंक	स्थाई निवास
				पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	28.60	निरंक	स्थाई निवास
				कुल योग	58.42		
50	शासकीय (खलियान)	107	हीरालाल पिता तेजीलाल अहिरवार (पत्नि चन्द्ररानी)	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	21.20	निरंक	अस्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	6.90		
				मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	30.00		
				दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	5.29		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	8.00		
				कुल योग	71.39		
51	शासकीय (खलियान)	107	द्रोपती बाई बेया रंधीर	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	62.37	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	23.76		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	25.80		
				पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	32.80		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				52			
53				0	0	दयाराम पिता रंधीर (अविवाहित)	स्थाई निवास
54				0	0	देवकरन पिता रंधीर (अविवाहित)	स्थाई निवास
				कुल योग	146.17		

55	शासकीय (खलियान)	107	भागीरथ पिता नंदराम अहिरवार (पत्नि सीमाबाई)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	31.39	निरंक	स्थायी निवास
					कुल योग	31.39	
56	शासकीय (खलियान)	107	संतोष पिता नंदराम अहिरवार	मकान दीवार ईट+पत्थर की छतफर्शी गाटर कक्रीट फर्श पक्का	41.60	निरंक	स्थायी निवास
				गौशाला दीवार ईट लकड़ी छत टीनसेट फर्श कच्चा	27.26		
				दहलान पिलर लकड़ी के छत बरसाती	14.00		
				शौचालय पक्का छत नहीं	1.44		
					कुल योग	84.30	
57	शासकीय (खलियान)	107	कारस देव चबूतरा (निर्माता समस्त ग्रामवासी)	चबूतरा पक्का पत्थर का	14.44	निरंक	अस्थायी निवास
					कुल योग	14.44	
58	शासकीय (खलियान)	107	मुन्नालाल पिता रामकरन सौर (पत्नि कमलाबाई)	पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	29.60	निरंक	स्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	63.18		
				गौशाला दीवार पत्थर छत बरसाती	8.97		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
59				0	0	देवीसींग पिता मुन्नालाल (अविवाहित)	स्थायी निवास
					कुल योग	103.19	
60	शासकीय (खलियान)	107	कमलेश पिता छोटेला अहिरवार (पत्नि चन्द्रवती)	पी.एम. आवास पक्का छत टीनसेट फर्श पक्का	27.30	निरंक	स्थायी निवास
				पुराना मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	25.74		
				दहलान पिल्लर ईट छत बरसाती	24.18		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
61				0	0	पूनाबाई पति छोटेला	स्थायी निवास
					कुल योग	78.66	
62	शासकीय (खलियान)	107	गोपाल पिता छोटेला	मकान दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती निवास योग्य नहीं है।	12.00	निरंक	अस्थायी निवास
					कुल योग	12.00	
63	शासकीय (खलियान)	107	भूरेसींग पिता भगवतसींग गौड़ (पत्नि कमलाबाई)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी. फर्श पक्का	32.76	निरंक	स्थायी निवास
				मकान पक्का दीवार ईट की छत फर्शी गाटर कक्रीट फर्श पक्का	34.80		
				दहलान दीवार लकड़ी पत्थर छत खपरैल	8.00		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	38.70		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	27.00		
				मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	32.39		
				जीना पत्थर का	3.06		
				बाउण्ड्री वॉल ईट की पिल्लर आर.सी.सी सहित	6.50		
				पानी की पक्की होदी, पानी की होदी जमीन के अन्दर (टैंक)	3.78		

				नहानी दीवार ईट छत टीनसेट	8.00		
				शौचालय पक्का छत नहीं	4.00		
				शौचालय पक्का छत नहीं	1.92		
64				0	0	रोहन पिता भुरेसींग (पत्नि लीला)	स्थायी निवास
				कुल योग	200.91		
65	शासकीय (खलियान)	107	शिबूसिंह पिता विजयसींग लोधी (पत्नि रेखा)	मकान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	104.00	निरंक	स्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की पक्की छत टीन शेड फर्श कच्चा	38.76	निरंक	स्थायी निवास
			हरीसींग पिता विजय सींग लोधी (पत्नि रानी) 1/2	मकान पक्का दीवार ईट की आर.सी.सी. फर्श पक्का	23.78		
				जीना पत्थर का पक्का	5.20		
				नहानी दीवार ईट छत नहीं	2.34		
				शौचालय दीवार ईट छत फर्शी	1.44		
				कुल योग	175.52		
66	शासकीय (कन्निरस्तान)	109	मुनीमसिंह पिता जगतसिंह लोधी (पत्नि जगबाई)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर सी.सी. फर्श पक्का	320.40	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की लोहे का गेट सीमेंट पिल्लर तीन शौचालय किचिन सहित छत टीनसेट	101.40	निरंक	स्थायी निवास
			विजय सिंह पिता जगतसिंह (पत्नि मीनाबाई)	दहलान दीवार ईट छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	42.00		
				गौशाला दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	32.40	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	37.70		
			भरतसिंह पिता जगतसिंह (पत्नि धर्मबाई)	गौशाला दीवार ईट की छत टीनसेट	16.56	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की उपर टीनसीट	42.80		
				नहानी दीवार ईट छत नहीं फर्श पक्का	8.16	निरंक	स्थायी निवास
				पानी की पक्की होदी	18.24		
			गोकलसिंह पिता लोटनसिंह (पत्नि बोटोबाई)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी. फर्श पक्का	44.40		
				मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी. फर्श पक्का	40.80	निरंक	स्थायी निवास
				नहानी दीवार ईट उपर सीमेंट सीट	34.22		
				पक्के पिल्लर दीवार ईट छत आर.सी.सी	11.00		
				जीना पक्का आर सी सी का	4.56		
			गजराजसिंह पिता जगतसिंह (पत्नि सरीताबाई)	जीना आरसीसी पक्का	4.56		
				पक्के पिल्लर दीवार ईट छत आरसीसी	11.00		
				पक्के पिल्लर फर्श पक्का छत नहीं	17.02		
				पक्के पिल्लर फर्श पक्का छत नहीं	17.02		
			सखीबाई बेवा लोटन सिंह	जीना फर्शी का और लोहे का गेट	13.68		
67				0	0	राजकुमार पिता मुनीम (पत्नि मारती)	स्थायी निवास
68				0	0	रामदेवी पिता मुनीम (अविवाहित)	स्थायी निवास
69				0	0	आदर्श पिता लोटनसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
70				0	0	ब्रजेश पिता लोटनसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास

71				0	0	रघुवीर पिता लोटनसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
				योग-	817.92		
72	शासकीय (आबादीगोवठान)	112/2	शासकीय प्राथमिक शाला	भवन पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का भवन पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का किचन पक्का छत गाटर फर्शी लेटर फर्श पक्का शौचालय दीवार ईट छत गाटर फर्शी शौचालय दीवार ईट छत नहीं	60.35 24.05 12.87 8.80 10.75	निरंक	अस्थायी निवास
				योग:-	116.82		
73	शासकीय (आबादीगोवठान)	112/2	सामुदायिक भवन	भवन पक्का दीवार ईट की छत आर.सी. सी. फर्श पक्का	56.25	निरंक	अस्थायी निवास
					56.25		
74	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	रामसिंह पिता सुखलाल आदिवासी (पत्नि रामबाई)	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा शौचालय छत सीमेंट सीट	21.88 12.54 1.44	निरंक	स्थायी निवास
75				0	0	कृपाल पिता रामसिंह (अविवाहित)	स्थायी निवास
76				0	0	भामाबाई पति सुखलाल	स्थायी निवास
				कुल योग :-	35.86		
77	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	महेन्द्र पिता किशन आदिवासी (पत्नि भागबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	11.07	निरंक	अस्थायी
				कुल योग :-	11.07		
78	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	प्रकाश पिता श्यामलाल आदिवासी (पत्नि ममता)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	31.08 7.20 1.44	निरंक	स्थायी निवास
				कुल योग :-	39.72		
79	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	टीकाराम पिता हरीराम आदिवासी (पत्नि पुष्पाबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	34.44 15.75 1.44	निरंक	स्थायी निवास
				कुल योग :-	51.63		
80	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	मुलाबाई बेवा मुकुन्दी आदिवासी	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत बरसाती दहलान दीवार लकड़ी उपर बरसाती	25.42 7.92	निरंक	स्थायी निवास
				कुल योग :-	33.34		
81	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	काशीराम पिता श्यामलाल आदिवासी (पत्नि गेंदाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती जीना पत्थर का	25.20 11.80 2.40	निरंक	स्थायी निवास
				कुल योग :-	39.40		

82	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	बलराम पिता रामकरण आदिवासी (पत्नि मीराबाई)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	27.20	निरंक	स्थायी निवास
83				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.00		
84				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				0	0	राकेश पिता बलराम (पत्नि देवकी)	स्थायी निवास
				0	0	प्रेमबाई पति रामकरण	स्थायी निवास
				कुल योग :-	52.64		
85	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	श्यामलाल पिता फददी आदिवासी (पत्नि सीताबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में लकड़ी पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	24.80	निरंक	स्थायी निवास
86				उपरी मंजिल	24.80		
				दहलान दीवार पत्थर की छत बरसाती	15.50		
				0	0	आकाश पिता श्यामलाल (पत्नि पूजा)	स्थायी निवास
				कुल योग :-	65.10		
87	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	गजराज पिता तुलसी आदिवासी (पत्नि आशोबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में लकड़ी पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	19.20	निरंक	स्थायी निवास
88				उपरी मंजिल	19.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा	6.44		
				दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	5.06		
				गौशाला दीवार लकड़ी की छत बरसाती	17.64		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				0	0	कुसमरानी पत्नि तुलसी	स्थायी निवास
				कुल योग :-	68.98		
89	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	मीराबाई बेवा कड़ोरी आदिवासी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	27.51	निरंक	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	27.51		
				दहलान दीवार पत्थर की छत नहीं	9.48		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्श गाटर फर्श कच्चा	10.50		
				मकान दीवार पत्थर छत खपरैल (गिरा हुआ)	36.00		
				शौचालय दीवार ईट छत नहीं	1.44		
				कुल योग :-	112.44		
90	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	शिवदयाल पिता फददी आदिवासी (सौर)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	46.80	निरंक	स्थायी निवास
91				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
92				0	0	लक्ष्मीनारायण पिता शिवदयाल (अविवाहित)	स्थायी निवास
				0	0	रामगोपाल पिता शिवदयाल (अविवाहित)	स्थायी निवास
				कुल योग :-	48.24		

93	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	हरप्रसाद पिता लक्ष्मण सौर (पत्नि रामकली)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	20.00	निरंक	अस्थाई निवास
				उपरी मंजिल	20.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	8.50		
				कुल योग :-	48.50		
94	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	देवेन्द्र पिता मुन्ना सौर (पत्नि नंदनी)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	24.00	निरंक	स्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श कच्चा	13.20		
				शौचालय पक्का छत नहीं	1.44		
				कुल योग :-	38.64		
95	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	श्री रामजानकी मंदिर मुरलीधर पिता जगमोहन पता नि. ग्राम (सागर) भूमि स्वामी	मंदिर पक्का गुम्बज सहित छत आर.सी. सी. फर्श पक्का	90.00	निरंक	अस्थाई निवास
				बाउण्डी वॉल पक्की+गेट लोहे का	11.12		
96	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	कृष्णाकांत पिता रामसेवक दुबे	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत खपरैल	29.70	निरंक	अस्थाई निवास
97	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	अभयसिंह पिता गिरवर सिंह (पत्नि मुलाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	112.56	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	112.56		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	58.96		
				योग:-	284.08		
98	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	मोहन पिता रतन गौड (पत्नि रामवती)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	31.54	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				योग:-	32.98		
99	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	सुनीताबाई पत्नि जयसिंह	पी.एम. आवास पक्का प्लास्टर नहीं छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	21.18	निरंक	स्थाई निवास
				पी.एम. आवास पक्का प्लास्टर नहीं छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	24.38		
				दहलान पिल्लर पत्थर के छत लकड़ी बरसाती	15.13		
				योग:-	60.68		
100	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	त्रिलोक पिता गिरवर (पत्नि मायादेवी) राजाराम पिता गिरवर (पत्नि हीरबाई) वीरसिंह पिता गिरवर (पत्नि मचलाबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	45.36	निरंक	अस्थाई निवास
				दहलान दीवार मात्र ईट की (खण्डर)	17.37		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	18.29		
				योग:-	81.01		
101	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	रामेश्वर पिता देवीप्रसाद (पत्नि मुन्नीबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	74.88	निरंक	अस्थाई निवास

102	शासकीय (आबादीगोवठान)	117	बाबूसिंग पिता मोहनसिंग (पत्नि लक्ष्मीबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	75.20	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट+खपरैल	32.00		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	22.39		
				योग:-	129.59		
103	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	सुम्मेर सिंह लोधी पिता लाल सिंह लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर+ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	38.54	निरंक	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	25.42		
				मकान डबल मंजिल दहलान दीवार की पत्थर+ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	20.50		
				उपर की मंजिल लकड़ी बरसाती	20.50		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	45.58		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	28.00		
				मकान दीवार पत्थर की छतनही	19.76		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	6.85		
				0	0		
104				0	0		
105				0	0	वकीलसींग पिता सुम्मेर सींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
106				0	0	देवेन्द्र पिता सुम्मेर सींग (अविवाहित)	स्थायी निवास
				कुल योग :-	205.15		
107	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	गब्बर सिंह पिता सुम्मेर सिंह	मकान पक्का दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	61.56	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	35.64		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	20.85		
				कुल योग :-	118.05		
108	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	नन्नी बहू बेवा साहब सिंह	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	36.19	निरंक	अस्थायी
				उपरी मंजिल	36.19		
				पी.एम. आवास कुटी छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	32.66		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	37.84		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				0	0		
109				0	0		
				कुल योग :-	144.32		

110	शासकीय (आबादीगाँवठान)	137	लाखन सिंह पिता होडल सिंह लोधी (पत्नि मुलाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	38.50	निरंक	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	38.50		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	25.41		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.28		
कुल योग :-				118.69			
111	शासकीय (आबादीगाँवठान)	137	विजय सिंह पिता रगवीर सिंह लोधी (पत्नि रामकली)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	91.00	निरंक	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	91.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल कच्चा	54.25		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.79		
				मकान दीवार ईट की छत ओपन गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल	3.61 16.28		
112			0	0	पुष्पेन्द्र पिता विजयसींग (अविवाहित)	स्थायी निवास	
कुल योग :-				282.93			
113	शासकीय (आबादीगाँवठान)	137	5. मुनीमसिंह पिता जगतसिंह (पत्नि जगबाई) 6. सखीबाई बेया स्व. लोटन सिंह लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	18.24	निरंक	अस्थायी निवास
				उपरी मंजिल	18.24		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर+ईट की बीच में लकड़ी पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	17.28		
				उपरी मंजिल	17.28		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा	17.28		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर+ईट की बीच में लकड़ी पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा	28.70		
				उपरी मंजिल	28.70		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा	10.85		
				मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	70.32		
				शौचालय दीवार ईट छत नहीं	3.24		
				कुल योग :-			
114	शासकीय (आबादीगाँवठान)	137	लक्ष्मण पिता शंकर लाल (सौर) (पत्नि कुसुम)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	51.48	निरंक	स्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	38.07		
				शौचालय पक्का ईट छत सीमेंटसीट	2.21		
कुल योग :-				91.76			
115	शासकीय (आबादीगाँवठान)	137	महेन्द्र पिता लखन सिंह लोधी (पत्नि कौशल्याबाई)	मकान डबल मंजिल पक्का दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	28.00	निरंक	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत आर.सी.सी.	28.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत लैंटर फर्शी फर्श पक्का	19.60		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	21.00		

				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट	28.70		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत	34.00		
				घास-फूस फर्श कच्चा			
				नहानी दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	16.00		
116				0	0	राजेन्द्र पिता महेन्द्र (पत्नि प्रियका)	स्थायी निवास
117				0	0	यसपाल पिता महेन्द्र (पत्नि बेटीबाई)	स्थायी निवास
				योग:-	175.30		
118	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	नन्हेभाई उर्फ रूपसीग पिता अर्जुन सिंह लोधी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	33.75	निरक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	10.64		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	7.84		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी प्लास्टर नहीं है।	23.10		
				दहलान दीवार ईट+पत्थर की छत खपरैल	27.30		
			संतोष पिता हरेन्द्र सिंह	दहलान दीवार ईट की छत टीनसेट	15.02	निरक	स्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की प्लास्टर नहीं छत फर्शी गाटर	27.30		
				मकान पक्का दीवार ईट लैटर बिना प्लास्टर छत नहीं	33.92		
119				0	0	कोमल पिता रूपरीग (अविवाहित)	स्थायी निवास
120				0	0	श्रीराम पिता हरेन्द्र (अविवाहित)	स्थायी निवास
				योग:-	178.87		
121	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	मुरलीधर पिता जगमोहन तिवारी	मकान दीवार पत्थर +ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	69.36	निरक	अस्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट छतटीनसेट	1.44		
				योग:-	70.80		
122	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	महेन्द्र सिंह पिता लाखनसिंह	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	14.82	निरक	अस्थायी निवास
				योग:-	14.82		
123	शासकीय (आबादीगोवठान)	137	राजेश पिता लाखन सिंह	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	14.82	निरक	अस्थायी निवास
				योग:-	14.82		
124	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	मिदू पिता अच्छेलाल सोर (पत्नि कृष्णाबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	38.40	निरक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	16.00		
				पी.एम. आवास पक्का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	27.30		
				गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती	16.50		
				जीना पत्थर का	2.15		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				योग:-	101.79		

125	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	कुन्दन पिता मानसिंह सौर	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	34.20	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	34.20		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	13.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी पन्नी	24.18		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
126				0	0	जसरथ पिता कुन्दन (पत्नि माखनबाई)	स्थाई निवास
				योग:-	107.22		
127	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	हीरालाल पिता कुन्दनलाल सौर (पत्नि राजरानी)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	31.39	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				योग:-	32.83		
128	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	चन्द्रभान पिता दमरू अहिरवार	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	29.40	निरंक	अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	10.00		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल	15.54		
				कुल योग	54.94		
129	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	दमख पिता लच्छू अहिरवार (पत्नि छोटीबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	22.36	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	22.36		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.64		
				दहलान दीवार लकड़ी छत बरसाती	15.60		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग	78.40		
130	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	हल्ले पिता लच्छू	पी.एम. आवास पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	25.60	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग	27.04		
131	शासकीय (आबादीगोवठान)	144/192	85. मलीदा पति लच्छू 84. हल्ले पिता लच्छू 82. मुलाबाई पति किशोरी अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	14.04	निरंक	अस्थाई निवास
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	22.68		
				उपरी मंजिल	22.68		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.24		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	11.20		
				गौशाला दीवार पत्थर छत फर्शी	25.48		
				कुल योग	112.32		

132	शासकीय (आबादीगाँवठान)	144/192	गंगाराम पिता फदी आदिवासी (पत्नि पानबाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.42	निरक	स्थायी निवास
				पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	21.42		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	15.18		
				गौशाला दीवार लकड़ी की छत लकड़ी बरसाती	19.72		
				गौशाला छत लकड़ी बरसाती	16.45		
				जीना पत्थर का	4.40		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
कुल योग				103.03			
133	शासकीय (आबादीगाँवठान)	144/192	मोहन सिंह पिता दशरथ लोधी	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	25.62	निरक	स्थायी निवास
				कुल योग			
134	शासकीय (चारागाह)	149	महेन्द्र पिता किशन सौर (पत्नि भागबाई)	पी.एम. आवास पक्का लैटर छत फर्शी कंक्रीट नही फर्शपक्का	28.29	निरक	स्थायी निवास
				मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	35.69		
				दहलान सामने लकड़ी बरसाती की	20.75		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
135				0	0	राजू पिता महेन्द्र (पत्नि लक्ष्मी)	स्थायी निवास
योग:-				86.17			
136	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	जितेन्द्र पिता सुमेर आठिया	मकान पक्का दीवार ईट छत आर.सी. सी. फर्श पक्का	40.50	निरक	अस्थायी निवास
				दहलान पक्की दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श पक्का	38.85		
				चबूतरा पत्थर का	9.50		
योग:-				88.85			
137	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	संतोष पिता ओनकार आठिया (पत्नि सुनीता)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	38.50	निरक	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	21.56		
				दहलान पिक्कर छत टीनसेट	28.80		
				नहानी पक्की दीवार ईट छत नही	3.74		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
138				0	0	पवन पिता संतोष (अविवाहित)	स्थायी निवास
139				0	0	सुहागरानी पत्नि औंकार प्रसाद	स्थायी निवास
योग:-				94.04			
140	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	महेश पिता प्रीतम सौर (पत्नि लक्ष्मी)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	29.52	निरक	स्थायी निवास
				योग:-			

141	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	प्रीतम पिता सेवा सौर (पत्नि रानी)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	31.50	निरंक	स्थाई निवास
				मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	31.50		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	7.20		
				मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंक्रीट नदी	33.62		
				गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	31.20		
				गौशाला दीवार ईट छत लकड़ी बरसाती	7.70		
				होदी पक्की पानी की	2.94		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
141				0	0	पवन पिता प्रीतम (पत्नि सविता)	स्थाई निवास
142				0	0	सुनील पिता प्रीतम (पत्नि भागवाई)	स्थाई निवास
143				0	0	सोहन पिता प्रीतम (अविवाहित)	स्थाई निवास
				योग:-	147.10		
144	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	ब्रजरानी बेवा कनई	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	28.00	निरंक	अस्थाई निवास
				योग:-	28.00		
145	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	जनक पिता कनई सौर (पत्नि छोटी बाई)	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	73.50	निरंक	स्थाई निवास
				पी.एम. आवास पक्का छत नही	30.15		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	19.50		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट	1.44		
146				0	0	राजामाई पिता जनक (पत्नि रामेती)	स्थाई निवास
				योग:-	124.59		
147	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	केशरबाई पति शकर सौर	मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल फर्श कच्चा	41.86	निरंक	अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	23.66		
				योग:-	65.52		
148	शासकीय (आबादीगाँवठान)	151	नन्हेलाल पिता अच्छैलाल सौर (पत्नि राजकुमारी)	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	24.36	निरंक	स्थाई निवास
				खण्डर दीवार पत्थर की छत नही	24.00		
				योग:-	48.36		
149	शासकीय (आबादीगाँवठान)	153	भगवान सिंह पिता गुलजार सिंह लोधी (पत्नि गिरजाबाई)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर. सी.सी फर्श पक्का	100.01	निरंक	स्थाई निवास
				गैरेज लकड़ी पिलर छत टीनसेट	51.80		
				गौशाला लकड़ी पिलर छत टीनसेट	40.20		
				गौशाला लकड़ी टीनसेट	12.60		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	49.70		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.82		
				कुल योग	256.13		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 65-अ-82-21-22-भू-अर्जन-23-2241

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित है। अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
 (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : किरोला
 4. पट.ह.नं.- : 10
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 11441.59 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

:: अनुसूची - 01 ::

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स.क्र.	अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई, अस्थाई)
				झोपड़ी/कच्चा कबेल/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय (चारागाह)	203	सुखरानी बेवा मन्नू अहिरवार	मकान दीवार ईट की प्लास्टर छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	47.59		अस्थाई निवास
				शौचालय दीवार ईट छत जिंकसीट	1.44		
				कुल योग :-	49.03		
2	शासकीय (चारागाह)	203	बृजलाल पिता मन्नू अहिरवार (पत्नि आरती)	मकान दीवार ईट की छत टीन सीट फर्श कच्चा	24.38		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट शीट	17.88		
				कुल योग :-	42.25		

3	शासकीय (वन)	209	शती चबूतरा	चबूतरा पत्थर का	30.24		निवास हेतु उपयोग नहीं है
				कुल योग :-	30.24		
4	शासकीय (वन)	209	आशारानी बेवा हरजू अहिरवार गोलू पिता गज्जू	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	47.58		स्थायी निवास
				कुल योग :-	47.58		
5	शासकीय (वन)	209	चंदन पिता गज्जू	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	40.30		अस्थायी निवास
				शौचालय पक्का छत जिंकसीट	1.44		
				कुल योग :-	41.74		
6	शासकीय (वन)	209	रविदास मंदिर मंदिर का कक्ष	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	26.64		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.50		
				शौचालय पक्का छत जिंकसीट	1.44		
				कुल योग :-	45.58		
7	शासकीय (वन)	209	प्रेमनारायण पिता तातीराम अहिरवार (पत्नि आजादरानी)	मकान पक्का पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	17.75		स्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श पक्का	21.30		
				दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	27.09		
				कुल योग :-	66.14		
8	शासकीय (वन)	209	मुकेश पिता शिवलाल अहिरवार (पत्नि नेहा)	मकान पक्का दीवार ईट की प्लास्टर नहीं छत आर.सी.सी फर्श पक्का	29.25		अस्थायी निवास
				कुल योग :-	29.25		
9	शासकीय (वन)	209	शिवलाल पिता गनेश अहिरवार (पत्नि गेंदाबाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	29.40		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा	19.60		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.50		
				भूसा घर दीवार पत्थर की छत खपरैल	19.80		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत सीमेन्ट शेड	11.00		
				नहानी ऑपन ईट की	1.44		
				शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग :-	100.18		
10	शासकीय (वन)	209	राजेश अहिरवार पिता शिवलाल अहिरवार (पत्नि सरोज)	मकान पक्का पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	27.95		स्थायी निवास
				जीना पक्का आर.सी.सी. का	5.80		
				कुल योग :-	33.75		

11	शासकीय (वन)	209	रघुवीर पिता भागीरथ अहिरवार (पत्नि सविता)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी का छत खपरैल फर्श कच्चा	30.24		अस्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	30.24		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा कक्रीट नहीं	22.32		
				मकान सिंगल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर कक्रीट नहीं	27.39		
				कुल योग :-	110.19		
12	शासकीय (वन)	209	रामदास पिता बाबूलाल यादव (पत्नि सविता)	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श कच्चा	24.44	भगवान सिंह पिता रामदास	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	24.44		
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श कच्चा	43.71		
				उपर की मंजिल छत खपरैल	43.71		
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	15.08		
				उपर की मंजिल छत फर्शीगाटर	15.08		
				सिंगल दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्शपक्का	19.14		
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	7.83		
				उपरी मंजिल	7.83		
				मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का किराना दुकान	15.98		
				शंकर जी का मंदिर ईट का पक्का	4.00		
				चबूतरा पत्थर का	5.94		
				गौशाला दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	23.49		
				दहलान पिलर ईट के छत सीमेंट सीट	19.20		
				लोहे का गेट पिलर आर.सी.सी	4.60		
				बाउण्ड्रीवॉल दीवार पत्थर की	4.58		
				लोहे का गेट पिलर आर.सी.सी	3.45		
जीना पत्थर का	2.04						
नहानी दीवार ईट छतसीमेंटसीट	6.00						
शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	6.00						
				कुल योग :-	296.53		
13	शासकीय (वन)	209	गोकल पिता गनेश अहिरवार (पत्नि भीरा)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	35.26		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर छत सीमेंट सेट फर्श कच्चा	27.52		
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सेट फर्श कच्चा	14.56		
				गौशाला दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	5.60		
				कुल योग :-	82.94		

14	शासकीय (वन)	209	छिम्मे पिता गनेश अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	21.12		अस्थाई निवास	
				दहलान दीवार पत्थर की छत तीन शेड फर्श कच्चा	12.48			
				कुल योग :-	33.60			
15	शासकीय (वन)	209	कामता पिता रनधीर अहिरवार	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	29.93		स्थाई निवास	
				कुल योग :-	29.93			
16	शासकीय (वन)	209	रुधीर पिता गनेश अहिरवार (पत्नि अनीता रानी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	33.44	सोनू पिता रुधीर (अविवाहित)	स्थाई निवास	
				दहलान दीवार पत्थर की छत तीन शेड फर्श कच्चा	20.52			राजेन्द्र पिता रुधीर (अविवाहित)
				मकान दीवार पत्थर ईट की सीमेंट छत टीनसेट फर्श कच्चा	36.60			
				दहलान दीवार पत्थर की छत तीन शेड फर्श कच्चा	22.04			
				शौचालय पक्का छत जिंक	1.44			
				कुल योग :-	114.04			
17	शासकीय (वन)	209	शीलचन्द पिता उमेश अहिरवार	मकान पक्का दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	18.06		स्थाई निवास	
				मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श	21.50			
				दहलान दीवार पत्थर की छत तीन शेड	6.96			
				कुल योग :-	46.52			
18	शासकीय (वन)	209	रामलाल पिता भागीरथ (पत्नि प्रेमबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	27.30		अस्थाई निवास	
				उपरी मंजिल	27.30			
				दहलान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा ककीट	22.75			
				दहलान दीवार ईट की छत तीन शेड फर्श कच्चा	21.00			
				दहलान दीवार ईट की छत टीनसीट फर्श कच्चा	2.04			
				गौशाला दीवार पत्थर की छत तीन शेड	17.68			
				जीना पक्का	3.40			
				शौचालय दीवार ईट छत जिंकसीट	1.44			
कुल योग :-	122.91							
19	शासकीय (वन)	209	धर्मजीत पिता प्रीतम अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत तीन शेड फर्श कच्चा	25.01		स्थाई निवास	
				मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	23.37			
				दहलान दीवार ईट सीमेंट छत टीनसेट फर्श पक्का	25.00			
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44			
				कुल योग :-	74.82			

20	शासकीय (वन)	209	सुरेश पिता छिम्मे अहिरवार	मकान डबल मजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत खपरेल फर्श पक्का	41.34		स्थाई निवास
				उपर की मजिल छत खपरेल	41.34		
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	21.06		
				दीवार ईट प्लास्टर पक्की फर्श पक्का किराना दुकान	14.60		
				होदी पक्की दीवार ईट	1.74		
				लोहे का गेट पिलर आर.सी.सी.	6.90		
				बाउण्ड्रीवॉल दीवार ईट	2.51		
				शौचालय+नहानी दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	3.12		
				कुल योग :-	132.61		
21	शासकीय (वन)	209	करन पिता दरऊ अहिरवार	मकान पक्का दीवार ईट की छत खपरेल फर्श कच्चा	39.24	दिनेश पिता करन (पत्नि ज्योति)	स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	32.70	देवेन्द्र पिता करन (अविवाहित)	
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	25.07	गोविन्द पिता करन (अविवाहित)	
				मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	33.11	बीरेन्द्र पिता करन (अविवाहित)	
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट	1.44		
				कुल योग :-	131.56		
22	शासकीय (वन)	209	राजकुमार पिता गरीब दास अहिरवार (पत्नि भारती)	मकान पी.एम. आवास पक्का प्लास्टर नहीं छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	64.08		स्थाई निवास
				कुल योग :-	64.08		
23	शासकीय (वन)	209	गरीबदास पिता स्व. धनसिंह अहिरवार (पत्नि संतोष बाई)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	32.25		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल+जिक सीट फर्श कच्चा	19.13		
				दीवार पत्थर छत नहीं	14.04		
				शौचालय दीवार ईट जिकसीट	1.44		
				कुल योग :-	66.86		
24	शासकीय (वन)	209	भगवानदास पिता गरीबदास अहिरवार (पत्नि ममता)	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	26.60		स्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की प्लास्टर छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	23.20		
				कुल योग :-	49.80		
25	शासकीय (वन)	209	महेन्द्र पिता सेवक सौर (पत्नि रेखाबाई)	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी फर्श पक्का	29.25		स्थाई निवास
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग :-	30.69		

26	शासकीय (वन)	209	महेन्द्र पिता सेवक राजदुलारी बेवा गोवर्धन	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.48		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	11.40		
				कुल योग :-	28.88		
27	शासकीय (वन)	209	राजदुलारी बेवा गोवर्धन सीर	मकान पक्का दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	29.24		स्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	20.48		
				झोपड़ी छत त्रिपाल घास फूस फर्श कच्चा	15.36		
				कुल योग :-	65.08		
28	शासकीय (वन)	209	सत श्री रविदास जी मंदिर	मंदिर पक्का मय गुम्बद फर्श पक्का	6.76		निवास हेतु उपयोग नहीं
				चबूतरा पत्थर का	44.08		
				कुल योग :-	50.84		
29	शासकीय (वन)	209	लोना देवी मंदिर	मंदिर पक्का ईट का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	64.78		निवास हेतु उपयोग नहीं
				चबूतरा पक्का श्री शिवजी का	7.84		
				कुल योग :-	72.62		
30	शासकीय (वन)	209	मूलचन्द्र पिता मुन्नू अहिरवार (पत्नि कृष्णारानी)	मकान पी.एम.आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	28.60	महेश पिता मूलचंद्र (अविवाहित)	स्थाई निवास
				शौचालय दीवार ईट सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग :-	30.04		
31	शासकीय (वन)	209	कृष्णारानी पत्नि मूलचन्द्र अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	25.01		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	16.47		
				प्लीथ बीम आर.सी.सी. दीवार ईट की छत नहीं	58.14		
				कुल योग :-	99.62		
32	शासकीय (वन)	209	नारायण प्रसाद पिता कलू अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	27.30		स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	18.20		
				घिनोची छत खपरैल	1.44		
				होदी पक्की ईट की	6.09		
				कुल योग :-	53.03		
33	शासकीय (वन)	209	बृजेश पिता नन्दू अहिरवार	दीवार ईट छत जिक सीट किराना दुकान	8.54		अस्थाई निवास
				कुल योग :-	8.54		
34	शासकीय (वन)	209	रामाधाराबाई पत्नि आला पारदी आदिवासी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल त्रिपाल फर्श कच्चा	13.12		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत त्रिपाल फर्श कच्चा	8.96		
				कुल योग :-	22.08		

35	शासकीय (वन)	209	आला पिता रामदास आदिवासी	मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	40.95	अस्थाई निवास
				शौचालय छत नहीं	4.62	
				कुल योग :-	45.57	
36	शासकीय (वन)	209	उदयभान पिता रामदास पारदी	मकान कच्चा लकड़ी छत त्रिपाल फर्श कच्चा	17.55	अस्थाई निवास
				कुल योग :-	17.55	
37	शासकीय (वन)	209	उदयभान पिता रामदास पारदी	मकान कच्चा लकड़ी छत त्रिपाल फर्श कच्चा	23.80	अस्थाई निवास
				कुल योग :-	23.80	
38	शासकीय (वन)	209	रविदास स्व. सहायता समूह किरौला	कार्यालय आजीविका मिशन कोशल विकास केन्द्र	35.20	निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुल योग :-	35.20	
39	शासकीय (वन)	209	भारती पत्नि राजकुमार अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत टीन फर्श कच्चा	31.32	अस्थाई निवास
				कुल योग :-	31.32	
40	शासकीय (वन)	209	गरीबदास पिता धनसिंह अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श पक्का	23.56	अस्थाई निवास
				कुल योग :-	23.56	
41	शासकीय (वन)	209	गायत्री पति सुरेश अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.80	अस्थाई निवास
				कुल योग :-	24.80	
42	शासकीय (चारागाह)	210	इन्द्रबाई पुत्री कन्छेदी	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंकीट फर्श पक्का	28.35	अस्थाई निवास कृषि उपयो ग
				दहलान पक्की दीवार ईट की छत गाटर फर्शी प्लास्टर नहीं कंकीट	28.35	
				कुल योग :-	56.70	
43	शासकीय (चारागाह)	212	ब्रजेश पिता टीकाराम यादव (पत्नि सोनम)	मकान दीवार ईट की छत जिक सीट फर्श कच्चा	28.44	अस्थाई निवास
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	2.36	
	शासकीय (चारागाह)	210	पानी की होदी	2.36		
				कुल योग :-	33.16	
44	शासकीय (आबादीगोठान)	226	प्रकाशरानी बेवा टीकाराम यादव	गौशाला दीवार ईट+फर्शी छत बरसाती	35.28	निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुल योग :-	35.28	

45	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	बाबूलाल पिता भागीरथ अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	50.40	जगता बाई पति भागीरथ	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	50.40		
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी कंक्रीटनही	32.76		
				उपर की मंजिल	32.76		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.68		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सेड	18.00		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग :-	212.44		
46	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	गोविन्द पिता रामसिंह लोधी	मकान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	22.23		अस्थाई निवास
				शौचालय दीवार ईट उपर सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग :-	23.67		
47	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	अनीता बाई पति मोती अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	21.15		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	21.15		
				कमरा दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर कंक्रीट	12.90		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	18.29		
				गौशाला दीवार पत्थर की ऊपर बरसाती	12.09		
				शौचालय पक्का सीमेंट सीट	2.20		
				कुल योग :-	87.78		
48	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	पूरन पिता बिहारी अहिरवार	गौशाला दीवार पत्थर की ऊपर खपरा	22.08		निवास हेतु उपयो ग नहीं
				कुल योग :-	22.08		
49	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	नंदू पिता भदई	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.28		अस्थाई निवास
				गौशाला दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सेट	7.92		
				कुल योग :-	24.20		
50	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	बैजनाथ पिता पूरन अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	29.40		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट शीट	18.20		
				कुल योग :-	47.60		
51	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	नंदू पिता भदई अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी	45.45		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	45.45		
				किचन सेड दीवार ईट पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	17.36		
				कुल योग :-	108.26		

52	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	पूरन पिता बिहारी अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल फर्श कच्चा	26.40		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	26.40		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत सीमेट सेट फर्श कच्चा	10.64		
				उपरी मंजिल	10.64		
				कुल योग :-	74.08		
53	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	नन्हेभाई पिता पद्म अहिरवार (पत्नि संगीता)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल फर्श कच्चा	26.40	राजा बाबू पिता नन्हेभाई (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	26.40		
				दहलान दीवार पत्थर छत सीमेट सीट फर्शकच्चा	10.20		
				कुल योग :-	63.00		
54	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	प्रीतम पिता दरऊ अहिरवार (पत्नि अशोकरानी)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमालकड़ी का छत खपरेल	28.52		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	28.52		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	10.08		
				दहलान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	27.60		
				कुल योग :-	94.72		
55	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	करन पिता दरऊ अहिरवार	गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरेल+टीनसेट	21.70		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुल योग :-	21.70		
56	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	1. चन्द्रानी बेवा मिट्टू लाल अहिरवार 2. गज्जू पिता हरजू अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	31.20		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल+टीनसेट	24.96		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेट सीट	1.44		
				कुल योग :-	57.60		
57	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	ताती पिता लच्छू अहिरवार (पत्नि महारानी)	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	28.80	सुमत्रा बेवा लच्छू	स्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	3.96		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	68.32		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल	15.18		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती	8.80		
				जीना पत्थर का	2.40		
				कुल योग :-	127.46		
58	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	रामू पिता दरऊ अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी का छत खपरेल फर्श पक्का	21.93		स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरेल	21.93		
				दहलान दीवार ईट छत जिंक सीट फर्श पक्का	12.96		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेट सीट	1.44		
				कुल योग :-	58.26		

59	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	उमद पिता दरऊ (पत्नि मीना रानी)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	27.45		स्थाई निवास	
				उपरी मंजिल छत खपरैल	27.45			
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट+पत्थर की बीच गाटर फर्शी छत जिंक सीट फर्श पक्का	9.30			
				उपर की मंजिल छत सीमेंटसीट	9.30			
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट+पत्थर की बीच गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का	9.00			
				उपरी मंजिल दीवार ईट छत खपरैल	9.00			
				गौशाला दीवार ईट की छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा	10.75			
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44			
				कुल योग :-	103.69			
60	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	मिहीलाल पिता हरजू अहिरवार (पत्नि शीलरानी) अर्जुन पिता हरजू	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	27.60	देवेन्द्र पिता मिहीलाल (आवाहित)	स्थाई निवास	
				उपरी मंजिल	27.60			सुरेन्द्र पिता मिहीलाल (आवाहित)
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट शीट	19.20			
				कमरा दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	9.00			
				कुल योग :-	83.40			
61	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	कोशीबाई बेवा प्यारेलाल	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	60.84		स्थाई निवास	
				उपरी मंजिल	60.84			
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44			
				कुल योग :-	123.12			
62	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	धनीराम पिता हल्कू अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	31.95		स्थाई निवास	
				उपरी मंजिल	31.95			
				दहलान दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी	19.88			
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	5.04			
				कुल योग :-	88.82			
63	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	1.छिम्मे पिता गनेश अहिरवार 2. शिवलाल/ गनेश 3. रणधीर /गनेश 4. गोकल /गनेश	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	47.84		अस्थाई निवास	
				उपरी मंजिल	47.84			
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में फर्शी गाटर छत गाटर फर्शी	9.60			
				उपरी मंजिल छत गाटर फर्शी	9.60			
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	14.10			
				छतीग्रस्त मकान दीवार ईट की छत नहीं	15.50			
				कुल योग :-	144.48			

64	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	दुर्जन पिता पंचे अहिरवार	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी फर्श पक्का	23.20	हीरालाल पिता दुर्जन (अविवाहित)	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट शीट फर्श पक्का	15.00		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	43.24		
				गौशाला+भूसाधर दीवार पत्थर की छत खपरैल	19.92		
				शोचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
कुल योग :-				102.80			
65	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	बृजलाल पिता मन्नू अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	28.40		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट शीट	22.72		
				शोचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	3.57		
कुल योग :-				54.69			
66	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	1. सुखरानी बेवा मन्नू अहिरवार धरम पिता मन्नू बेबी पत्नी धरम काब्या मूलचंद पिता मन्नू	मकान डबल मंजिल पक्का दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का उपर खपरैल फर्श पक्का	34.80		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	34.80		
कुल योग :-				69.60			
67	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	जयकुमार पिता प्रभुदयाल श्रीवास्तव	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का	35.72		अस्थाई निवास
				उपरी मंजिल	35.72		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	27.90		
				मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	27.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	50.80		
				गैरिज दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	50.43		
				चबूतरा पत्थर का	25.65		
				श्री ब्रम्हादेव जी का मंदिर टाइल्स सहित	4.20		
कुल योग :-				257.62			
68	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	मानसिंह पिता रामसिंह लोधी (पत्नि द्रोपतीबाई)	मकान दीवार पत्थर की लकड़ी खपरैल फर्श कच्चा निवास	31.68		अस्थाई निवास
कुल योग :-				31.68			
69	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	हरीसिंह पिता सूरतसिंह (पत्नि राधा)	गौशाला दीवार पत्थर की छत खपड़ा	31.68		निवास हेतु उपयोग नहीं
कुल योग :-				31.68			

70	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	मंदिर श्री शंकर भगवान (निजी मंदिर) संतोष पिता हरी सिंह लोधी	मंदिर पक्का ईट का मय गुम्बज फर्श पक्का	1.96		निवास हेतु उपयोग नहीं
				चबूतरा पत्थर का पक्का	7.80		
				कुल योग :-	9.76		
71	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	संतोषसिंह पिता हरीसिंह लोधी (पत्नि मेनाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	35.55		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	35.55		
				सिंगल दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्शपक्का	19.60		
				मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का	8.05		
				उपरी मंजिल	8.05		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत टीन सेड	14.85		
				कमरा दीवार ईट छत फाइबर शीट	14.41		
				दीवार मात्र ईट छत नहीं	15.96		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुल योग :-	153.46		
72	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	परमसिंह पिता रामसिंह लोधी (पत्नि बेजती)	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	23.85		स्थाई निवास
				मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	26.27		
				दहलान दीवार ईट+पिलर लोहे का छत सीमेंट शीट	13.78		
				गौशाला दीवार पत्थर की ऊपर सीमेंट सीट	7.20		
				कुल योग :-	71.10		
73	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	मानसिंह पिता रामसिंह (पत्नि द्रोपती)	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	23.85		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत जिक सीट	14.04		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग :-	39.33		
74	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	उत्तम सिंह पिता रामसिंह लोधी (गोदाबाई)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	23.85		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	23.85		
				दहलान दीवार पत्थर की छत जिक सीट	14.30		
				कुल योग :-	62.00		
75	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	गोविन्द पिता रामसिंह लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	23.85		अस्था ई निवास
				उपरी मंजिल	23.85		
				दहलान दीवार पत्थर की छत बरसाती	10.66		
				कुल योग :-	58.36		

76	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	गोविन्द पिता रामसिंह लोधी	मकान डबल मंजिल + दहलान दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	49.28		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	49.28		
				कुल योग :-	98.56		
77	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	हरीसिंह पिता सूरत सिंह लोधी (पत्नि राधा)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	49.28		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	49.28		
				झोपड़ी लकड़ी का खम्भा ऊपर पन्नी	14.52		
				शौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट	1.44		
				कुल योग :-	114.52		
78	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	अवधरानी बेवा शंकर सेन, दयाराम पिता शंकर सेन भागीरथ पिता शंकर सेन देवीसिंह पिता शंकर सेन	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंक्रीट फर्श पक्का	28.80	दयाराम पिता शंकर सेन (पत्नि अशोकरानी) भागीरथ पिता शंकर सेन	स्थाई निवास
				मकान दीवार पत्थर की ऊपर खपड़ा और लकड़ी	38.40		
				मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल लकड़ी फर्श कच्चा	50.00		
				मकान दीवार ईट की छत नहीं	22.10		
				गौशाला दीवार लकड़ी की छत टीन सेट	20.28		
				दहलान दीवार ईट की छत जिंक सीट	19.50		
				(दुकान) दीवार ईट की ऊपर सीमेन्ट शीट	11.13		
				शौचालय-2 पक्का छत जिंक सीट	2.88		
79	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	राजेन्द्र प्रसाद पिता हरिहर पाण्डे (पत्नि प्रेमरानी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	68.34		स्थाई निवास
				पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	26.10		
				शौचालय दीवार ईट छत जिंकसीट	1.44		
				कुल योग :-	95.88		
80	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	हरीसिंह पिता धर्मराम यादव	भूसाघर दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल	39.60		अस्थाई निवास
				कुल योग :-	39.60		
81	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	मनमोहन पिता रामचरण काछी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	45.45		स्थाई निवास
				पशुशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	18.24		
				कुल योग :-	63.69		
82	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	123. मिहीलाल पिता हीरालाल 124. सूरजरानी बेवा राकेश हिस्सा 1/2	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत गाटर फर्शी	43.20		स्थाई निवास
				उपरी मंजिल छत गाटर फर्शी कंक्रीट नहीं	43.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल, फर्श कच्चा	18.00		
				शौचालय	1.44		
				कुल योग :-	105.84		

83	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	गौरी पिता रामप्रसाद (पत्नि केशरानी)	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल फर्श पक्का	30.36		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	30.36		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	17.94		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती	10.81		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सेड फर्श कच्चा	15.60		
				टपरा पत्थरों का छत टीन शेड	16.80		
				शौचालय पक्का	1.44		
कुल योग :-				123.31			
84	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	रामगोपाल पिता राम प्रसाद काछी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	24.91		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल दीवार ईट	24.91		
				दहलान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी लैंटर	21.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड	9.90		
				बालकली दीवार ईट छत गाटर फर्शी	4.24		
				होदी पक्की	1.15		
				शौचालय + नहानी दीवार ईट छत सीमेंट सीट	5.40		
कुल योग :-				91.71			
85	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	बबलू पिता फूलसिंह काछी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	36.00		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	18.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	17.60		
कुल योग :-				71.80			
86	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	भागीरथ पिता कुंजी काछी	मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरेल फर्श कच्चा	26.50		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	3.15		
कुल योग :-				29.65			
87	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	बाबूलाल पिता जगन्नाथ काछी (पत्नि प्रेमरानी)	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	33.15		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	9.89		
कुल योग :-				43.04			
88	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	धर्मराज पिता धनीराम काछी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	31.50		अस्थायी निवास
कुल योग :-				31.50			
89	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	जनक पिता जगन्नाथ काछी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	31.05		अस्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती +खपरेल फर्शकच्चा	4.00		
कुल योग :-				35.05			

90	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	गंगाराम पिता फूलसिंह काछी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	27.95		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.90		
				गौशाला दीवार पत्थर छत लकड़ी+खपरैल फर्श कच्चा	13.00		
				कुल योग :-	57.85		
91	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	सतोष पिता जगन्नाथ काछी	मकान दीवार पत्थर की छत टीन शैड फर्श कच्चा	16.00		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	12.00		
				कुल योग :-	28.00		
92	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	प्रेमरानी पति परसराम काछी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	43.50		स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	11.27		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड	22.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	12.42		
				कुल योग :-	89.39		
93	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	राघवेन्द्र पिता जगतसिंह	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	27.31	संजय पिता राघवेन्द्र (अविवाहित)	स्थाई निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	40.02		
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेन्ट शीट	9.14		
				कुल योग :-	76.48		
94	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	जगतसिंह पिता राजाराम यादव	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	36.34		स्थाई निवास
				दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	20.72		
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेन्ट शैड	15.68		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	6.40		
				कमरा दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	16.50		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	14.04		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	22.05		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	9.60		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	25.62		
				लोहे का गेट	2.31		
				बाउण्ड्रीवॉल पत्थर की	5.12		
				शौचालय पक्का छत जिकसीट	1.44		
95	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	श्री शंकर भगवान का मंदिर	मंदिर पक्का ईट का फर्शपक्का	10.24		निवास हेतु उपयो ग नहीं
				चबूतरा पत्थर का	28.50		
				दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	18.15		
				कुल योग :-	56.89		

96	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	139. माखन पिता कल्याण यादव 140. राजकुमार पिता लखन सिंह यादव कुलदीप पिता लखन	मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा गाटर फर्शी छत खपरैल	57.20	स्थाई निवास
				उपरी मजिल	57.20	
				मकान डबल मजिल दीवार पत्थर बीच पटमा गाटर फर्शी छत खपरैल	9.08	
				उपरी मजिल	9.08	
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	17.49	
				गैरिज दीवार लकड़ी की छत बरसाती फर्श कच्चा	16.34	
				गौशाला दीवार पत्थर छत जिक सीट	26.97	
				जीना पत्थर का	2.31	
				शौचालय दीवार ईट की छत जिक सीट	1.44	
				कुल योग :-	197.11	
97	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	141. छोटेलाल पिता कल्याण यादव 142. चन्द्रभान पिता कल्याण यादव	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	70.56	स्थाई निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल फर्श कच्चा	35.20	
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	9.30	
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी	17.82	
				दहलान दीवार पत्थर की छत त्रिपाल	9.99	
				शौचालय-2 दीवार ईट छत जिक सीट	2.88	
				कुल योग :-	145.75	
98	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	हीरालाल पिता रामदयाल प्रजापति	मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी लेन्टर छत खपरैल	26.23	स्थाई निवास
				उपर की मजिल छत खपरैल	26.23	
				दहलान दीवार पत्थर की छत जिक सीट फर्श कच्चा	14.54	
				शौचालय	1.44	
				कुल योग :-	68.44	
99	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	अशोक पिता हीरालाल प्रजापति	मकान पक्का डबल मजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का	25.01	स्थाई निवास
				उपर की मजिल छत खपरैल	25.01	
				दहलान सिंगल पक्का छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	16.47	
				गौशाला दीवार पत्थर की छत सीमेन्ट शीट	18.30	
				जीना पत्थर का	1.30	
				कुल योग :-	86.09	
100	शासकीय (आबादीगाँवठान)	226	गंगाराम पिता अच्छेलाल	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	20.25	स्थाई निवास
				कुल योग :-	20.25	

101	शासकीय (आबादीगोठान)	226	अच्छेलाल पिता भलू	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	29.05		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की खपरा लकड़ी	12.88		
				कुल योग :-	41.93		
102	शासकीय (आबादीगोठान)	226	मोहन पिता अच्छेलाल प्रजापति धनीराम पिता अच्छेलाल	मकान दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल फर्श कच्चा	37.80	सरवेश पिता धनीराम (अविवाहित)	स्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग :-	39.24		
103	शासकीय (आबादीगोठान)	226	रामनरेश पिता माखन यादव	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	49.45		स्थायी निवास
				गौशाला दीवार पत्थर पिलर ईट के छत जिक बरसाती	16.52		
				कुल योग :-	65.97		
104	शासकीय (आबादीगोठान)	226	लीलाधर पिता सुकलाल विश्वकर्मा	मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	36.98		स्थायी निवास
				उपरी मजिल	36.98		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	15.60		
				कुल योग :-	89.56		
105	शासकीय (आबादीगोठान)	226	रमेश, सुरेश, बेनी प्रसाद, पिता रामप्रसाद विश्वकर्मा	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	12.69		अस्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	56.70		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी ककीट नहीं	20.80		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	5.00		
				कुल योग :-	95.19		
106	शासकीय (आबादीगोठान)	226	धनीराम पिता अच्छेलाल प्रजापति	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	27.60		अस्थायी निवास
				गौशाला दीवार पत्थर की छत सीमेंट शीट	16.74		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	36.00		
				शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग :-	81.78		
107	शासकीय (आबादीगोठान)	226	विजय पिता भजन यादव	मकान पक्का छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा	26.10		स्थायी निवास
				खुला भाग दीवार पत्थर की पिल्लर आर.सी.सी. + बीम फर्श पक्का	28.60		
				कुल योग :-	54.70		
108	शासकीय (आबादीगोठान)	226	भजन पिता भगवान दास यादव	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	37.31		स्थायी निवास
				कुल योग :-	37.31		

109	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	मर्दन पिता काशीराम यादव	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी ककीट फर्श कच्चा	27.93		स्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	28.81		
				शौचालय पक्का छत जिंक सीट	1.68		
				कुल योग :-	58.42		
110	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	भूपेन्द्र पिता मरदन यादव	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	12.60		स्थायी निवास
				मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत लकड़ी खपरैल फर्श कच्चा	18.00		
				जीना पत्थर का	1.68		
				कुल योग :-	32.28		
111	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	राजेन्द्र पिता मरदन यादव	दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	23.70		अस्थायी निवास
				कुल योग :-	23.70		
112	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	कन्छेदी पिता मूरत ललिताबाई बेवा भरत प्रसाद यादव वीरसींग पिता मूरत यादव वदनसिंह पिता मूरत यादव	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	59.78		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल छत खपरैल	59.78		
				मकान + दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी ककीट है।	166.10		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	38.54		
				दहलान डबल दीवार पत्थर की बीच में पटमा का छत लकड़ी खपरैल	27.36		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी ककीट फर्श पक्का	13.23		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	39.05		
				दीवार पत्थर आगे आर.सी.सी पिल्लर छत सीमेंट सीट	23.76		
				गैरिज दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	47.78		
				मकान दीवार ईट पक्की गौशाला + गैरिज	146.69		
				आगन पक्का फर्शी सीमेंट	49.82		
				चबूतरा कच्चा	23.10		
				शौचालय + नहारी दीवार ईट छत सीमेंट सीट	10.14		
				कुल योग :-	705.12		
113	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	राजा पिता हरीराम यादव	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श कच्चा	21.20	निरक	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	21.20		
				सिंगल दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	16.50		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड	15.90		
				कुल योग :-	74.80		

114	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	शिवरानी बेवा हरिराम यादव	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	60.00		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत जिक सीट	36.00		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत जिक सीट	22.32		
				शौचालय दीवार ईट छत जिक सीट	1.44		
				कुल योग :-	119.76		
115	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	सीताराम पिता हरिराम यादव	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	39.06	सतेन्द्र पिता सीताराम (अविवाहित)	स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	37.80		
	दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	18.90					
	मकान पक्का दीवार ईट की पक्की उपर सीमेन्ट शीट फर्श पक्का	37.60					
	गौशाला दीवार ईट की छत टीन शेड	28.20					
	झोपड़ी दीवार पत्थर की छत बरसाती	11.60					
	होदी पानी टंकी	1.30					
	शौचालय पक्का छत जिकसीट	1.44					
				कुल योग :-	175.90		
116	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	प्रकाशरानी बेवा टीकाराम यादव राजू पिता टीकाराम यादव	मकान डबल मंजिल पक्का दीवार पत्थर की बीच में पट्टा लकड़ी का छत खपरैल	88.29	सुदीप पिता टीकाराम यादव मोनिका पिता टीकाराम यादव	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	88.29		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत सीमेन्ट शेड	22.50		
				नहानी चारों तरफ दीवार पत्थर की उपर खुला	4.80		
				कुल योग :-	203.88		
117	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	सुम्मेर सिंह पिता पुन्नू यादव	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	54.50	निरंक	स्थायी निवास
118	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	कटारे पिता रामप्रसाद यादव	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	44.10	निरंक	अस्थायी निवास
				मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्श फर्श पक्का	46.20		
				मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	57.20		
				कुल योग :-	147.50		
119	शासकीय (आबादीगोवठान)	226	शोभाराम पिता राम प्रसाद यादव	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्श कंक्रीट नहीं	34.20		स्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	47.50		
				दहलान दीवार ईट की छत जिक	28.44		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल	22.40		
				जीना पत्थर का	2.10		
				होदी पानी की पक्की	2.36		
				शौचालय दीवार ईट जिक सीट	1.44		
				कुल योग :-	138.44		

120	शासकीय (वन)	240	हीरालाल पिता रामदयाल प्रजापति	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	39.90		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट टीन फर्श पक्का	33.25		
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा	23.75		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	21.12		
				होदी पक्की ईट+सीमेंट	3.05		
				शौचालय पक्का छत जिंकसीट	1.44		
				कुल योग :-	122.51		
121	शासकीय (वन)	240	सूरजबाई पति राकेश यादव	मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श कच्चा	31.82	निरक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल	31.82		
				मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का ककीट नहीं	38.40		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	13.44		
				जीना पत्थर का	3.69		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	14.40		
				गौशाला दीवार लकड़ी +छत तिरपाल	3.20		
				शौचालय पक्का छत जिंकसीट	1.44		
				बाउण्ड्री वॉल ईट की	0.68		
				लोहे का गेट पिल्लरआर.सी.सी.	2.72		
				कुल योग :-	141.61		
122	शासकीय (वन)	240	बादलसिंह पिता नन्दराम यादव	मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्श पक्का	32.98	निरक	अस्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श पक्का	37.83		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	25.08		
				दहलान दीवार लकड़ी छत +टीन शेड	6.72		
				शौचालय पक्का छत जिंकसीट	1.44		
				बाउण्ड्री वॉल दीवार पत्थर	22.40		
				लोहे का गेट पिल्लर आर.सी.सी.	7.02		
				कुल योग :-	133.47		

123	शासकीय (वन)	240	धनीराम पिता जगन्नाथ काछी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	34.32	दीपक पिता धनीराम (अविवाहित)	स्थाई निवास	
				उपरी मंजिल छत खपरैल	34.32			रघुवीर पिता धनीराम (अविवाहित)
				सिगल दहलान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	23.40			
				दहलान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा	22.41			
				गौशाला, दीवार पत्थर की छत तिरपाल, घास फूस	18.50			
				नहानी दीवार पत्थर छत नहीं	6.72			
				शौचालय दीवार पत्थर छत नहीं	1.44			
कुल योग :-				141.11				
124	शासकीय (वन)	240	सतोष पिता जगन्नाथ काछी	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	24.91		स्थाई निवास	
				दहलान दीवार ईट की छत जिक फर्श कच्चा	16.12			
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती फर्श कच्चा	9.20			
				कुल योग :-				50.23
125	शासकीय (वन)	240	जनक पिता जगन्नाथ काछी	मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.48		स्थाई निवास	
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	10.56			
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती फर्श कच्चा	9.00			
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44			
कुल योग :-				38.48				
126	शासकीय (वन)	240	बाबूलाल पिता जगन्नाथ काछी	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	27.30		स्थाई निवास	
				दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	18.72			
				दहलान दीवार पत्थर की छत तिरपाल घास+फूस	18.72			
				शौचालय पक्का छत जिक सीट	1.44			
कुल योग :-				66.18				
127	शासकीय (वन)	240	गुड्डीबाई पति बाबूलाल अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	32.56		स्थाई निवास	
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा	22.94			
				शौचालय पक्का छत जिक सीट	1.44			
कुल योग :-				56.94				
128	शासकीय (वन)	240	संध्यारानी बेवा रजनेश	मकान पक्का दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श पक्का	50.40		स्थाई निवास	
				कुल योग :-				50.40

129	शासकीय (वन)	240	सीताराम पिता मिहीलाल यादव	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरेल	43.68	राजबहादुर पिता सीताराम (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरेल	43.68		
				दहलान दीवार पत्थर छत खपरेल	43.68		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल	43.68		
				उपरी मंजिल	43.68		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	12.48		
				होदी पक्की	1.32		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुल योग:-	233.64		
130	शासकीय (वन)	240	सुरेन्द्र पिता सीताराम	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरेल	24.00	निरंक	स्थायी निवास
				उपर की मंजिल छत खपरेल	24.00		
				दहलान दीवार पत्थर छत बरसाती	24.00		
				जीना पत्थर का	3.20		
				चबूतरा कच्चा	16.56		
				कुल योग:-	91.76		
131	शासकीय (आबादीगोवडान)	241	परशराम पिता रामचरण काछी	गौशाला दीवार ईट की छत लकड़ी बरसाती	19.38	मनमोहन पिता परशराम (अविवाहित)	अस्थायी निवास
				भूसा घर दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श कच्चा	18.74		
				होदी पक्की दीवार ईट की सीमेंट	2.20		
				शौचालय पक्का छत जिंकसीट	1.44		
				कुल योग :-	41.76		
132	शासकीय (आबादीगोवडान)	241	मनीराम पिता सेवक सिंह पटैल	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	40.50		अस्थायी निवास
				मकान दीवार ईट की छत टीनसेट	68.00		
				दहलान दीवार ईट छत टीनसेट	23.80		
				गैरिज दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श पक्का	28.35		
				कुल योग :-	160.65		
133	शासकीय (चारागाह)	241/ 402/ 1	संतोष पिता जगन्नाथ काछी	मकान पी.एम. आवास छत फर्शी गाटर फर्श पक्का ककरीट नहीं	28.60		अस्थायी निवास
				कुल योग :-	28.60		
134	शासकीय (चारागाह)	241/ 402/ 1	कमलरानी पति कल्याण यादव	मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	26.65		अस्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट	1.44		
				कुल योग :-	28.09		

135	शासकीय (चारागाह)	241/ 402/ 1	देवसिंह पिता कल्याण यादव	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	21.00	स्थाई निवास
				दहलान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	4.60	
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	44.65	
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	23.75	
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	13.20	
				लोहे का गेट पिल्लर आर.सी.सी.	6.65	
				मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा कफ़ीट नही	55.90	
				मकान +दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा	19.20	
कुल योग :-				188.95		
136	शासकीय (चारागाह)	241/ 402/1	ठाकुर बाबा (चबूतरा)	चबूतरा पत्थर का	10.85	निवास हेतु उपयो ग नहीं
कुल योग :-				10.85		
137	शासकीय (चारागाह)	241/ 402/1	मनमोहन पिता रामचरण काठी	भुसाघर दीवार पत्थर की छत टीन सेट	24.00	अस्थाई निवास
				गौशाला लकड़ी की थुनिया के ऊपर घास फूस तिरपाल	16.80	
कुल योग :-				40.80		
138	शासकीय (रास्ता)	263	मंदिर श्री शंकर जी गणेश जी बंजरगवली का	मड़िया पक्की शंकर जी की	5.98	निवास हेतु उपयो ग नहीं
				मड़िया पक्की बंजरगवली की	4.00	
				चबूतरा पक्का	78.85	
कुल योग :-				88.83		
139	शासकीय (चारागाह)	301/3	राजेन्द्र पिता मर्दन यादव	मकान पक्का दीवार ईट की ऊपर टीन शीट फर्श पक्का	31.57	स्थाई निवास
कुल योग :-				31.57		
140	शासकीय (चारागाह)	301/3	भूपेन्द्र पिता मर्दन यादव	मकान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा	14.99	अस्थाई निवास
				दीवार पत्थर की छत सीमेंट सेट	23.09	
कुल योग :-				38.08		
141	शासकीय (चारागाह)	301/3	मंदिर श्री शंकर जी निर्माणकर्ता छिम्मे पिता गणेश अहिरवार	पत्थर का चबूतरा	49.00	निवास हेतु उपयोग नहीं
				मंदिर पक्का दीवार ईट की मय गुम्बद	6.25	
कुल योग :-				55.25		

142	शासकीय (चारागाह)	301/ 3	ठाकुर बाबा का चबुतरा दुर्जन पिता पन्चू (निर्माणकर्ता)	चबुतरा पक्का ईट+सीमेंट फर्श पक्का	15.08		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुल योग :-	15.08		
143	शासकीय (रास्ता)	327	मंदिर श्री देवी जी का	चबूतरा पत्थर का मंदिर पक्का ईट का मय गुम्बद फर्श पक्का	62.05 6.51		निवास हेतु उपयोग नहीं
				कुल योग :-	68.56		
कुलयोग :-					11441.59		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण

प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।

- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

- (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितवद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 27/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 66-अ-82-21-22-भू-अर्जन-23-2243

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित है। अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : कुल्ल
4. पट.ह.नं.- : 09
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 4704.74 वर्गमीटर
- 6.

:: अनुसूची - 01 ::

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

1	शासकीय (वन)	308	करतार सींग पिता बल्ले सींग लोधी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	36.54	निर्भयसिंह (पत्नि जानकी)	स्थाई निवास
				दहलान दीवार ईट की छत प्लास्टर सीट	29.75		
				भूसा घर दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	19.58		
				गौशाला दीवार लकड़ी ईट की छत बरसाती	26.88		
				टोक दीवार ईट का	5.10		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	2.25		
				शौचालय दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	4.43		
				कुलयोग :-	124.52		
2	शासकीय (वन)	308	राजकुमार पिता रामप्रसाद नामदेव	पशुशौड दीवार ईट की मय प्लास्टर उपर टीनसेट	33.67		अस्थाई निवास
				कुलयोग :-	33.67		

3	शासकीय (वन)	308	खेत सींग पिता मेहरवान सिंह	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी.	27.95		स्थायी निवास
				पुराना मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	33.18		
			खेत सींग, जयसिंहपिता मेहरवान सिंह	दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	39.95		
			जयसिंह पिता मेहरवान सिंह	मकान दीवार ईट पत्थर की छत टीनसेट	28.35		
				दहलान दीवार लकड़ी उपर सीमेंट सीट	19.53		
				गौशाला दीवार लकड़ी पत्थर उपर बरसाती	17.82		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
कुलयोग :-				168.22			
4	शासकीय (आबादीगोवठान)	394	खेरमाताजी का मंदिर (बाबा रामचरन गिरी)	मंदिर पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	42.88		अस्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा (बाबाजी का निवास)	22.57		
			खैर माता चबूतरा छत टीनसेट	11.47			
कुलयोग :-				76.92			
5	शासकीय (आबादीगोवठान)	394	जगभान सींग पिता देवी सींग	टीन सेट की किराना दुकान	2.08		निवास हेतु उपयोग नहीं
				झोपड़ी लकड़ी की उपर बरसाती घास-फूस	15.18		
कुलयोग :-				17.26			
6	शासकीय (आबादीगोवठान)	394	गनेश पिता धनश्याम पाल	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	13.11		स्थायी निवास
				बाण्डूवाल दीवार पत्थर की	3.00		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
कुलयोग :-				17.55			
7	शासकीय (आबादीगोवठान)	394	प्रहलाद सींग पिता मकूनदी सींग	दहलान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	22.56		स्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
कुलयोग :-				24.00			
8	शासकीय (आबादीगोवठान)	394	हल्कू सींग पिता मकुन्दी सींग	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	49.35	उदलसींग	स्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
कुलयोग :-				50.79			
9	शासकीय (आबादीगोवठान)	394	मेहताप सिंह पिता दुरग सिंह	मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा फर्शी छत खपरैल	42.84	धर्मन्द्र सिंह (पत्नि मनीषा)	स्थायी निवास
				उपरी मजिल छत खपरैल	42.84		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट फर्श कच्चा	12.24		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	29.44		
				दहलान दीवार पत्थर छत लकड़ी बरसाती	10.15		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती घास	32.40		
				बाउण्ड्रीवॉल दीवार पत्थर की	3.20		
शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44						
कुलयोग :-				174.55			

10	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	ब्रजलाल पिता नारायण	मकान दीवार पत्थर उपर खपरैल	41.85	राजेश चढार (पत्नि रामबाई)	स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट + पत्थर उपर टीनसेट	26.04		
				दीवार पत्थर उपर खपरैल	28.98		
				गौशाला दीवार पत्थर उपर टीनसेट	14.58		
				दीवार पत्थर बाउडीबाल	1.35		
				शौचालय दीवार ईट छत टीनसेट	1.44		
				कुलयोग :-	114.24		
11	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	बाबू सिंह पिता मुकुन्दी सिंह	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल	48.40	कुलदीप (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल छत खपरैल	48.40		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	11.22	उदम (अविवाहित)	
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल	6.09		
				जीना पत्थर का	1.71		
				कुलयोग :-	115.82		
12	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	सुरेन्द्र सिंह पिता सुखसिंह लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का फर्शी उपर खपरैल	28.67		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल छत खपरैल	28.67		
				मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी पक्का	27.28		
				जीना पत्थर का	2.16		
				चबूतरा पत्थर	14.80		
				शौचालय पक्का	2.54		
				कुलयोग :-	104.12		
13	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	अर्जुन सिंह पिता मकुन्दी सिंह लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरैल फर्शी पक्का	23.12	हरदेव (पत्नि आशा लोधी)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल छत खपरैल	23.12		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरा	23.79		
				उपरी मंजिल छत खपरैल	23.79		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरा	17.04		
				उपरी मंजिल दीवार ईट	17.04		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी	6.51		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी	4.65		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेट सीट	4.16		
				कुलयोग :-	143.22		
14	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	अखलेश पिता शिवकुमार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा लकडी उपर खपरैल	16.66		अस्थायी निवास
				उपरी मंजिल	16.66		
				दहलान दीवार पत्थर की उपर फर्शी गाटर	10.78		
				कुलयोग :-	44.10		

15	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	हरनाम सिंह पिता राम सिंह लोधी	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	10.64	बादल लोधी	स्थाई निवास
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का उपर खपरैल	13.00		
				उपरी मंजिल छत खपरैल	13.00		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का उपर खपरैल	37.24		
				उपरी मंजिल	37.24		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	10.40		
				चबूतरा पत्थर का	28.00		
कुलयोग :-				149.52			
16	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	मोहनसिंह पिता गनू पटेल	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	35.20	प्रेमनारायण (अविवाहित)	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	35.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	11.07		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनसेट	20.00		
कुलयोग :-				101.47			
17	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	मनोहर पिता मोहन पटेल	पी.एम. आवास दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	26.40		स्थाई निवास
				कुलयोग :-			
18	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	टीकाराम पिता भागीरथ पटेल	मकान डबल मंजिल बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	34.96	अजय (अविवाहित)	स्थाई निवास
				उपरी मंजिल	34.96		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	19.76	सजय (अविवाहित)	
				छत पटिया फर्शी दीवार पत्थर	10.50		
				जीना पत्थर का	1.80		
कुलयोग :-				101.98			
19	शासकीय (आबादीगाँवठान)	394	राजकुमारी पति राजेन्द्रप्रसाद बचकैया	दीवार मात्र पक्की आर.सी.सी. लेंटर छत नहीं	43.26		अस्थाई निवास
				कुलयोग :-			
20	शासकीय (वन)	685	मुनिराज पिता गुलझार लोधी	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में लकड़ी का पटमा उपर खपरैल	41.83	रामरानी पत्नि गुलझार सींग	स्थाई निवास
				हरनाम पिता गुलझार	उपरी मंजिल		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	24.00		
				झोपड़ी दीवार पत्थर त्रिपाल	11.25		
				बाण्ड्रीवाल दीवार पत्थर	4.74		
			कुलयोग :-				

21	शासकीय (वन)	685	गुलझारसिंह पिता रगनाथ सिंह लोधी	मकान दीवार पत्थर की छत तीन सेट फर्श कच्चा	28.20	सीताराम (पत्नि अहिल्या)	स्थाई निवास
				दहलान दीवार लकड़ी छत त्रिपाल	20.30		
				झोपड़ी दीवार लकड़ी छत त्रिपाल	8.50		
				कुलयोग :-	57.00		
22	शासकीय (चारागाह)	767	कनई पिता चौदे रजक	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श पक्का	58.52		अस्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी त्रिपाल	15.84		
				दहलान दीवार पत्थर की छत तीन सीट फर्श कच्चा	11.76		
				झोपड़ी लकड़ी बरसाती की	8.40		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	95.96		
23	शासकीय (चारागाह)	768	दमोदर पिता भागीरथ पाल	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमालकड़ी का छत खपरैल	31.57		स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	31.57		
				दहलान दीवार पत्थर की उपर लकड़ी बरसाती	26.57		
				गौशाला दीवार पत्थर की उपर तीन सेट	22.57		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	113.72		
24	शासकीय (चारागाह)	768	श्रीराम पिता गुलझार लोधी	पीएम. आवास दीवार ईट बिना प्लास्टर	25.48		स्थाई निवास
				दहलान दीवार लकड़ी मिट्टी छत खपरैल	8.36		
				दीवार ईट पत्थर छत बरसाती	6.48		
				कुलयोग :-	40.32		
25	शासकीय (चारागाह)	768	हल्काई पिता परन पाल	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल	42.64		अस्थाई निवास
				उपरी मंजिल छत खपरैल	42.64		
				दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर पटिया फर्श कच्चा	36.40		
				बाउण्ड्रीवॉल दीवार पत्थर की	3.78		
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	126.90		
26	शासकीय (वन)	828/1	करतार सिंह पिता बल्ले सिंह	मकान दीवार ईट उपर खपरैल फर्श कच्चा	29.40		अस्थाई निवास
				गौशाला दीवार पत्थर छत लकड़ी बरसाती	32.76		
				कुलयोग :-	62.16		

27	शासकीय (चारागाह)	882	काशीराम पिता दुर्जन रजक	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत टीनसेट फर्श पक्का	29.93	रामअवतार (अविवाहित)	स्थाई निवास	
				उपरी मंजिल	29.93	रामकुमार (पत्नि सीता)		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा लकड़ी का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	8.56			
				उपरी मंजिल	8.56			
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर कंक्रीट फर्श पक्का	12.62			
				दीवार पत्थर छत त्रिपाल गौशाला	24.60			
				दीवार ईट छत आरसीसी. फर्श पक्का	29.73			
				छज्जा	4.35			
				छज्जा	1.74			
				जीना पक्का	2.48			
				गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.39			
				भूसा घर दीवार पत्थर की छत टीनसेट	15.26			
				दहलान दीवार ईट की छत लकड़ी त्रिपाल	10.80			
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी त्रिपाल	6.84			
				शौचालय	1.44			
कुलयोग :-				204.23				
28	शासकीय (चारागाह)	882	श्री राम पिता बट्टू लाल सोनी	मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	54.05		अस्थाई निवास	
				रामसेवक पिता बट्टू लाल सोनी	दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का			27.60
				खण्डर दीवार पत्थर की छत खुला भाग	27.60			
				बाउण्ड्रीवॉल दीवार ईट मात्र	2.02			
कुलयोग :-				111.27				
29	शासकीय (चारागाह)	882	गजेन्द्रसिंह पिता किशोरी सिंह लोधी	पी.एम. आवास छत आर.सीसी. फर्श पक्का	33.12		अस्थाई निवास	
				छज्जा पीएम आवास	5.76			
				दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती फर्श कच्चा	20.44			
				मकान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श पक्का	22.28			
				शौचालय + नहानी दीवार ईट छत टीनसेट	3.64			
कुलयोग :-				85.24				
30	शासकीय (चारागाह)	882	मिहीलाल पिता हल्कू अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	32.80	नत्थू (अविवाहित)	स्थाई निवास	
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सीट फर्श कच्चा	11.44	राजा (पत्नि रूपाली)		
				पी.एम. आवास छत आरसीसी. फर्श पक्का	29.58			
				छज्जा पीएम आवास	4.35			
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44			
कुलयोग :-				79.61				

31	शासकीय (चारागाह)	882	भोलेप्रसाद पिता खुमान अहिरवार	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	28.05	राजकुमार (अविवाहित)	स्थायी निवास
				छज्जा आर.सी.सी. का	4.25	निशा (अविवाहित)	
				शौचालय पक्का	1.44		
				कुलयोग :-	33.74		
32	शासकीय (चारागाह)	882	नीरज पिता भोले अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	47.77		स्थायी निवास
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	11.44		
				बाउण्ड्रीवॉल पत्थर की दीवार	16.20		
				कुलयोग :-	75.41		
33	शासकीय (चारागाह)	882	हरीराम पिता धनु अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श कच्चा	25.96		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल खपरैल	25.96		
				दहलान दीवार ईट की छत तीन सीट फर्श कच्चा	18.29		
				बाण्ड्रीवॉल पत्थर की	6.72		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	78.37		
34	शासकीय (चारागाह)	882	रामचरण पिता कन्छेदी अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत तीन सीट फर्श कच्चा	14.66		स्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट की छत नहीं	1.44		
				कुलयोग :-	16.10		
35	शासकीय (चारागाह)	882	राजेन्द्र पिता रामचरण अहिरवार	दहलान दीवार ईट की छत लकड़ी त्रिपाल फर्श कच्चा	13.23		स्थायी निवास
				कुलयोग :-	13.23		
36	शासकीय (चारागाह)	882	पर्वत पिता रामचरण अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	20.99		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल छत खपरैल	20.99		
				कुलयोग :-	41.98		
37	शासकीय (चारागाह)	882	विशमना पिता जुगरे अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	23.10		स्थायी निवास
				शौचालय दीवार ईट छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	24.54		
38	शासकीय (चारागाह)	882	गोटीराम पिता खंजु अहिरवार	गौशाला दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	25.99		अस्थायी निवास
				कुलयोग :-	25.99		
39	शासकीय (चारागाह)	882	छोटेलाल पिता कन्छेदी अहिरवार	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	29.82		स्थायी निवास
				छज्जा पीएम आवास	6.030		
				कुलयोग :-	35.85		
40	शासकीय (वन)	884	कल्लो बाई बेबा हल्काई अहिरवार	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी.	31.24	उदयमान (पत्नि शिखा)	स्थायी निवास
				शौचालय पक्का छत टीनसेट	2.60		
				छज्जा आर.सी.सी.	4.40		
				कुलयोग :-	38.24		

41	शासकीय (वन)	884	राजेश पिता हल्काई अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	17.60		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	17.60		
				दहलान पिलर लकड़ी के छत बरसाती	8.00		
				कुलयोग :-	43.20		
42	शासकीय (वन)	884	महेश पिता हल्काई अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	17.60		स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	17.60		
				दहलान पिलर पत्थर के छत बरसाती	8.00		
				कुलयोग :-	43.20		
43	शासकीय (वन)	884	धन प्रसाद पिता हल्काई अहिरवार	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी.प्लास्टर नहीं	31.18		स्थायी निवास
				छज्जा	4.30		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.34		
				दीवार पत्थर की मात्र खुलाभाग	32.63		
				कुलयोग :-	84.44		
44	शासकीय (वन)	884	मोहनलाल पिता बाला अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.00		स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट एवं लकड़ी छत त्रिपाल फर्श कच्चा	12.35		
				गोशाला दीवार ईट लकड़ी की छत बरसाती फर्श कच्चा	19.40		
				शौचालय सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	59.19		
45	शासकीय (वन)	884	इमरत पिता मोहन अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	15.20		स्थायी निवास
				दहलान दीवार लकड़ी की छत बरसाती फर्श कच्चा	4.20		
				कुलयोग :-	19.40		
46	शासकीय (वन)	884	नन्लाल पिता उत्तम अहिरवार	मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	43.68		स्थायी निवास
				छज्जा आर.सी.सी	4.68		
				कुलयोग :-	48.36		
47	शासकीय (वन)	884	उत्तम पिता मिठ्ठू अहिरवार	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	31.74		स्थायी निवास
				झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती फर्श कच्चा	7.50		
				कुलयोग :-	39.24		
48	शासकीय (वन)	884	शिवदीन पिता कच्छेदी अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्श कंक्रीट नहीं	26.24		स्थायी निवास
				कुलयोग :-	26.24		
49	शासकीय (वन)	884	सल्ले पिता चेतु अहिरवार	पी.एम. आवास दीवार ईट की छत गाटर फर्श पक्का	30.75	भगवानदास (पत्नि पूजा)	स्थायी निवास
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श कच्चा	26.24		
				उपरी मंजिल	26.24		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	84.67		

50	शासकीय (वन)	884	कन्हैयालाल पिता शिवलाल अहिरवार	पी.एम. आवास छत आर.सी.सी.	33.39	अनिल (अविवाहित)	स्थायी निवास
				मकान पक्का दीवार ईट छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	37.23		
				मकान पक्का दीवार ईट छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	24.60		
				छज्जा गाटर फर्शी का	3.60		
				छज्जा आर.सी.सी का	4.26		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	19.20		
				नहानी ईट की ऑपन	4.46		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	128.18		
51	शासकीय (वन)	884	मुन्ना लाल पिता तातू अहिरवार	पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	33.79	रामप्रसाद (अविवाहित)	स्थायी निवास
				मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श कच्चा	25.52		
				उपरी मजिल	25.52		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	86.28		
52	शासकीय (वन)	884	कमलदास आश्रम पिता कलू अहिरवार	मंदिर पक्का आर.सी.सी. का फर्श पक्का	41.21		अस्थायी निवास
				जीना पक्का आर.सी.सी.	3.89		
				पानी की टंकी आर.सी.सी. की	4.16		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	23.52		
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	11.20		
				मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	30.96		
				टपरा लकड़ी बरसाती का	18.63		
				सेवादार की समाधी पक्की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	10.85		
				निसान पक्का आर.सी.सी.	1.00		
				हवन वेदी चबूतरा पक्का	9.46		
				मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	43.40		
				दहलान दीवार ईट की बिना प्लास्टर छत टीनसेट फर्श पक्का	25.58		
				बाउडी वॉल पक्का ईट की	0.88		
गेट लोहे का पिलर आर.सी.सी.	6.20						
				कुलयोग :-	237.98		
53	शासकीय (वन)	884	भागचन्द्र पिता मनसुख अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.99		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	10.32		
				कुलयोग :-	27.31		

54	शासकीय (वन)	884	डालचन्द्र पिता मनसुख	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	16.99		स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट की छत खुला	10.32		
				कुलयोग :-	27.31		
55	शासकीय (वन)	884	मिहीलाल पिता पुन्नेलाल अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.04		स्थायी निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत बरसाती	13.02		
				दीवार पत्थर की मात्र छत खुला फर्श कच्चा	15.54		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	56.04		
56	शासकीय (वन)	884	दयाराम पिता कन्छेदी अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का उपरी मंजिल	29.52	सदीप (पत्नि किर्ति) आकाश (पत्नि राजकुमारी)	स्थायी निवास
				मकान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	29.52		
				दीवार ईट छत टीन सेट फर्श कच्चा	26.60		
				शौचालय	32.40		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	119.48		
57	शासकीय (वन)	884	तुलसीराम पिता खंजु अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श फर्श कच्चा (नीचे की मंजिल)	29.11	भागबल (अविवाहित)	स्थायी निवास
				बाउण्डी बाल पत्थर की मात्र	3.00		
				शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	33.55		
58	शासकीय (वन)	884	बीरन पिता तुलसीराम अहिरवार	मकान दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श कच्चा	10.50		स्थायी निवास
				दहलान दीवार ईट छत बरसाती फर्श कच्चा	12.43		
				कुलयोग :-	22.93		
59	शासकीय (वन)	884	डालचन्द्र पिता तुलसीराम	मकान दीवार ईट की छत खपरैल नीचे गाटर फर्शी (उपर की मंजिल मात्र)	29.11		स्थायी निवास
				जीना पत्थर का	2.40		
				कुलयोग :-	31.51		
60	शासकीय (वन)	884	मुन्नालाल पिता हरिसिंह अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का उपर खपरैल फर्श पक्का	25.46	हेमन्त (अविवाहित) नीरज (अविवाहित) मालती (अविवाहित)	स्थायी निवास
				उपरी मंजिल	25.46		
				मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर उपर टीन सीट फर्श पक्का	26.13		
				उपरी मंजिल	26.13		
				कमरा दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श पक्का	11.90		
				दहलान पिलर ईट के छत सीमेंट सीट फर्श पक्का	11.55		
				बाउण्डी बाल पत्थर की	4.00		
				बाउण्डी बाल ईट की	5.58		
				शौचालय एव नहानी दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	7.00		

61	शासकीय (वन)	884	सरनसिंह पिता वाला अहिरवार	मकान दीवार ईट छत सीमेंट फर्श कच्चा	34.27		स्थाई निवास
				मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की छत पट्टा लकड़ी का उपर खपरेल फर्श पक्का	37.15		
				उपरी मजिल	37.15		
				गौशाला लकड़ी की झोपड़ी फर्श कच्चा	16.20		
				शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट	1.44		
				कुलयोग :-	126.21		
62	शासकीय (वन)	884	रामराजा पिता रमेश पाल	मकान डबल मजिल दीवार पत्थर की बीच में पट्टा लकड़ी का छत खपरेल फर्श कच्चा	34.02		अस्थाई निवास
				उपरी मजिल	34.02		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा	18.63		
				दहलान दीवार पत्थर उपर खपरेल त्रिपाल फर्श कच्चा	18.63		
				कुलयोग :-	105.30		
				महायोग :-	4704.74		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कड़िका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 26/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 272-भू-अर्जन-2023

सीधी, दिनांक 17 मार्च 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य सीधी जिले के खड़बड़ा-कुबरी बाया अमरपुर मार्ग मे सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:-	सीधी
(ख) तहसील	:-	बहरी
(ग) ग्राम	:-	मरसरहा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	शिवपुर-06
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	0.449 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकवा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	660/1	0.114	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.)	खड़बड़ा-कुबरी बाया अमरपुर मार्ग मे सोन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु
2	660/2	0.053		
3	559/1	0.070		
4	656/1	0.072		
5	657	0.140		
निजी भूमि का योग-		0.449		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 274-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

जिला	: -	सीधी
तहसील	: -	बहरी
ग्राम	: -	डढ़िया
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	: -	रकबा 0.190 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकबा	भूमिस्वामी का नाम	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	62/1	0.190	पंचवती देवी पत्नी त्रिशूलधारी राम, शिवपूजन प्रसाद पिता त्रिशूलधारी राम	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा (म.प्र.)	बहरी हनुमना मार्ग के कि.मी. 10/2 में सोन नदी (जोगदहा घाट) पर पुल का निर्माण हेतु।
2	62/2				
कुल योग:-		0.190			

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2403-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 31 मार्च 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भीमकुण्डी जलाशय परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग क्रं० 1 सिवनी जिला-सिवनी को संबन्धित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबन्ध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

01. ग्राम का नाम :- दुटई ब.नं.-4 प.ह.न.-2
02. रा.नि.मं. :- चगरी खुद तहसील:- छपारा जिला - सिवनी
03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 2.33 हेक्टेयर

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	3	भूमि स्वामी	कृषि	0.01	सुम्मा पिता रामसिंह गौड़ सिवनी	सुम्मा पिता रामसिंह	सुम्मा पिता रामसिंह	चतुर्भुज पि० झनकू	सुम्मा पिता रामसिंह				
2.	2/3	भूमि स्वामी	कृषि	0.06	चतुर्भुज पिता झनकू गौड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मकराम पि० झनकू	चतुर्भुज पि० झनकू	किसन पि० झनकू	सुकरती पत्नी गुलाब				
3.	2/6	भूमि स्वामी	कृषि	0.07	किसन पि० झनकू गौड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसन पि० झनकू	दयाराम पिता मनक	मकराम पि० मनक	चतुर्भुज पि० झनकू				

4	2/4			0.06	किसन पि0 इनकू गोड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसन पि0 इनकू	किसन पि0 इनकू	किसन पि0 इनकू	दयाराम पिता मनक				
5	2/13	भूमि स्वामी	कृषि	0.13	किसन पुत्र इनकू रामवती असरवती चतुर्भुज पिता इनकू गोड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसन पि0 इनकू	किसन पि0 इनकू	दयाराम पिता मनक	किसन पि0 इनकू				
6	2/14	भूमि स्वामी	कृषि	0.10	मंदो सुकत पिता फतेसिंह सुखमान झिन्ना सुकमनी पिता बिरडू बडडू छुट्टो आनारो पिता सुखचंद गोड़	किसन पि0 इनकू	किसन पि0 इनकू	श्रीराम पि0 सतेलाल	किसन पि इनकू				
7	4	भूमि स्वामी	कृषि	0.15	श्रीराम रूसमान भुजल सुकमान रूपवती सुन्दो बेवा सतेलाल बलीराम असियावाई असरती पि0 बतेलाल बतनिया बेवा टीका गोड़ दुटई	श्रीराम पि0 सतेलाल	श्रीराम पि0 सतेलाल	रामप्यारी पति गनाराम	किसन पि इनकू				
8	9	भूमि स्वामी	कृषि	0.39	रामप्यारी पति गनाराम आशाराम पि0 गनाराम गोड़ सिवनी	रामप्यारी पति गनाराम	रामप्यारी पति गनाराम	रास्ता	श्रीराम पिता सतेलाल				
9	16/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.31	आसवती बेबा धनउबा सीता सुनीता सुनील पि0 धनउबा गोड़ सिवनी	आसवती बेबा धनउबा	आसवती बेबा धनउबा	बराती पि0 धनूलाल	रास्ता				
10	19	भूमि स्वामी	कृषि	0.08	मेहतर मोहरसी पंचलाल हुलिया पि0 सिपतलाल सुकरती बेबा सहतर लक्ष्मण(ना.बा.) पिता सहतर संरक्षक सरस्वती बेबा नन्हेलाल चंदरसी पि0 नन्हेलाल	मेहतर पि0 सिपतलाल	मेहतर पि0 सिपतलाल	भू जल पानी के नीचे	बराती पि0 धनूलाल				
11	34/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.19	नुखिया पुत्री उमेदा गोड़ दुटई	नुखिया पुत्री उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	जीरोबाई पुत्री	कृष्णा पि0 उमेदा				

12	36/1	भूमि स्वामी कृषि	0.21	नुखिया पुत्री उमेदा गोंड दुटई	नुखिया पुत्री उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	गनपत पुत्री रमूलाल	कृष्णा पि० उमेदा				
13	34/2	भूमि स्वामी कृषि	0.11	कृष्णा पि० उमेदा गोंड दुटई	कृष्णा पि० उमेदा	कृष्णा पि० उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	भूजल पानी के नीचे				
14	36/2	भूमि स्वामी कृषि	0.05		कृष्णा पि० उमेदा	कृष्णा पि० उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा				
15	37/1	भूमि स्वामी कृषि	0.15	जीरोबाई पुत्री हरलाल गोंड सिवनी	कृष्णा पि० उमेदा	कृष्णा पि० उमेदा	बल्लू पि० मानसिंह	नुखिया पुत्री उमेदा				
16	2/5/3	भूमि स्वामी कृषि	0.06	दयाराम पि० मनक गोंड दुटई	किसन पि० झनकू	दयाराम मनक	किसन पि० झनकू	किसन पि० झनकू				
17	16/1/1	भूमि स्वामी कृषि	0.20	बराती पि० धन्नूलाल गोंड दुटई	बराती पि० धन्नूलाल	बराती पि० धन्नूलाल	नेहतर पि० सिपतराल	आसवती पि० धनराबा				
			2.33									

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भूअर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री भीमकुण्डी परियोजना नहर संभाग सिवनी तहसील छपारा जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अधिनियम की धारा-11 (4) के आधीन कोई व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संयव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सूचित नहीं करेगा।

4. अधिनियम की धारा-15 के आधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष अक्षेप आदि कोई हां फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 2403-जि.भू.अ.-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भीमकुण्डी जलाशय परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग क्र० 1 सिवनी जिला-सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजना बावत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबन्ध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

01. ग्राम का नाम :- दुटई ब.नं.-4 प.ह.न.-2
 02. रा.नि.मं. :- चमारी खुर्द तहसील:- छपारा जिला - सिवनी
 03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 2.33 हेक्टेयर

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० म	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	3	भूमि स्वामी	कृषि	0.01	सुम्मा पिता रामसिंह गौड़ सिवनी	सुम्मा पिता रामसिंह	सुम्मा पिता रामसिंह	चतुर्भुज पि० झनकू	सुम्मा पिता रामसिंह				
2.	2/3	भूमि स्वामी	कृषि	0.06	चतुर्भुज पिता झनकू गौड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मकरयाम पि० मनक	चतुर्भुज पि० झनकू	किसन पि० झनकू	सुकरती पन्ति गुलाब				
3.	2/6	भूमि स्वामी	कृषि	0.07	किसन पि० झनकू गौड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसन पि० झनकू	दयाराम पिता मनक	मकरयाम पि० मनक	चतुर्भुज पि० झनकू				

4.	2/4			0.06	किसन पि० इनकू गोड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसन पि० इनकू	किसन पि० इनकू	किसन पि० इनकू	दयाराम पिता मनक				
5	2/13	भूमि स्वामी	कृषि	0.13	किसन पुत्र इनकू रामवती असरवती चतुर्भुज पिता इनकू गोड़ सिवनी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसन पि० इनकू	किसन पि० इनकू	दयाराम पिता मनक	किसन पि० इनकू				
6.	2/14	भूमि स्वामी	कृषि	0.10	मंदो सुकत पिता फतेसिंह सुखमान झिन्ना सुकमनी पिता बिरझू बडडू छुट्टो आनारो पिता सुखचंद गोंड	किसन पि० इनकू	किसन पि० इनकू	श्रीराम पि० सतेलाल	किसन पि इनकू				
7.	4	भूमि स्वामी	कृषि	0.15	श्रीराम रूसमान भुजल सुकमान रूपवती सुन्दो बेधा सतेलाल बलीराम असियावाई असरती पि० बतेलाल बतनिया बेबा टीका गोंड दुटई	श्रीराम पि० सतेलाल	श्रीराम पि० सतेलाल	रामप्यारी पति गनाराम	किसन पि इनकू				
8	9	भूमि स्वामी	कृषि	0.39	रामप्यारी पति गनाराम आशाराम पि० गनाराम गोंड सिवनी	रामप्यारी पति गनाराम	रामप्यारी पति गनाराम	रास्ता	श्रीराम पिता सतेलाल				
9.	16/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.31	आसवती बेबा धनउबा सीता सुनीता सुनील पि० धनउबा गोंड सिवनी	आसवती बेबा धनउबा	आसवती बेबा धनउबा	बराती पि० धनूलाल	रास्ता				
10	19	भूमि स्वामी	कृषि	0.08	मेहतर मोहरसी पंचलाल हुलिया पि० सिपतलाल सुकरती बेबा सहतर लक्ष्मण(ना.बा.) पिता सहतर संरक्षक सरस्वती बेबा नन्हेलाल चंदरसी पि० नन्हेलाल	मेहतर पि० सिपतलाल	मेहतर पि० सिपतलाल	भू जल पानी के नीचे	बराती पि० धनूलाल				
11	34/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.19	नुखिया पुत्री उमेदा गोंड दुटई	नुखिया पुत्री उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	जीरोबाई पुत्री	कृष्णा पि० उमेदा				

12	36/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.21	नुखिया पुत्री उमेदा गोंड डुटई	नुखिया पुत्री उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	गनपत पुत्री रम्मूलाल	कृष्णा पि० उमेदा				
13	34/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.11	कृष्णा पि० उमेदा गोंड डुटई	कृष्णा पि० उमेदा	कृष्णा पि० उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	भूजल पानी के नीचे				
14	36/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.05		कृष्णा पि० उमेदा	कृष्णा पि० उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा	नुखिया पुत्री उमेदा				
15	37/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.15	जीरोबाई पुत्री हरलाल गोंड सिवनी	कृष्णा पि० उमेदा	कृष्णा पि० उमेदा	बल्लू पि० मानसिंह	नुखिया पुत्री उमेदा				
16	2/5/3	भूमि स्वामी	कृषि	0.06	दयाराम पि० मनक गोंड डुटई	किसन पि० इनकू	दयाराम मनक	किसन पि० इनकू	किसन पि० इनकू				
17	16/1/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.20	बराती पि० धन्नुलाल गोंड डुटई	बराती पि० धन्नुलाल	बराती पि० धन्नुलाल	मेहतर पि० सिपतलाल	आसवती पि० धनचबा				
				2.33									

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भूअर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यालयन यंत्री भीमकुण्ड्री परियोजना नहर संभाग सिवनी तहसील छपारा जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अधिनियम की धारा-11 (4) के आधीन कोई व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संयव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सूचित नहीं करेगा।

4. अधिनियम की धारा-15 के आधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष अक्षेप आदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), सारंगपुर,
जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 707-भू-अर्जन-2023

सारंगपुर, दिनांक 17 मार्च 2022

प्रारूप-ख	
नियम 5 का नियम (2) देखिये	
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कुण्डालिया वृहद सिंचाई परि योजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम पिपल्या मोची तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्र कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) व अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पंचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>	

अनुसूची (01)

ग्राम - पिपल्या मोची		तहसील-सारंगपुर	
क्र.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		36.647	1.056
	योग :-	36.647	1.056

अनुसूची - (02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम :- पिपल्या मोची तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़					
क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	153	शिवसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	1.149	0.041
2	144/2	प्रेम सिंह पिता भेरू सिंह जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.244	0.036
3	148/5	सुल्तान सिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.759	0.099
4	150, 139/6, 151	उमराव सिंह पिता शिव सिंह जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	2.311	0.117
5	139/2/2	शासकिय	पिपल्या मोची	4.000	0.131
6	139/5/2	रामबगस, लालसिंह पिता फतेसिंह जाति सुतार	पिपल्या मोची	1.200	0.018
7	139/5/3	हरीसिंह पिता फतेसिंह जाति सुतार	पिपल्या मोची	0.600	0.014
8	139/7/1/1	रवि सिंह, विक्रम सिंह, रामकला बाई पिता लीला बाई बेवा पिता किशन लाल, केलाश, संतोष बाई, धापु बाई बेवा पिता श्रीलाल जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.382	0.095
9	135/1	शिव सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.651	0.050
10	136/1/2	प्रेम सिंह पिता भेरू सिंह जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.892	0.050
11	136/1/3/1	धौरपसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.320	0.020
12	136/1/3/2	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.197	0.021
13	136/3	वलराम पिता दुलै सिंह ना.वा. सरमाता सिमा बाई बेवा दुलैसिंह जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.125	0.045
14	149/1	कमलसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.380	0.004
15	149/2	बनेसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.696	0.004
16	142/1	मांगीलाल भगवानसिंह पिता पुर सिंह जाति सौंधिया	पिपल्या मोची	0.294	0.004

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
17	142/3	भरूसिंह पिता हीरालाल जाति साँध्या	पिपल्या मोची	0.294	0.004
18	142/4	अर्जुनसिंह पिता मोडसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.295	0.004
19	140/2/1	भगवानसिंह पिता मदनसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.105	0.003
20	140/2/2	कवरलाल पिता निभय सिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.106	0.003
21	140/2/2/3	नरभसिंह पिता मदनसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.105	0.003
22	140/3, 141	देवीलाल पिता नाथूसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.154	0.003
23	139/1	माग्या पिता गोपी जाति चमार	पिपल्या मोची	2.729	0.004
24	139/2/3	भबरलाल पिता मदनलाल जाति चमार	पिपल्या मोची	1.000	0.004
25	136/1/2	प्रेम सिंह पिता भरूसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.892	0.005
26	136/2	धिरपसिंह पिता मांगीलाल जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.279	0.005
27	136/3	वलराम पिता दुले सिंह ना.वा. सरमाता सिमा बाई बेवा दुलसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.125	0.005
28	136/4, 136/5	वलराम पिता दुले सिंह ना.वा. सरमाता सिमा बाई बेवा दुलसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.315	0.005
29	137	प्रेमसिंह पिता भरूसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.101	0.005
30	161/1/1	देवीसिंह, बनसिंह राजेश पिता नारायण, पूजाबाई, चंदाबाई पुत्र नारायण जाति चमार	पिपल्या मोची	2.000	0.007
31	161/1/5	लालू पिता कालू जाति चमार	पिपल्या मोची	1.000	0.006
32	161/2/1/1	गीताबाई पति इंद्रसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	1.644	0.007
33	161/2/1/2/1	गंगाबाई पति कालूसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.379	0.005
34	158/3/2	नवलसिंह पिता रामलाल जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.238	0.008
35	201	देवीलाल पिता नाथूसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.781	0.014
36	205/1	हरि सिंह पिता पुर सिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.284	0.008
37	205/3	बदनबाई बेवा देवसिंह गब्बा धनसिंह कानेराम इंद्रसिंह मनोहरसिंह दिलीपसिंह सोरम बाई पिता देवसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.285	0.006
38	219/1/3	रणजीतसिंह पिता गोपालसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.653	0.003
39	219/2/1/1/1	घोसालाल पिता मोतीलाल जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.505	0.002
40	219/2/1/1/2	फूलसिंह पिता शिवसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.073	0.001
41	219/2/1/2	भगवानसिंह पिता गंभीर जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.169	0.002
42	219/2/1/3	मांगीलाल पिता गंभीर जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.169	0.002
43	219/2/1/4	मनोहर पिता गंभीर जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.168	0.002
44	200	रामसिंह पिता नाथूसिंह जाति साँधिया	पिपल्या मोची	0.113	0.004
45	161/5/2/1	शासकिय चरगाहा	पिपल्या मोची	7.486	0.180
महायोग				36.647	1.056

प्रारूप-ख					
नियम 5 का नियम (2) देखिये					
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम राजपुरा तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>					
अनुसूची (01)					
ग्राम - राजपुरा			तहसील-सारंगपुर		
क्रं.	विवरण		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
			14.268	0.161	
		योग :-	14.268	0.161	
अनुसूची - (02)					
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम :- राजपुरा तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़					
क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	9/3	गोकलसिंह, लालसिंह पिता शिवसिंह जाति साँधिया	राजपुरा	0.441	0.008
2	9/4/1	प्रेमसिंह साँधिया पिता भरूसिंह जाति साँधिया	राजपुरा	0.253	0.008
3	9/4/2	मांगीलाल पिता भरूसिंह जाति साँधिया	राजपुरा	0.506	0.008
4	9/4/4	बलराम पिता दुलूसिंह लीलाबाई बेवा दुलूसिंह जाति साँधिया	राजपुरा	0.232	0.008
5	10	शासकिय नाला	राजपुरा	0.089	0.017
6	11	शासकिय	राजपुरा	0.898	0.011
7	35/3/2, 35/4/1	प्रेमसिंह साँधिया पिता भरूसिंह जाति साँधिया	राजपुरा	0.463	0.030
8	35/5/2, 35/6/1	हरीसिंह पिता पुरसिंह धीरपसिंह पिता अनारसिंह, चतरूबाई शातिबाई पु अनारसिंह, जाति साँधिया	राजपुरा	0.348	0.026
9	35/1/1	गोकलसिंह, लालसिंह पिता शिवसिंह जाति साँधिया	राजपुरा	1.649	0.023
10	35/1/3	मांगीलाल, प्रेमसिंह, दुलूसिंह पिता भरूसिंह, शिवसिंह पिता गंगाराम, मोड़सिंह पिता भोना सिंह, रामसिंह, आमरसिंह, देवीसिंह, हिंदू सिंह पिता नवलसिंह, प्रेमसिंह, बालूसिंह पिता बापूलाल, पानबाई बेवा बापूलाल, अनारसिंह, बालूसिंह, बिरमसिंह, मानसिंह, भागवान सिंह पिता परथी सिंह पुरा सिंह घिरव सिंह पिता अनारसिंह, पुरासिंह, घिरव, सिंह पिता आंत्रसिंह, गब्बा, घनसिंह, कनीराम, इंदर सिंह, मनोहार सिंह, दिलीप सिंह, सोरम बाई पिता देवीसिंह, बदनबाई बेवा देवीसिंह, नारायण सिंह, नवलसिंह, नवलसिंह मांगीलाल पिता रामलाल, जानीबाई बेवा रामलाल, मदनसिंह पिता माघ सिंह सो.. कालू पिता गुलाब, रामसिंह पिता भागचंद जाति सुतार	राजपुरा	9.389	0.022
		महायोग		14.268	0.161

प्रारूप-ख	
नियम 5 का नियम (2) देखिये	
<p>कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम देवलीमान खालसा तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पंचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>	

अनुसूची (01)


ग्राम - देवलीमान खालसा		तहसील-सारंगपुर	
क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		16.330	0.243
योग :-		16.330	0.243

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से
ग्राम :- देवलीमान खालसा तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़

क्रं.	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
	44/1	महेंद्र सिंह पिता दरवार सिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.139	0.004
	96/1/1	जितेंद्रसिंह पिता दरवार सिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.500	0.004
	96/2/1	भारतसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.486	0.004
	96/2/2, 96/2, 97/1	मांगीलाल पिता आशाराम जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.759	0.004
5	96/2/4	जगदीश पिता अमृतलाल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.379	0.004
6	96/3/2	दरवारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.102	0.004
7	96/4/2	दरवारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.043	0.004
8	96/5/2	दरवारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.064	0.004
9	96/5/6	भारतसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.643	0.004
10	90/1, 96/3/1, 96/4/1, 96/5/1	दरवारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.238	0.001
11	90/2	दरवारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.029	0.001
12	90/3, 96/3/3, 96/4/3, 96/5/3	केशरसिंह पिता बन्नीलाल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.238	0.006
13	90/4, 96/3/4, 96/4/4, 96/5/4	दरबारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.237	0.006
14	90/5, 96/3/5, 96/4/5, 96/5/5	दरबारसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.238	0.006
15	100	शासकिय कदीम	देवलीमान खालसा	0.114	0.006
16	88/1	रागानारायण पिता राजाराम जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.873	0.006
17	88/2/4	जीतमल पिता अमृतलाल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.221	0.003

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
18	79/1/1	रीनाकुमारी पिता कालुराम जाति सुतार	देवलीमान खालसा	0.229	0.004
19	77/1	विकाश पिता कालुराम जाति सुतार	देवलीमान खालसा	0.222	0.005
20	77/2	जगन्नाथ पिता गोपीलाल जाति सुतार	देवलीमान खालसा	0.223	0.005
21	113/1	गोविंद पिता जीतमल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.452	0.004
22	113/2	गोपाल पिता जीतमल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.227	0.005
23	113/3	गोपाल पिता जीतमल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.452	0.004
24	113/4	गोविंद पिता जीतमल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.226	0.005
25	113/5	कमला बाई पति जीतमल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.452	0.005
26	115/1/1	भवरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.152	0.005
27	115/1/2	ईश्वरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.152	0.003
28	115/1/3	गोपालसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.152	0.005
29	115/2/1	कमलसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता कालु सिंह, भवरकुवर बेवा कालु सिंह, जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.227	0.005
30	115/2/2	शंकरसिंह, जितेन्द्रसिंह पिता कालु सिंह, लाडकुवर बेवा कालु सिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.228	0.002
31	118/1/1	गोपालसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	1.034	0.004
32	118/1/2	ईश्वरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.552	0.004
33	118/2/1	ईश्वरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.253	0.004
34	125/1	शांति बाई पति मांगीलाल जाति अहिर	देवलीमान खालसा	0.628	0.005
35	125/2	शिवलाल, लीलाबाई पिता घिसा जाति अहिर	देवलीमान खालसा	0.629	0.005
36	125/3	चंदाबाई पिता घिसा, बालूप्रसाद मोहनबाई प्रेम बाई, सीताबाई विष्णुबाई, लीलाबाई पिता प्रभुलाल जाति अहिर	देवलीमान खालसा	0.629	0.005
37	259	शासकिय रास्ता	देवलीमान खालसा	0.228	0.003
38	261/1	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.015	0.002
39	261/2	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.016	0.002
40	261/3	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.016	0.002
41	261/4	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.016	0.002
42	264/1/1	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.148	0.004
43	264/1/2	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.148	0.004
44	264/1/3	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.149	0.004
45	264/1/4	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.149	0.004
46	265/1	छगनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.278	0.005
47	265/2	बलरामसिंह पिता छगनसिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.279	0.005
48	79/2/3	रामचरण पिता अमृत लाल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.200	0.005
49	79/2/4	लक्ष्मीनारायण पिता अमृत लाल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.201	0.005
50	79/2/5	जगदीश पिता अमृत लाल जाति धाकड़	देवलीमान खालसा	0.054	0.005
51	119/1/1	नारायण, देवीसिंह, अनोखसिंह, नंदकुवर पिता प्रहलाद सिंह, केश कुवर बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	1.264	0.022
	122, 123	रोडसिंह पिता भेरू सिंह जाति राजपुत	देवलीमान खालसा	0.747	0.014
		महायोग		16.330	0.243



प्रारूप-ख					
नियम 5 का नियम (2) देखिये					
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकोहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम कडलावद तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जितने भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>					
अनुसूची (01)					
ग्राम - कडलावद			तहसील-सारंगपुर		
क्र.	विवरण		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
			41.044	0.919	
योग :-			41.044	0.919	
अनुसूची --(02)					
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम :- कडलावद तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़					
क्रमांक	क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
	1	श्री राम मंदिर	कडलावद	1.846	0.0350
	91	शासकिय रास्ता	कडलावद	0.051	0.0014
	812/1	गोविंद, दीपक पिता भवानी शंकर, ना.वा. सरपर माता उमाबाई पति भवानी शंकर जाति ब्राह्मण	कडलावद	0.272	0.0420
	811/2/1	मनोज पिता राधेश्याम जाति कुलमी	कडलावद	0.245	0.0280
	848/1/1/2	भगवतसिंह भारतसिंह पिता धीरप सिंह सरकुवर बाई देवा धीरप सिंह जाति राजपूत	कडलावद	3.035	0.0931
	848/1/2/2/1	गोपालसिंह पिता गंगाधरसिंह जाति राजपूत	कडलावद	0.896	0.0931
	670/1	रमेश कालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई	कडलावद	0.028	0.0020
	666/2	गोपाल पिता रामचंद्र जाति ब्राह्मण	कडलावद	0.291	0.0250
	664/1/1	सत्यनारायण ब्राह्मण पिता रामचंद्र जाति ब्राह्मण	कडलावद	0.231	0.0250
	542/2	श्यामसुंदर पिता बाबूलाल जाति कुलमी	कडलावद	0.632	0.0325
	540	गोरीलाल पिता काशीराम जाति लुहार	कडलावद	0.569	0.0375
	537/4	इंदर सिंह पिता नानूराम जाति लुहार	कडलावद	0.499	0.0100
	537/5	इंदर सिंह पिता नानूराम जाति लुहार	कडलावद	0.499	0.0100
	538/2/3	शिवनारायण बापूलाल पिता कालूराम जाति कुलमी	कडलावद	1.138	0.0550
	538/1/2	होक्म चंद पिता मांगीलाल जाति सुतार	कडलावद	0.759	0.0250
	538/2/1/1	कालूसिंह पिता बट्टीलाल जाति नाई	कडलावद	0.241	0.0082
	538/2/1/2	रामसिंह नाई पिता बट्टीलाल जाति नाई	कडलावद	0.240	0.0082
	538/2/1/3	बापूलाल पिता बट्टीलाल जाति नाई	कडलावद	0.240	0.0082
	538/2/1/4	विष्णुप्रसाद नाई पिता बट्टीलाल जाति नाई	कडलावद	0.240	0.0082
	538/2/1/5	गोरधन पिता बट्टीलाल जाति नाई	कडलावद	0.240	0.0082
	520/5	रामकरण पिता कालूराम जाति कुलमी	कडलावद	0.346	0.0325
	520/1	गोपाल पिता प्रभूलाल जाति कुलमी	कडलावद	1.733	0.0575
	519/1/2	मनु पिता बाबूलाल जाति कुलमी	कडलावद	0.380	0.0100
	518/15/2	महेश कुमार पिता भगवान सिंह जाति लोहार	कडलावद	1.264	0.0475
	518/15/1	गोरधन पिता भगवान सिंह जाति लोहार	कडलावद	1.265	0.0475
	518/14	पुना पिता जाला जाति बलाई	कडलावद	2.023	0.0650
	518/9	शासकिय रास्ता	कडलावद	17.955	0.0150
	750/2/2	दयाराम पिता रुग्नाथ जाति बलाई	कडलावद	1.510	0.0280
	750/1	विष्णु सोहन पिता पुरा कौशल्या बाई देवा पुरा पिता पुरा जाति बलाई	कडलावद	0.510	0.0240
	740/2/2/4/1	भगवानसिंह पिता भरू जाति गुर्जर	कडलावद	0.550	0.0080
	748/1	माधूलाल मुन्नालाल कवरलाल पिता पूनाजी रोड़ीबाई पति मांगीलाल जाति बलाई	कडलावद	0.658	0.0140
	748/2	अमृत बाई पति कन्हैयालाल जाति बलाई	कडलावद	0.658	0.0140
महायोग			41.044	0.919	

प्रारूप-ख

नियम 5 का नियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम देवलीमान जागीर तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पंचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (01)

ग्राम - देवलीमान जागीर		तहसील-सारंगपुर	
क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		15.977	0.206
	योग :-	15.977	0.206

अनुसूची - (02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से

ग्राम :- देवलीमान जागीर तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	105	शासकिय नाला	देवलीमान जागीर	2.0470	0.006
2	157/1/1	गैदासिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.2250	0.006
3	159/2	पुरसिंह पिता गैदासिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.3300	0.018
4	191/1/1/1	देवसिंह पिता भवरलाल जाति अहीर	देवलीमान जागीर	0.2010	0.002
5	191/1/1/2	नारायण पिता भवरलाल जाति अहीर	देवलीमान जागीर	0.2010	0.005
6	191/1/2	भवरीबाई बेवा रंगलाल जाति दांगी	देवलीमान जागीर	1.7710	0.005
7	191/3	भवरीबाई पति रंगलाल जाति दांगी	देवलीमान जागीर	0.5060	0.005
8	191/1/2	भवरीबाई बेवा रंगलाल जाति दांगी	देवलीमान जागीर	1.7710	0.012
9	193/1	बनेसिंह पिता कवरलाल जाति अहीर	देवलीमान जागीर	0.5510	0.006
10	196	शासकिय रास्ता	देवलीमान जागीर	0.1500	0.006
11	234/2/4	गैदासिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.6960	0.002
12	235/1	ईश्वरसिंह, बलवानसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता कवरलाल जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.7630	0.016
13	235/3	अंतरसिंह पिता भवरसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.7630	0.016
14	235/6	अंतरसिंह पिता भवरसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.7640	0.009
15	246/2	नारायणसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	1.0310	0.019
16	245/2/1	भवरकुवर पति भगवानसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.4130	0.007
17	244/2/1	भवरकुवर बाई पति भगवतसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.2530	0.006
18	238/1/1/1/1	हरीसिंह, प्रेमसिंह, अतरसिंह, एलकारसिंह, भवरकुवर बाई पिता सरदार सिंह, कुमेर सिंह पिता रुग्नाथ सिंह रूपा बाई, केसर बाई, रामकु बाई पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	1.5480	0.002
19	238/1/2	देवकरण पिता रोडसिंह जाति गुर्जर	देवलीमान जागीर	1.0120	0.006
	238/2/3	मोतीसिंह पिता धुरीलाल जाति लोडा	देवलीमान जागीर	0.7590	0.004
	244/2/4	केलाश कुंवर पति एलकार सिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.1110	0.030
	44/2/5	मांगूसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत	देवलीमान जागीर	0.1110	0.03
		महायोग		15.977	0.206

प्रारूप-ख

नियम 5 का नियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम कालापीपल तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (01)

ग्राम - कालापीपल		तहसील-सारंगपुर	
क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		13.189	0.061
	योग :-	13.189	0.061

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से
ग्राम :- कालापीपल तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	461/1	बालूप्रसाद बंजारा पिता बिहारीलाल जाति बंजारा	कालापीपल	0.745	0.003
2	461/2	बालूप्रसाद बंजारा पिता बिहारीलाल जाति बंजारा	कालापीपल	0.506	0.003
3	460	इंदरसिंह पिता बापूसिंह, बने सिंह पिता दरयाव, गुड्डी बाई पिता दरयाव, बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह जाति सौंधिया	कालापीपल	1.137	0.002
4	457/1/1	मोहनलाल पिता पुरलाल जाति बलाई	कालापीपल	0.771	0.020
5	227/1/1/1	नरभसिंह, भगवानसिंह पिता मदन सिंह जाति सौंधिया	कालापीपल	0.663	0.002
6	227/1/2	लालसिंह, गोकुलसिंह पिता शिव सिंह जाति सौंधिया	कालापीपल	0.917	0.002
7	227/2/1	पीरूलाल लुहार पिता नाथू जाति लुहार	कालापीपल	0.443	0.002
8	227/2/2	पीरूलाल, बापूलाल, रामकुवरबाई, जसुबाई पिता नाथू जाति लुहार	कालापीपल	0.429	0.003
9	227/2/3	लक्ष्मण पिता उकार जाति कुमार	कालापीपल	0.646	0.002
10	250/1	बालूसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौंधिया	कालापीपल	1.554	0.004
11	250/3/1/2	हरचंद सजनसिंह भगवानसिंह नारायणसिंह पिता गणपत जाति रेवारी	कालापीपल	2.592	0.005
12	250/3/2	गौदीबाई बंजारा पति बिहारी जाति बंजारा	कालापीपल	0.506	0.004
13	250/4, 250/7	चंदर पिता गोरिया, कवरीबाई पति गोरिया बंजारा	कालापीपल	2.155	0.004
14	250/5	इंदरसिंह, दरियाव सिंह पिता बापू लाल, बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह जाति सौंधिया	कालापीपल	0.125	0.005
		महायोग		13.189	0.061

प्रारूप-ख					
नियम 5 का नियम (2) देखिये					
<p>कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लॉकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम बुडनपुर तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पंचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>					
अनुसूची (01)					
ग्राम - बुडनपुर			तहसील-सारंगपुर		
क्रं.	विवरण		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
			27.729	1.165	
योग :-			27.729	1.165	
अनुसूची - (02)					
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम :- बुडनपुर तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़					
क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभाग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
	35/1/1/1	शेरसिंह पिता इंद्रसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.238	0.004
	35/1/1/2	ईश्वर सिंह पिता इंद्रसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.238	0.004
3	35/1/2	गोपीलाल रेवानी पिता भरूसिंह जाति रेवानी	बुडनपुर	0.476	0.004
4	33/2	इंदरसिंह साँधिया पिता बापु सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.506	0.012
5	54/1/1	कमल सिंह साँधिया पिता बने सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.184	0.108
6	47/1	श्रीमति हिम्मत बाई पति कमल सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.372	0.067
7	32	देवसिंह शिवसिंह, सुल्तानसिंह, पिता बापूसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.279	0.016
8	31/1	देवसिंह शिवसिंह, सुल्तानसिंह, पिता बापूसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.137	0.016
9	30/1/1	कमलसिंह, महरबान सिंह, पर्वतसिंह, बहादुरसिंह पिता इंदर सिंह, गोता बाई बेवा इंदर सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.151	0.024
10	205	बहादुरसिंह पिता भगवान सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.506	0.038
11	207	बहादुरसिंह पिता भगवान सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.631	0.013
12	511	चापता बाई साँधिया पिता राजाराम जाति साँधिया	बुडनपुर	1.112	0.021
13	239/1/2/2	मेहरवान पिता मांगीलाल जाति साँधिया	बुडनपुर	0.073	0.012
14	193/1	विक्रमसिंह पिता जगन्नाथ जाति रेवारी	बुडनपुर	1.668	0.020
15	513/1/1/2	देवीलाल रेवारी पिता देवीसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.011	0.002
16	513/1/2	देवीसिंह रेवारी पिता दरयावसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.022	0.002
17	509/1/2	भगवानसिंह साँधिया पिता शिवसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.103	0.024
18	507	इंदरसिंह साँधिया पिता रामसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.125	0.012
19	508	हट्टिसिंह पिता प्रेमसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.559	0.016
20	504/1/2	मांगी बाई बेवा अर्जुन सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.239	0.009
21	504/2/2	प्रेमसिंह पिता देवीसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.358	0.009
22	501	चन्द्रसिंह साँधिया पिता देवीसिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.619	0.027
23	683/1	भेरू सिंह पिता कालू सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	1.596	0.040
24	682	देव सिंह साँधिया पिता कालू सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.024	0.016
25	685	देव सिंह साँधिया पिता कालू सिंह जाति साँधिया	बुडनपुर	0.356	0.064
26	686	परशोसिंह साँधिया पिता बहादुर सिंह साँधिया जाति साँधिया	बुडनपुर	0.150	0.030

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
27	687/1/1	नौरंगबाई बेवा भवरलाल, नारायण सिंह पिता भवरलाल जाति सौधिया	बुडनपुर	0.286	0.034
28	599/1/3/1	लक्ष्मण सिंह भारतसिंह, गोरधन सिंह पिता दुर्लसिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	0.472	0.073
29	599/1/6	अर्जुन सिंह सौधिया पिता दुले सिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	2.126	0.079
30	608/1/2/1/1	गिरिराज महाजन पिता रामकुंवर जाति महाजन	बुडनपुर	0.456	0.088
31	531	शासकिय नाला	बुडनपुर	0.543	0.001
32	497/1/2	रामसिंह पिता देवीसिंह जाति कुम्हार	बुडनपुर	0.349	0.046
33	204/2	बहादुर सिंह पिता भगवान सिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	0.291	0.066
34	702/2	देव सिंह सौधिया पिता कालू सिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	0.100	0.018
35	702/1	ईश्वर सिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	1.596	0.077
36	504/1/1	नौरंगबाई बेवा भवरलाल नारायणसिंह पिता भवरलाल जाति सौधिया	बुडनपुर	0.239	0.002
37	504/1/2	मांगीबाई बेवा अर्जुनसिंह जाति सोदिया	बुडनपुर	0.239	0.002
38	504/1/3	भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति सोदिया	बुडनपुर	0.239	0.002
39	504/2/1	चंद्रसिंह सौधिया पिता देवीसिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	0.358	0.002
40	504/2/2	प्रेमसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया	बुडनपुर	0.358	0.002
41	527/1/1	अमृतलाल रेवारी पिता करणसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.027	0.007
42	527/1/2	देवीलाल रेवारी पिता देवीसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.081	0.007
43	527/1/3	चन्द्रसिंह पिता हिंदू सिंह विक्रम सिंह, कमल सिंह पिता हिंदू सिंह, सुमित्रा बाई, नर्मदा बाई, हिरा बाई बेवा हिंदूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.134	0.007
44	527/2	देवीसिंह रेवारी पिता दरयावसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.160	0.007
45	527/3	नारायण रेवारी पिता रामसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.161	0.007
46	521/1	सावरिया पिता देवसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	1.282	0.005
47	521/2	कालूराम पिता रामसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.337	0.004
48	610/1	उमराव सिंह, नारायण सिंह, राजेश पिता हरिसिंह, सिता बाई पति हरिसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.135	0.002
49	610/2	विक्रमसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.135	0.002
50	610/3	कमलसिंह रेवारी पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.135	0.002
51	609/1	उमराव सिंह, नारायण सिंह, राजेश पिता हरिसिंह, सिता बाई पति हरिसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.299	0.002
52	609/2	विक्रमसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.299	0.002
53	609/3	कमलसिंह रेवारी पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	0.300	0.002
54	617/1/2	उमराव सिंह, नारायण सिंह, राजेश पिता हरिसिंह, सिता बाई पति हरिसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	1.431	0.002
55	617/2	विक्रमसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	2.012	0.002
56	617/3	कमलसिंह रेवारी पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी	बुडनपुर	2.011	0.002
57	18	शासकिय नाला	बुडनपुर	0.405	0.001
महायोग				27.729	1.165

प्रारूप-ख					
नियम 5 का नियम (2) देखिये .					
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम घोंसला तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।</p> <p>ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।</p> <p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पचौर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।</p>					
अनुसूची (01)					
ग्राम - घोंसला			तहसील-सारंगपुर		
क्रं.	विवरण		उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु		कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में	
			21.641	0.252	
		योग :-	21.641	0.252	
अनुसूची - (02)					
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से					
ग्राम :- घोंसला तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़					
क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	110	शासकिय भूमि	घोंसला	0.138	0.006
2	111/1/1	खुबानसिंह पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.144	0.006
3	111/1/2	मुकेश पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.064	0.004
4	119/1	जगदीश पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.368	0.006
5	111/1/4	अर्जुन सिंह पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.098	0.004
6	113/1/1	अर्जुन सिंह पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.632	0.012
7	17/2, 17/3	मुकेश पिता धूला जाति लोडा	घोंसला	0.456	0.003
8	113/2	नाथू सिंह पिता केसर सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.670	0.006
9	119/2	मोतीसिंह पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.372	0.004
10	119/4	मुकेश पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.326	0.004
11	119/5	खुबानसिंह पिता सिद्धनाथ जाति लोडा	घोंसला	0.300	0.004
12	121/1/1, 121/1/2	धूला, हरिसिंह पिता पुरालाल जाति लोडा	घोंसला	0.126	0.001
13	121/3	धूला, हरिसिंह पिता पुरालाल जाति लोडा	घोंसला	0.139	0.001
14	121/4/1	धूला, हरिसिंह पिता पुरालाल जाति लोडा	घोंसला	0.063	0.001
15	121/4/2, 121/5, 121/6, 121/7	ईश्वरसिंह पिता केसरसिंह जाति लोडा	घोंसला	0.241	0.001
16	121/8/1, 121/9, 121/10/1,	धूला, हरिसिंह पिता पुरालाल जाति लोडा	घोंसला	0.227	0.001
17	121/8/2	केसर सिंह पिता मेहताब जाति लोडा	घोंसला	0.063	0.001
18	121/10/2	केसर सिंह पिता मेहताब जाति लोडा	घोंसला	0.078	0.001
19	121/11	केसर सिंह पिता मेहताब जाति लोडा	घोंसला	0.089	0.001
20	121/12	धीरज सिंह पिता केसर सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.089	0.001
21	121/13, 121/14, 121/15/2	केसर सिंह पिता मेहताब जाति लोडा	घोंसला	0.165	0.001
22	121/16	केसर सिंह पिता मेहताब जाति लोडा	घोंसला	0.051	0.001
23	24/1	धीरज सिंह पिता केसर सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.126	0.010

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
24	126/1	भागीरथ पिता धुल्या जाति लोडा	घोंसला	0.651	0.005
25	126/2	रामनारायण पिता धुल्या जाति लोडा	घोंसला	0.652	0.004
26	107	शासकिय नाला	घोंसला	0.746	0.001
27	130	हिंदूसिंह, मांगीलाल पिता रामा जाति भिल	घोंसला	0.430	0.009
28	127	हिंदूसिंह, मांगीलाल पिता रामा जाति भिल	घोंसला	0.772	0.006
29	136	राधेश्याम, गब्बालाल, विष्णु पिता मन्ना जाति भिल	घोंसला	0.569	0.001
30	131	राधेश्याम, गब्बालाल, विष्णु पिता मन्ना जाति भिल	घोंसला	0.417	0.001
31	132	रामबाबू गणपत पिता मानसिंह, कमला बाई बेवा मान सिंह जाति भिल	घोंसला	0.089	0.001
32	134	रामबाबू गणपत पिता मानसिंह, कमला बाई बेवा मान सिंह जाति भिल	घोंसला	0.177	0.001
33	96/4	गंगाराम पिता भेरू सिंह, गुलाब बाई पुत्रि भेरूसिंह जाति भिल	घोंसला	0.041	0.002
34	96/5	दरियाब सिंह पिता भेरू सिंह, अंजुबाई पुत्रि भेरूसिंह जाति भिल	घोंसला	0.041	0.002
35	156	शासकिय चारागाह	घोंसला	0.455	0.006
36	256	रतनसिंह पिता भवरलाल जाति लोडा	घोंसला	0.089	0.006
37	249/1	राधेश्याम पिता भवरलाल जाति लोडा	घोंसला	0.166	0.002
38	249/2	रतनसिंह पिता भवरलाल जाति लोडा	घोंसला	0.087	0.004
39	232	फूलसिंह पिता रतनसिंह जाति लोडा	घोंसला	0.392	0.002
40	384/1	फूलसिंह पिता धुल्या जाति भिल	घोंसला	0.392	0.007
41	393/2	सरदारसिंह पिता धुल्या जाति भिल	घोंसला	0.304	0.006
42	393/3	दरियाब सिंह पिता भेरू सिंह, अंजुबाई पुत्रि भेरूसिंह जाति भिल	घोंसला	0.237	0.006
43	96/2	रामप्रसाद पिता धुला जाति भिल	घोंसला	0.040	0.001
44	96/3	सरदार सिंह पिता धुल्या जाति भिल	घोंसला	0.040	0.001
45	96/1	फूलसिंह पिता धुल्या जाति भिल	घोंसला	0.040	0.001
46	94/1	चैनसिंह पिता सावल सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.126	0.001
47	94/2	फुल सिंह, सुरेश, सुनिता, सिमा पिता पांचु जाति लोडा	घोंसला	0.127	0.001
48	94/3	रमेश पिता हजारी लाल सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.126	0.001
49	94/4	लाल सिंह पिता सावल सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.127	0.001
50	173/1/2	बने सिंह पिता हजारी लाल जाति लोडा	घोंसला	0.563	0.006
51	176	सूरजसिंह पिता दरियाब सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.063	0.001
52	177	राधेश्याम पिता दरियाब सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.114	0.002
53	179/2	सूरजसिंह पिता दरियाब सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.013	0.001
54	180	राधेश्याम पिता दरियाब सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.063	0.001
55	259/1/1	गणपत सिंह पिता भबरलाल जाति लोडा	घोंसला	1.134	0.006
56	247/2	रामबाबू पिता केशर सिंह जाति लोडा	घोंसला	0.202	0.007
57	241	राधेश्याम पिता भवर लाल जाति लोडा	घोंसला	0.089	0.002
58	236/1	रतनसिंह पिता भवरलाल जाति लोडा	घोंसला	0.327	0.007
59	231/1	रतनसिंह पिता भवरलाल जाति लोडा	घोंसला	0.432	0.002
60	224	रतनसिंह पिता भवरलाल जाति लोडा	घोंसला	0.417	0.002
61	384/2	रामप्रसाद पिता धुला जाति भिल	घोंसला	0.392	0.002
62	394/2	गंगाराम पिता भेरू सिंह गुलाब बाई पुत्रि भेरूसिंह जाति भिल	घोंसला	0.038	0.006
63	484/2/3	जैतमल पिता गंगाराम जाति भिल	घोंसला	0.253	0.003
64	484/2/4	रोडुलाल पिता हजारी लाल जाति गुर्जर	घोंसला	0.734	0.008
65	479/2/1	सुरेंद्रसिंह पिता रामचरण जाति गुर्जर	घोंसला	2.061	0.007
66	479/3	भेरू लाल, लालचंद विक्रम, शांतबाई पिता गंगाराम, केशरबाई बेवा गंगाराम जाति लोडा	घोंसला	0.367	0.007
67	499/4	भेरू लाल, लालचंद विक्रम, शांतबाई पिता गंगाराम, केशरबाई बेवा गंगाराम जाति लोडा	घोंसला	0.101	0.002
68	478/1	भेरू लाल, लालचंद विक्रम, शांतबाई पिता गंगाराम, केशरबाई बेवा गंगाराम जाति लोडा	घोंसला	0.089	0.004
69	478/2	गौरधन पिता मोतीलाल जाति लोडा	घोंसला	0.556	0.004
	486/4, 491/1/4, 491/2/4, 499/2/4	सूरज पिता बापूलाल जाति भिल	घोंसला	0.304	0.002
	479/1/2, 479/2/2, 499/2/4, 499/3	जगदीश पिता कंवरलाल जाति भिल	घोंसला	0.486	0.003
72	479/1/3, 479/2/2/3, 496/3, 499/3/3	राजाराम पिता बापूलाल जाति भिल	घोंसला	0.487	0.008
महायोग				21.641	0.252

प्रारूप-ख

नियम 5 का नियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम साबरस्या तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं मू-अर्जन अधिकारी राजस्व सारंगपुर-पंचोर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची (01)

ग्राम - साबरस्या		तहसील-सारंगपुर	
क्रं.	विवरण	उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु	कुल रकबा	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
		23.762	0.367
	योग :-	23.762	0.367

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से
ग्राम :- साबरस्या तहसील - सारंगपुर जिला राजगढ़

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
1	80/1	भागौरथ पिता गोपीलाल चौहान जाति राव	साबरस्या	1.809	0.004
2	80/2	रुगनाथ सिंह पिता गोपीलाल चौहान जाति राव	साबरस्या	1.808	0.004
3	79/1	केलाशसिंह पिता गोपीलाल चौहान जाति राव	साबरस्या	1.783	0.008
4	79/2	रामप्रसाद पिता कोदरमल जाति सुतार	साबरस्या	0.506	0.038
5	70/6	जातिमल, फूलसिंह, कालू पिता गंदा, संगीता बाई पिता गंदा मु. सरदार बाई बेवा गंदा जाति बलाई	साबरस्या	0.217	0.045
6	71/1/2	हरलाल पिता सेवा जाति चमार	साबरस्या	0.126	0.007
7	68/2/1	रमेश, रामनारायण पिता गंगाधर, हारिबाई बेवा गंगाधर, प्रभुलाल पिता मोती जाती बलाई	साबरस्या	0.384	0.006
8	68/2/3	जातिमल फूलसिंह कालू पिता गंदा संगीताबाई पिता गंदा मु. सरदारबाई बेवा गंदा जाति बलाई	साबरस्या	0.193	0.006
9	67	रमेश चंद्र पिता गुलाब जाति बलाई	साबरस्या	0.228	0.006
10	66/3/1	भारत सिंह पिता मांगीलाल जाति राव	साबरस्या	0.126	0.007
11	131/1/3/1	भारत सिंह पिता मांगीलाल जाति राव	साबरस्या	0.545	0.009
12	137/2	केलाश चंद्र पिता पुरगीर जाति गुसाई	साबरस्या	0.185	0.003
13	135	कांता प्रसाद पिता मोहनलाल जाति सुतार	साबरस्या	0.152	0.002
14	134	तवरकुवर पति तवरसिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.240	0.002
15	144	ईश्वरसिंह पिता सिद्धनाथ सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.038	0.002
16	146	ईश्वरसिंह पिता सिद्धनाथ सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.051	0.002
17	150	शासकिय नाला	साबरस्या	0.164	0.002
18	151	शासकिय मरघट	साबरस्या	1.189	0.008
19	40/1/1	शासकिय चरागाह	साबरस्या	1.051	0.006
20	40/1/3	शासकिय	साबरस्या	1.000	0.006
21	40/1/4	शासकिय चरागाह	साबरस्या	0.500	0.006
22	40/2/2	राजेंद्र पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़	साबरस्या	0.260	0.002
23	40/2/3	बद्रीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़	साबरस्या	1.500	0.002
24	40/3	लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र बापूलाल सौरभबाई बेवा बापूलाल जाति धाकड़	साबरस्या	0.936	0.002
25	46/1	कवरलाल पिता हरलाल जाति सुतार	साबरस्या	1.344	0.002

क्रमांक	खसरा नं	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	गाँव का नाम	कुल क्षेत्रफल	प्रभावित क्षेत्र
26	158	शासकिय रास्ता	साबरस्या	0.430	0.003
27	160/1	नारायणसिंह पिता पन्नलाल जाति धाकड़	साबरस्या	0.475	0.002
28	161/1	सालगराम पिता बंशीलाल जाति सुतार	साबरस्या	0.506	0.006
29	162/1/1	मोकम सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.759	0.003
30	556/1	मानसिंह पिता केसरसिंह मु. पदमबाई बेवा केसरसिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.411	0.002
31	569/1/2/2	रामनाथ सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.500	0.015
32	149/2/1	हरिनारायण गीर पिता मांगू गीर जाति गुसाई	साबरस्या	0.140	0.001
33	149/2/2	रामबाबू गीर पिता मांगू गीर जाति गुसाई	साबरस्या	0.141	0.001
34	42/3	दरियाव पिता पुरा लाल जाति चमार	साबरस्या	0.759	0.001
35	162/2	मोकम सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	1.012	0.024
36	168/2	रामबाबू पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़	साबरस्या	0.595	0.030
37	556/2	ईश्वरसिंह पिता सिद्धनाथ सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.411	0.038
38	563/1	रामनाथ सिंह पिता पर्वत सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	0.253	0.026
39	569/1	भोमसिंह पिता प्रताप सिंह जाति राजपूत	साबरस्या	1.035	0.028
महायोग				23.762	0.367

राकेश मोहन त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव,
जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र. 207-भू-अर्जन-री-1-2023 रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 6 जनवरी 2023

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-विजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-03 एवं 04 की बांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 108 व 118 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगौन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगौन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगौन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगौन	भीकनगांव	ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76,	6	0.040
			2/7	0.020
			2/6	0.086
			1/6/1	0.102
			1/3/2	0.138
खरगौन	भीकनगांव	ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76,	1/5	0.002
			1/7	0.002
			1/9	0.036
			1/8	0.040
			1/10	0.041
			1/4/2	0.035
			192/3	0.019
कुल योग			12	0.561

क्र. 1376-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र. 0530-ब-121-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 29 मार्च 2023

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-66, 81, 89, 98, 111 व 123 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.- 22/98, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.- 22/98	396	0.010
			14/1	0.010
			14/2	0.028
			14/4	0.040
			14/5	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.- 22/98	24/2	0.124
			25	0.024
			73	0.027
			20/1	0.018
			20/3	0.013
			20/4	0.013
			20/5	0.013
			20/2	0.079
			21/1	0.016
			21/2	0.024
			68/1	0.036
			68/4	0.060
			23/1	0.028
			23/2	0.024
			32/1	0.028
			32/2	0.016
			32/4	0.016
			35	0.018
			37/1	0.020
			37/2	0.091
			37/4	0.091
			38/2	0.068
			37/3/3	0.021
			57/1	0.080
93/2	0.050			
103	0.015			
102	0.018			
119/3	0.030			
119/2	0.014			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	शिरन्या	ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.- 22/98	119/5	0.060
			120/1/1	0.031
			120/4	0.032
			120/2	0.025
			302	0.024
			304/1/1	0.009
			304/1/2	0.090
			304/1/3	0.060
			304/3	0.040
			323/2	0.088
			322	0.065
			318/1	0.040
			318/2	0.062
			317/1	0.058
			315/5	0.038
			381/1	0.013
			383	0.035
			60	0.048
			61	0.048
			59	0.034
			90/6	0.027
			90/3	0.042
			90/2	0.030
			77/2	0.100
			78	0.003
			80	0.033
38/1	0.090			
53	0.061			
52	0.090			
55/2	0.040			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्धा	ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.- 22/98	95/1	0.006
			55/3	0.040
			95/2	0.004
			96/1	0.080
			168/1	0.062
			371/1	0.068
			371/2	0.052
			373/1	0.010
			373/2	0.044
			373/3	0.024
			376/1	0.085
			कुल योग	

क्र. 1378-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेंट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-106 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- छिर्वा प.ह.नं.-19/78, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- छिर्वा प.ह.नं. -19/78,	207/1/1	0.049
			207/3/1	0.053
			210/7	0.035
			210/5	0.050
			210/2	0.055

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- छिर्वा प.ह.नं. -19/78,	210/4	0.050
			490/3	0.030
			490/1	0.030
			489/2	0.040
			490/7	0.040
			216/5	0.020
			489/1	0.020
			216/8	0.020
			490/8	0.045
			489/6	0.020
			216/6	0.020
			488/2	0.038
			487/2	0.173
			487/1	0.060
			484/3	0.055
			484/4	0.052
			484/1	0.040
			626/12	0.055
			473	0.008
			475/4	0.065
			76/1	
			475/4	0.011
			76/2	
			477/1	0.051
			485	0.037
			484/2	0.037
			209/2	0.003
			207/5	0.018
			216/7	0.020
			216/4	0.020
			217/3	0.027
			217/6	0.017
217/2	0.050			
217/4	0.025			
219/1/3	0.008			
219/1/1	0.018			
219/2/1	0.034			
219/3/1	0.033			
219/4	0.032			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— छिर्वा प.ह.नं. -19/78,	190/3	0.030
			190/4	0.021
			190/5/2	0.009
			190/5/3	0.009
			200/1	0.035
			200/2	0.034
			201	0.160
			198/2	0.002
			100	0.044
			99/7	0.027
			99/2/2	0.022
			99/5	0.051
			99/6	0.022
			98/11	0.027
			98/12	0.027
			98/9	0.010
			98/10	0.010
			95/3	0.036
			95/5	0.010
			95/4/1	0.027
			95/4/2	0.100
			87/2	0.015
			88/1	0.135
			88/2	0.051
			89/1	0.032
			590	0.031
			589/8	0.051
496/1	0.045			
496/2	0.046			
90	0.150			
कुल योग			72	2.833

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1351-भू-अर्जन-2022

धार, दिनांक 7 फरवरी 2023

—: प्रारंभिक अधिसूचना :-

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013))

चूंकि राज्य भासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में दांगडीया बैराज योजना के अन्तर्गत ग्राम रोड़दा तहसील गंधवानी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दांगडीया बैराज योजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (01)

ग्राम :- रोड़दा

तहसील :- गंधवानी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	दांगडीया बैराज योजना हेतु योग	0.442	0.000	0.442
		0.442	0.000	0.442

अनुसूची (02)

दांगडीया बैराज योजना के अन्तर्गत ग्राम रोड़दा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम :- रोड़दा

तहसील :- गंधवानी

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	रामसिंह पिता लालसिंह जाति भिलाला निवासी रोड़दा	406/2	0.129	0.000	0.129	0.129	0.000	0.129
2	मडीया पिता लालसिंह जाति भिलाला निवासी रोड़दा	406/3	0.119	0.000	0.119	0.119	0.000	0.119
3	चेनसिंह पिता लालसिंह जाति भिलाला निवासी रोड़दा	406/4	0.194	0.000	0.194	0.194	0.000	0.194
	योग		0.442	0.000	0.442	0.442	0.000	0.442

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 456-भू-अर्जन-2023

बरेली, दिनांक 21 फरवरी 2023

प्रकरण क्रमांक 0003/अ-82/2022-23 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - सडरई

तहसील- देवरी

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सडरई	छत्रपाल आ.रामदयाल राठौर निवासी ग्रा भू स्वामी	261/1/2/2	0.972	0.050	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर	हीरापुर सडरई मार्ग में सिंदूर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण
2	सडरई	पारस आ.रामरतन व हेमराज, महिपाल, कुसुम, सोना बा.. चन्द्रभान संजना ना.बा.आ.सं. पारस सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	261/2	3.116	0.180		
3	सडरई	ज्योतिबाई पुत्री परमानंद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी	252	3.751	0.440		

मुकेश सिंह, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 5 अप्रैल 2023

धारा-11

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें सलंगन अनुसूच के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्वसे चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	श्यामपुर	17.021	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिमी मध्य रेल्वे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र	आवेदक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	दिनेश पिता. नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	447/2/1	0.596	0.474
2	रमेश पिता नारायणसिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	448/3	4.653	0.016
3	कृष्णाबाई पत्नी दिनेश जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	489/2/1	1.286	0.184
4	रामकृष्ण पुत्र कैलाशचन्द्र जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	489/2/2	4.856	0.143
5	दिनेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	490/1	0.312	0.312
6	रमेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	490/2	0.313	0.127
7	मुकेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	490/3	0.313	0.229
8	सरस्वती बेवा ललताप्रसाद जाति खंगार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	500/2/1	0.602	0.027
9	शमीमबी पत्नी रफीक खां जाति पिंजारा पता सीहोर	500/1/3	0.809	0.416

	मध्यप्रदेश भूमिस्वामी			
10	मोरसिंह पिता बटुलाल जाति खंगार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	500/1/4	0.202	0.027
11	ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/1	1.011	0.897
12	सुनील पिता राधेश्याम जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/2/1	1.428	0.391
13	कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/3/1	0.017	0.004
14	धापूबाई बेवा सीताराम, बालाप्रसाद आ0 सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/3/2	0.792	0.631
15	रवि पिता रामचन्द्र जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/4	1.291	0.410
16	शान्तीबाई पत्नी रामचन्द्र जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/6	0.280	0.015
17	ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	506/7	0.481	0.481
18	धनराज पिता बाबूलाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	913/507/2	0.551	0.143
19	कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	913/507/3/1	0.036	0.036
20	धापूबाई बेवा सीताराम बालाप्रसाद आ0 सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	913/507/3/2	0.656	0.535
21	लतीफखां पुत्र मोहम्मदखां जाति पिंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	511/9/1	1.618	0.076
22	शान्तीबाई पत्नी रामचन्द्र जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	511/10	0.526	0.469
23	ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश	920/535	0.987	0.053
24	रोहित पिता धनराज जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	536/1,919/535	1.688	0.722
25	गोपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	511/13,917/511, 918/511	0.542	0.044
26	समंदरसिंह पुत्र अधुनाथ सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	532/4	0.392	0.027
27	विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममतारसिंह दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवराज प्रेमबाई बेवा नारानसिंह समंदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ0 फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 152/901, सौरभ बेवा रामचरण नरेन्द्र आ0 रामचरण चन्दन सिंह	533/1,547/1	2.598	0.082

	आ० करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी			
28	नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खॉ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	533/2,547/2	1.214	0.160
29	जरीना पत्नी नौशाद अली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	533/3,547/3	2.362	0.263
30	अमरसिंह पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	548/1/1	1.106	0.219
31	दिनेश पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	548/1/3	1.107	0.274
32	प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश	548/2	0.457	0.171
33	प्रेमलता परमार पत्नि नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश	548/4	0.851	0.574
34	सुरेश प्रीतमसिंह पुत्र भागीरथ जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	548/5	1.093	0.916
35	नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खॉ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	548/6	1.148	0.177
36	दीवानसिंह पुत्र दरयावनसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	548/7	0.554	0.171
37	लीलाबाई फुलवतीबाई बेवा विक्रमसिंह दिलीप अजय विजय पवन पुत्र विक्रमसिंह पूजा पुत्री विक्रमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	548/8	0.915	0.223
38	कैलाश पिता धीसीलाल जाति चौरसिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	557/1/1	0.405	0.075
39	विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारानसिंह संमद्रसिंह सज्जनसिंह गन्यत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा धीसीलाल अर्जुन सिंह आ० फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 152/901, सोरम बेवा रामचरण नरेन्द्र आ० रामचरण चन्दन सिंह आ० करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	557/1/2	0.931	0.016
40	प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	554/1	0.567	0.341
41	अभयसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	555/1	0.485	0.040

42	विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/1	0.405	0.227
43	विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/10	0.061	0.061
44	विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/13	0.676	0.080
45	अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/15	0.709	0.412
46	अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	556/16	0.202	0.065
47	देवीलाल पुत्र नारानसिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	703/5,704	2.670	0.907
48	दिनेश पुत्र कनीश्राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	703/6, 704	1.214	0.151
49	भवरलाल पिता सीताराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	720/1	1.978	0.913
50	महेश खाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	721/1	1.619	0.027
51	घनश्याम पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	721/3/1,721/3 /2	1.433	0.116
52	अहमद खॉ पिता मोहम्मद खॉ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	724/1	1.275	0.944
53	अहमद खॉ पिता मोहम्मद खॉ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	724/2	0.466	0.016
54	शुभम पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	722/1,729	1.449	0.548
55	अंकित पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	722/2,729	3.102	0.904
56	छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश	715/2	0.081	0.003
57	प्रियंका देवी पत्नी रामसिंह पुत्र ब्रजकिशोर सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर	715/3/2	0.292	0.033
58	प्रेमनारायण पिता खेमराज जाति गायत्री, आशा, उमा, पुत्री खेमराज जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	718	0.348	0.060
59	आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	732/5	0.273	0.158
60	आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	740/2/2	0.972	0.033
61	छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश	741/3	0.798	0.406
62	शुभम अंकित पिता प्रेमनारायण जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	743/2	1.619	0.086
63	महेश कुमार पिता भवरलाल जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	744/2/1	1.885	0.060
64	शिवनारायण पिता लीलाकिशन पता श्यामपुर सीहोर	746/1/2/1	1.134	0.044

	मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 1120/1134 चैनसिंह दुर्गाप्रसाद जयसिंह पिता सुमेरसिंह जाति कुशवाह पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश हिस्सा 9/1134, नीलोफर पत्नी असलम खॉ पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हिस्सा 5/1134			
65	भगवानसिंग पिता लीलाकिशन जाति दांगी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	746/2/1	1.673	0.157
66	गीतादेवीतोमर पत्नी छोटेसिंह तोमर जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	747/3	0.413	0.019
	कुल योग	कुल 66 किता	68.778	17.021

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 15(1) के अन्तर्गत यथा उपबधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बार कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 52-अ-82-2021-22-भू-अर्जन-23-1839

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त एक आपत्तियों का धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त करते हुए निराकरण किया गया है तदुपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : केसली
 3. ग्राम : महका
 4. पट. ह. नं.- : 19
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.10

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	सिंचाई का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनोहर वल्द विष्णु साकिन देह	भूमि स्वामी	58/1	1.06	0.20	निरंक	ख.नं. 58/1 के कुआं से	
		भूमि स्वामी	83/2	0.40	0.02	निरंक		
2	कौशल्यारानी पति बलदेव, प्रीति पुत्री बलदेव	भूमि स्वामी	59/1	1.24	0.12	निरंक	ख.नं. 59/4 के शामिल बोर से	
3	राजधर पिता बालकिशुन साकिन देह	भूमि स्वामी	59/4	1.23	0.16	निरंक		
4	रामनिवास पिता घसीटे साकिन देह	भूमि स्वामी	78/3	0.80	0.08	निरंक	ख.नं. 79 के स्वयं के कुआं से	
		भूमि स्वामी	79	0.89	0.08	निरंक		
5	सोनाबाई पुत्री सरमन सिंह साकिन देह	भूमि स्वामी	80/4	0.81	0.02	निरंक	ख.नं. 85/1 के शामिल कुआं से	
		भूमि स्वामी	81	1.55	0.06	निरंक		
6	नन्हेमाई पिता टीकाराम लोधी साकिन देह	भूमि स्वामी	84/2	0.20	0.12	निरंक		
		भूमि स्वामी	85/1	1.81	0.13	निरंक		
7	जगदीश, रामेश्वर, द्वारका पिता शंभूदयाल, लीलावती, सावित्री, हरीबाई पुत्री शंभूदयाल, श्यामरानी देवा शंभूदयाल, साकिन देह	भूमि स्वामी	148/1	0.50	0.03	निरंक	ख.नं. 148/1 के स्वयं के कुआं से	
		भूमि स्वामी	149	1.43	0.07	निरंक		
8	दुरगसिंह वल्द विष्णु साकिन देह	भूमि स्वामी	148/2	0.46	0.14	निरंक	स्वयं के कुआं से	

9	जगदीश वल्लभ रामप्रसाद साकिन महाका	भूमि स्वामी	154/1	1.41	0.09	निरंक	ख.नं. 154/1 के शामिल कुआं से
10	रामेश्वर वल्लभ रामप्रसाद पांडे साकिन देह	भूमि स्वामी	154/2	1.42	0.14	निरंक	
11	छोटेलाल वल्लभ विष्णु साकिन देह	भूमि स्वामी	156/1	0.85	0.04	निरंक	ख.नं. 156/1 के शामिल कुआं से
			157	0.63	0.06	निरंक	
12	कमलाबाई पति अजुब्दी साकिन देह	भूमि स्वामी	195	0.35	0.12	निरंक	स्वयं के बोर से
13	निर्मल कुमार पिता लालचंद जैन साकिन गौरझामर	भूमि स्वामी	197/1	0.54	0.03	निरंक	ख.नं. 197/1 के शामिल कुआं से
			199	0.78	0.07	निरंक	
14	श्रीदेव पारसनाथ मंदिर मौजा देह मुह. संतोष कुमार वल्लभ गुलझारीलाल, धरमचंद वल्लभ अयोध्या प्रसाद साकिन देह	भूमि स्वामी	197/4	0.40	0.02	निरंक	ख.नं. 201 के शामिल कुआं से
15	रमेश प्रसाद उर्फ रामप्रसाद पिता भगवानदास साकिन देह	भूमि स्वामी	197/5	0.14	0.04	निरंक	ख.नं. 197/5 के स्वयं के कुआं से
16	श्यामरानी पति दुरगसिंग साकिन देह	भूमि स्वामी	197/6	0.32	0.04	निरंक	ख.नं. 197/6 के स्वयं के कुआं से
17	अनिल कुमार पिता गुलझारीलाल जाति जैन पता केसली साकिन देह	भूमि स्वामी	200	0.80	0.09	निरंक	
18	संतोष कुमार पिता गुलझारीलाल जैन पता केसली साकिन देह	भूमि स्वामी	201	1.27	0.04	निरंक	ख.नं. 201 के कुआं से
19	अमरचंद पिता गुलझारीलाल जैन पता केसली साकिन देह		202	1.09	0.14	निरंक	
20	जीवन सिंह पिता भैयाराम साकिन देह	भूमि स्वामी	203/1	0.10	0.03	निरंक	ख.नं. 215/2 के शामिल बोर से
			215/2	0.51	0.06	निरंक	
21	परसराम पिता भैयाराम साकिन देह	भूमि स्वामी	204/3	0.36	0.09	निरंक	
22	भारेलाल वल्लभ बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	203/2	0.81	0.06	निरंक	ख.नं. 216 के शामिल बोर से
		भूमि स्वामी	215/1	0.60	0.08	निरंक	
23	टीकाराम वल्लभ बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	204/1	1.84	0.18	निरंक	ख.नं. 216 के शामिल बोर से
24	रामनारायण पिता जवाहर सिंह साकिन देह	भूमि स्वामी	204/4	0.92	0.18	निरंक	ख.नं. 204/4 के स्वयं के बोर से
25	हरिकृष्ण पिता भारेलाल पता सागर	भूमि स्वामी	216	0.59	0.03	निरंक	ख.नं. 216 के स्वयं के बोर से
26	बैजनाथ पिता उमराई साकिन देह	भूमि स्वामी	206/1	4.61	0.24	निरंक	ख.नं. 206/1 स्वयं के बोर से
कुल				32.72	3.10		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरणों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 28/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकरण के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. 51-अ-82-2021-22-भू-अर्जन-23-1840

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त एक आपत्तियों का धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त करते हुए निराकरण किया गया है तदुपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : केसली
3. ग्राम : नयानगर
4. पट. ह. नं.- : 18
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 4.81

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	सिंचाई का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिनेश कुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	95/1	2.12	0.11	निरंक	ख.नं. 95/1 के स्वयं के बोर से	
2	तिलकसिंह पिता प्रहलादसिंह पता नयानगर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/3/1	0.07	0.01	निरंक	ख.नं. 315/7 के अन्य के कुआ से	
3	अजयपाल पिता द्वारका साकिन देह	भूमिस्वामी	96/2	2.00	0.13	निरंक	ख.नं. 96/2 के स्वयं के कुआ से	
4	आशाराम, कमलसिंह पिता लक्ष्मीप्रसाद, लल्ली बेवा अबिकाप्रसाद, सोनू ना.बा. पिता अम्बिकाप्रसाद वली मों लली	भूमिस्वामी	96/4	1.74	0.13	निरंक	ख.नं. 96/4 के स्वयं के कुआ से	
5	विनोद कुमार पिता गोकलचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	97/3	2.00	0.20	निरंक	ख.नं. 97/3 के स्वयं के कुआ से	
6	नीलेश कुमार, निरंजन कुमार वल्द चक्रेश कुमार सा. देह	भूमिस्वामी	97/4	0.70	0.08	निरंक	ख.नं. 97/3 के कुआ से	
7	हर्षित कुमार पिता राकेश कुमार पता नयानगर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/5	0.49	0.05	निरंक	ख.नं. 97/3 के कुआ से	

8	यशवंत पिता ग्याप्रसाद साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	98/1	1.11	0.10	निरंक	ख.नं. 98/1 के स्वयं के बोर से
9	खुमान वल्द ग्याप्रसाद साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	98/2	0.90	0.08	निरंक	ख.नं. 98/2 के स्वयं के बोर से
		भूमिस्वामी	99	0.20	0.03	निरंक	
10	करनसींग वल्द ग्याप्रसाद पता नयानगर साकिन देह	भूमिस्वामी	98/3	0.81	0.16	निरंक	ख.नं. 98/3 के बोर से
11	श्री देव पारसनधजी मंदिर बांके देह मुह. प्रकाशचंद वल्द गुलझारीलाल प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	149	5.21	0.18	निरंक	ख.नं. 149 के स्वयं के बोर से
12	श्री देव जानकीरमण जी मंदिर मुह. द्वारका प्रसाद वल्द गजाधर प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	156	5.20	0.50	निरंक	ख.नं. 156 के स्वयं के बोर से
		भूमिस्वामी	21	2.50	0.28	निरंक	
13	टीकाराम पिता बाबूलाल साकिन महका	भूमिस्वामी	180/1	0.32	0.20	निरंक	ख.नं. 180/1 के स्वयं के कुंआ से
14	रमेश, लखन, लक्ष्मन, गौरीशंकर, रामदास, संतोष पिता टीकाराम साकिन महका	भूमिस्वामी	182/3	1.11	0.15	निरंक	ख.नं. 182/3 के स्वयं के कुंआ से
15	सीताराम उर्फ हेमराज वल्द महाराज सिंह सा. जनकपुर	भूमिस्वामी	183/2	0.26	0.07	निरंक	ख.नं. 184 के बोर से
		भूमिस्वामी	184	0.65	0.10	निरंक	
16	बिजेन्द्र वल्द मिहरबान, तिलकरानी देवा मिहरबान साकिन देह	भूमिस्वामी	187/2	1.20	0.08	निरंक	ख.नं. 187/2 के स्वयं बोर से
17	जाहरसींग वल्द वासुदेव साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	187/3	1.19	0.13	निरंक	ख.नं. 187/3 के स्वयं बोर से
18	वल्देव वल्द निरपत साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	188	0.78	0.02	निरंक	ख.नं. 188 के स्वयं के कुंआ से
19	राजेन्द्र नाबालिग वल्द व वली दौलत सिंह सा. जनकपुर	भूमिस्वामी	189	0.59	0.13	निरंक	ख.नं. 189 के स्वयं के बोर से
20	महाराज सिंह पिता शिवदयाल साकिन जनकपुर	भूमिस्वामी	190/1	2.38	0.07	निरंक	ख.नं. 184 के पुत्र के बोर से
21	हरनाम वल्द हरगोविन्द साकिन देह	भूमिस्वामी	320/2	1.24	0.04	निरंक	ख.नं. 320/2 के स्वयं के कुंआ से
22	हरिओम वल्द हरगोविन्द सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	320/3	0.60	0.04	निरंक	ख.नं. 320/2 के भाई के कुंआ से
23	थानसींग वल्द खानजू साकिन देह	भूमिस्वामी	323	4.46	0.18	निरंक	ख.नं. 323 के स्वयं के कुंआ से
24	कैलाश पिता शेवसींग लोधी पता नयानगर	भूमिस्वामी	348/1	2.45	0.08	निरंक	ख.नं. 348/1 के स्वयं के कुंआ से
25	रामकृष्ण पिता शेवसींग लोधी पता नयानगर	भूमिस्वामी	348/2	2.45	0.08	निरंक	ख.नं. 348/1 के भाई के कुंआ से

26	देवराज, राजेन्द्र पिता गंगाधर, लीलावती, आरती पुत्री गंगाधर, रामरानी बेवा गंगाधर साकिन देह	भूमिस्वामी	349/3/1	0.22	0.03	निरंक	ख.नं. 349/3/1 के स्वयं के बोर से
		भूमिस्वामी	350/2/2	0.17	0.03	निरंक	
27	हेमराज पिता करनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	349/2/1	0.16	0.03	निरंक	
28	देवराज पिता गंगाधर, दशरथ, हेमराज पिता करनसींग	भूमिस्वामी	350/2/3	0.06	0.03	निरंक	ख.नं. 350/1/1 के शामिल कुआं से
29	गनेशीबाई केशरबाई पुत्री परमानंद साकिन देह	भूमिस्वामी	351	0.40	0.05	निरंक	ख.नं. 351 के स्वयं के कुआं से
30	तखतसिंह पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	352	3.93	0.27	निरंक	ख.नं. 352 के स्वयं के बोर से
31	बाबूलाल पिता खरगराम सा0 नयानगर	भूमिस्वामी	22/2	0.07	0.01	निरंक	ख0नं0- 22/2/1 के स्वयं के बोर से
32	रूपरानी प्रति टीकाराम पता नयानगर	भूमिस्वामी	159	0.85	0.10	निरंक	ख0नं0- 159 के स्वयं के कुआं से
33	पप्पू, हल्कू, डोमनवीर पिता रामप्रसाद, कुवरबाई, हीराबाई पुत्री रामप्रसाद, इन्द्रानी देवा रामप्रसाद, साकिन देह	भूमिस्वामी	160/1/1	0.74	0.09	निरंक	ख0नं0- 160/2 के शामिल खाते के कुआं से
34	पूरन, हल्कू, नन्हेलाल पिता बल्कू सा0 सागर	भूमिस्वामी	160/1/2	0.01	0.01	निरंक	
35	बल्कुआ बल्कू नत्था साकिन देह	भूमिस्वामी	165	0.53	0.04	निरंक	ख0नं0- 165 के स्वयं के कुआं से
		भूमिस्वामी	166/2	0.29	0.09	निरंक	
36	श्री देव जानकीरमण जी मंदिर मुह. कमलेश पिता देवीसींग प्रबंधक कलेक्टर, सागर	भूमिस्वामी	167	0.67	0.25	निरंक	ख0नं0 167 के स्वयं के बोर से
37	रामनारायण पिता जवाहर साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	170/1	0.79	0.06	निरंक	
38	रामकुमार ना.बा. पिता तुलसीराम संरक्षक तुलसीराम, अजयकुमार ना.बा. रामनारायण संरक्षक रामनारायण भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	170/2	0.11	0.06	निरंक	ख0नं0- 170/2 के शामिल कुआं से
39	अजय, इन्द्रपाल नाबालिग बल्द रामनारायण बली चाचा तुलसीराम रामकुमार नाबालिग बल्द तुलसीराम साकिन महका	भूमिस्वामी	170/5	0.32	0.06	निरंक	
40	नंदराम बल्द भगवानदास साकिन देह	भूमिस्वामी	172/4	0.70	0.08	निरंक	ख0नं0- 173/1 के पिता के कुआं से
41	भगवान सिंह इन्दर सिंह, गोविन्द कुन्जीलाल, पन्नालाल पिस रामनाथ साकिन पटनाखुर्द	भूमिस्वामी	173/1	1.28	0.11	निरंक	ख0नं0- 173/1 के स्वयं के कुआं से
योग:-				56.03	4.81		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 26/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-01-02-2022-सात-शा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से जिला सिंगरौली में नवीन तहसील बरगवां का सृजन किया जाता है। तहसील बरगवां में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवसर गिर्द के पटवारी हल्का नम्बर 32 व 33 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 52, तहसील सरई के राजस्व निरीक्षक मण्डल खनुआनया के पटवारी हल्का नम्बर 44 से 46 एवं 52 व 53, तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल परसौना के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 03 इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

2. तहसील बरगवां के गठन पश्चात् शेष तहसील देवसर में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मण्डल सरोंधा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 15 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल, देवसर के पटवारी हल्का नम्बर 16 से 31 इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे तथा तहसील सरई में राजस्व निरीक्षक मण्डल निवास के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 21, राजस्व निरीक्षक मण्डल, सरई के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 43 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल खनुआनया के पटवारी हल्का नम्बर 47 से 51 व 54 से 62 इस प्रकार कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। शेष तहसील सिंगरौली में तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल परसौना के पटवारी हल्का नम्बर 04 से 13, राजस्व निरीक्षक मण्डल, खुटार के पटवारी हल्का नम्बर 14 से 22 एवं 45 से 48, राजस्व निरीक्षक मण्डल शासन के पटवारी हल्का नम्बर 42 एवं 44 एवं 49 से 59 इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-01-02-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-01-02-2022-सात-शा-7, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-01-02-2022-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new tahsil Bargawan in the district Singrauli from the date of publication of this order in the Official Gazette, which would comprise of 29 patwari halkas *i.e.* patwari halka no. 32 and 33 of R. I. Circle Devsar Gird, patwari halka no. 34 to 52 of R. I. Circle Bargawan, Patwari halka no. 44 to 46 and patwari halka no. 51 and 53 of R. I. Circle Khanuaanya, patwari halka no. 01 to 03 of R. I. Circle Parsouna of tahsil Singrauli.

2. After the formation of the tahsil Bargawan, the tahsil Devsar would comprise of 31 patwari halkas. *i.e.* patwari halka number 01 to 15 of R. I. Circle Sarondha and patwari halka number 16 to 31 of R. I. Circle Devsar, while tahsil Sarai will comprise of 57 patwari halka, *i.e.* patwari halka number 01 to 21 of R. I. Circle Niwas, patwari halka number 22 to 43 of R. I. Circle Sarai and patwari halka number 47 to 51, 54 to 62 of R. I. circle Khanuaana Now Tahsil Singrauli will comprise of 36 patwari halka *i.e.*, patwari halka numbers 04 to 13 of R. I. circle Parsauna, Patwari halka numbers 14 to 22 and 45 to 48 of R. I. Circle Khutar, patwari halka number 42, 44 and 49 to 59 of R. I. Circle Shasan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-01-04-2021-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला निवाड़ी में नवीन अनुविभाग पृथ्वीपुर का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील पृथ्वीपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा जिसके उपरान्त मूल अनुविभाग निवाड़ी में तहसील निवाड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं तहसील ओरछा का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-01-04-2021-सात-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-01-4-2021-सात-7, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-01-04-2021-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Prithvipur in the district Niwari from the date of publication of this order in the Official Gazette. Which would comprise of the entire area of tahsil Prithvipur.

After the creation of sub-division Prithvipur, sub-division Niwari would comprise of the entire area of tahsil Niwari and the entire area of tahsil Orchha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-01-07-2021-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा में नवीन तहसील छैगांव माखन का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील खण्डवा के राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 20 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल छैगांव माखन के पटवारी हल्का क्रमांक 21 से 40 कुल 40 पटवारी हल्के तथा वर्तमान पंधाना तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल डूल्हार के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 59 हल्के समाविष्ट होंगे.

2. जिला खण्डवा में तहसील छैगांव माखन के सृजन उपरांत शेष तहसील खण्डवा में रा. नि. म. जावर के हल्का क्रमांक 41 से 63, रा. नि. म. खण्डवा 1 के हल्का क्रमांक 64 से 78, 84 से 90, रा. नि. म. खण्डवा 2 के हल्का क्रमांक 91 से 94, 96 से 104, रा. नि. म. सिंगोट के हल्का क्रमांक 105 से 125, रा. नि. म. पिपलोद के हल्का क्रमांक 126 से 148 इस प्रकार कुल 108 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

3. जिला खण्डवा में तहसील छैगांव माखन के सृजन उपरांत शेष पंधाना तहसील में रा. नि. म. पंधाना के हल्का क्रमांक 20 से 40, रा. नि. म. बोरगांव के हल्का क्रमांक 41 से 60 इस प्रकार कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-01-07-2021-सात-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-01-07-2021-सात-7, दिनांक 11 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-01-07-2021-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, creates new tahsil Chhaigaon makhan in District Khandwa, from the date of publication of this order in the official Gazette, which would comprise of total 59 patwari halkas which includes 40 patwari halkas of Tahsil Khandwa i.e. patwari halka no. 1 to 20 of R. I. Circle Chichgohan, patwari halka no. 21 to 40 of R. I. Circle Chhaigaon makhan and 19 patwari halkas of present Pandhana tahsil i.e. patwari halka no. 01 to 19 of R. I. Circle Dulhar.

2. After the creation of tahsil Chhaigaon Makhan in district Khandwa, reamaining tahsil Khandwa would comprise of 108 patwari halkas, i.e. patwari halka no. 41 to 63 of R. I. Circle Jawar, patwari halka no. 64 to 78 and Patwari halka no. 84 to 90 of R. I. Circle Khandwa 1, Patwari halka no. 91 to 94 and 96 to 104 of R. I. Circle Khandwa 2, Patwari halka no. 105 to 125 of R. I. Circle Singot, patwari halka no. 126 to 148 of R. I. Circle Piplod.

3. After creation of tahsil Chhaigaon Makhan, now Pandhana tahsil would consist of 41 patwari halkas, i.e. patwari halka no. 20 to 40 of R. I. Circle Pandhana, patwari halka no. 41 to 60 of R. I. Circle Borgaon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-01-08-2021-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से जिला सिंगरौली में नवीन तहसील दुधमनिया का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील चितरंगी के रा. नि. म. दुधमनिया के पटवारी हल्का क्रमांक 79 से 112 इस प्रकार कुल 34 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

जिला सिंगरौली में नवीन तहसील दुधमनिया के गठन उपरांत शेष चितरंगी तहसील में राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल के हल्का क्रमांक 01 से 21, राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहरिया के हल्का क्रमांक 22 से 48 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी के हल्का क्रमांक 49 से 78, इस प्रकार कुल 78 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-01-08-2021-सात-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-01-08-2021-सात-7, दिनांक 11 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-01-08-2021-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates the new tahsil Dudhamania in the district Singrauli from the date of publication of this order in the Official Gazette, which would comprise of 34 patwari halkas, i.e. patwari halka number 79 to 112 of R. I. Circle Dudhamania of tahsil Chitrangi.

After the formation of New tehsil Dudhamania, remaining tehsil Chitrangi would comprise of 78 patwari halkas i.e. patwari halka no. 1 to 21 of R. I. Circle Korawal, patwari halka no. 22 to 48 of R. I. Circle Moharia and patwari halka no. 49 to 78 of R. I. Circle Chitrangi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-01-40-2018-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से जिला भिण्ड की तहसील मेहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 39 से 66 तक कुल 28 पटवारी हल्कों के 64 ग्राम का अपवर्जन कर उन्हें नवीन तहसील अमायन में समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील अमायन का सृजन किया जाता है। तहसील अमायन का मुख्यालय अमायन होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-01-40-2018-सात-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-01-40-2018-सात-7, दिनांक 11 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-01-40-2018-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new Tahsil Amayan in the district Bhind from the date of publication of this order in the Official Gazette, which would comprise of 64 villages of 28 patwari halkas i.e. patwari halka no. 39 to 66 of Tahsil Mehgaon after excluding them from Mehgaon. The headquarter of the Amayan Tahsil shall be at the Amayan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-16-0002-2022-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सागर में नवीन तहसील बांदरी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील मालथौन के पटवारी हल्का नम्बर 21, पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 34 व हल्का क्रमांक 39 से 62 तक कुल 28 हल्के समाविष्ट होंगे. जिला सागर में नवीन तहसील बांदरी के गठन पश्चात् शेष मालथौन तहसील में वर्तमान तहसील मालथौन के हल्का क्रमांक 01 अटाकर्नेलगाढ़ से 20 दुगाहाकलॉ तक, हल्का क्रमांक 22 गीधा से हल्का क्रमांक 31 नौनिया तक, हल्का क्रमांक 35 रजवांस से हल्का क्रमांक 38 बनखिरिया तक सम्मिलित करते हुए कुल 34 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-16-0002-2022-सात-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-16-0002-2022-सात-7, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-16-0002-2022-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new Tahsil Bandari in District Sagar from the date of publication of this order in the Official Gazette, comprising of the Patwari halka no. 21, 32-34 and 39-62, in total 28 Patwari halkas, of Tehsil Malthon.

After creation of new Tehsil Bandari, Malthon Tehsil would comprise of halka no. 01 Atakernelgarh to 20 Dugahakalan, 22 Geedha to 31 Noniya and 35 Rajwas to 38 Vankhiriya, in total 34 Patwari halkas, of tehsil Malthon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

आदेश

क्र. एफ-01-44-2018-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला आगर-मालवा में नवीन तहसील सोयतकला का सृजन किया जाता है, जिसमें नवीन तहसील सोयतकला में तहसील सुसनेर के राजस्व निरीक्षक मण्डल सोयतकला के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 24 कुल 24 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे जिसके पश्चात् मूल तहसील सुसनेर में रा. नि. म. श्यामपुर के प. ह. नं. 25 से 35, रा. नि. म. सुसनेर के प. ह. नं. 36 से 49 तथा रा. नि. म. मोडी के प. ह. नं. 50 से 59 इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के शेष रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ-01-44-2018-सात-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ-01-44-2018-सात-7, दिनांक 11 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2023

ORDER

No. F-01-44-2018-VII-Sec-7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates the new tahsil Soyatkala in the district Agar-Malwa from the date of publication of this order in the Official Gazette, which would comprise of 24 patwari halkas *i.e.* patwari halka no. 1 to 24 of R. I. Circle Soyatkala of tahsil Susner.

After the creation of tahsil Soyakala, tahsil Susner would comprise of 35 patwari halkas, *i.e.* patwari halka no. 25 to 35 of R. I. Circle Shyampur, patwari halka no. 36 to 49 of R. I. Circle Susner and patwari halka no. 50 to 59 of R. I. Circle Modhi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
NEHA MARVYA. Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023

क्र. एफ-11-0002-2022-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्र. 7840-X-11-82, दिनांक 20 सितम्बर 1982 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वनमण्डल, नरसिंहपुर के अंतर्गत उपवनमण्डलों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

अ.क्र.	वन वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सम्मिलित परिक्षेत्र	उप वनमण्डलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सिवनी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	56975.03	(1) नरसिंहपुर (2) गोटेगांव (3) बरगान	उत्तर—नौरादेही अभ्यारण्य एवं सागर, दमोह जिले की सीमा. दक्षिण—सिवनी जिले की सीमा पूर्व—जबलपुर जिले की सीमा पश्चिम—नरसिंहपुर जिला एवं छिन्दवाड़ा जिले की सीमा.
				गाडरवारा	48981.18	(1) गाडरवारा (2) करेली	उत्तर—नरसिंहपुर एवं रायसेन जिले की सीमा. दक्षिण—छिन्दवाड़ा एवं होशंगाबाद जिले की सीमा. पूर्व—नरसिंहपुर उपवनमण्डल की सीमा. पश्चिम—होशंगाबाद एवं रायसेन जिले की सीमा.
				योग . .	<u>105956.21</u>		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023

एफ-11-0002-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-0002-2022-दस-3, दिनांक 10 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, सचिव.

Bhopal, the 10th April 2023

No. F-11-0002-2022-X-3.—Sub Division of Narsinghpur (T) Forest Division are recognized by partially amending the Notification No.. 7840-X-11-82, dated 20th September 1982 of Govt. of Madhya Pradesh, Forest Department as under:—

S. No.	Name of Forest Circle	Name of Forest Division	Name of Forest Sub Division	Name of Forest Sub Division (headquarter)	Area (Hectare)	Ranges Include	Description of Boundaries of Sub Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Seoni	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	56975.03	(1) Narsinghpur (2) Gotegaon (3) Barman	North —Boundary of Nouradehi Sanctuary & Sagar, Damoh District. South —Seoni District Boundary. East —Jabalput District Boundary. West —Narsinghpur & Chhindwara District Boundary.
				Gadarwara	48981.18	(1) Gadawara (2) Kareli	North —Narsinghpur & Raisen District Boundary. South —Chhindwara & Hoshangabad District Boundary. East —Narsinghpur Sub Division Boundary. West —Hoshangabad & Raisen District Boundary.
Total . .					<u>105956.21</u>		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Secy.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश
क्र. 2203-रीडर-1-2023 देवास, दिनांक 10 अप्रैल 2023

प्रारूप "ख"

(नियम 5 का उप नियम (2))

प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/2023-24 राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवास में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाइन, केबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास जिला देवास (म.प्र) में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाएगी। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवास मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची :-

क्र.	ग्राम का नाम	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता का नाम सहित	सर्वे नंबर	प्रभावित रकबा	भूमि का प्रकार सिंचित/ असिंचित/ पड़त
1.	बिलावली	प्रीतमसिंह पिता परबतसिंह आदि	61/1/1/1	0.0810	पड़त
2.	"--"	मेसर्स मैनाश्री डेवलपर्स नरेन्द्र पिता मांगीलाल आदि	123/1/1/2/ 1	0.096	पड़त ईट की दीवार की बाउण्ड्री
3.	"--"	विशाल पिता नरेन्द्रकुमार जैन	123/1/1/2/ 2	0.030	पड़त ईट की दीवार की बाउण्ड्री
4.	"--"	रितु पति राकेश, राकेश पिता सुरेशचन्द्र गुप्ता	123/2	0.0735	पड़त पाईप लाइन खुदाई
5.	"--"	हर्षा पति धीरज	123/1/7	0.0280	पड़त
6.	"--"	वर्षा पति अजय सिसौदिया	123/1/8	0.0280	पड़त
		योग- 06 कृषक		0.3365	

प्रदीप कुमार सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).